



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

नगरीय विकास एवं आवास विभाग



मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2021-22

मंत्री	— श्री भूपेन्द्र सिंह
राज्य मंत्री	— श्री ओ.पी.एस. भदौरिया
प्रमुख सचिव	— श्री मनीष सिंह
वि.क.अ. सह आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	— श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव
वि.क.अ. सह आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	— श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता
आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल	— श्री भरत यादव
उप सचिव	— श्री तरुण राठी
उप सचिव	— श्री शुभाशीष बनर्जी
वित्तीय सलाहकार	— डॉ. सुषमा दुबे

प्रस्तावना

नगरीय विकास एवं आवास विभाग का वर्ष 2021-22 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

—: विषय सूची :—

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विभागीय संरचना	1
2.	विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय एवं संस्थाएं	1
3.	विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम	1—2
4.	विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	2—3
5.	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास	4—40
6.	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश	41—53
7.	राजधानी परियोजना प्रशासन	54—59
8.	राज्य नगर नियोजन संस्थान	60—66
9.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	67—81
10.	मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम	82—84
11.	परिशिष्ट	85—128

विभागीय संरचना

1. नगरीय विकास एवं आवास विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार है:—
 - 1.1 राज्य मंत्रालय
मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव के अधीन एक अपर सचिव, दो उप सचिव तथा एक वित्तीय सलाहकार पदस्थ हैं।
2. विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय/संस्थाएं
 - (1) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास।
 - (2) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश।
 - (3) राजधानी परियोजना प्रशासन।
 - (4) राज्य नगर नियोजन संस्थान।
 - (5) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल।
 - (6) मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम।
3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम
 - 3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग को निम्नांकित अधिनियमों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है :—
 - (1) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
 - (2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
 - (3) पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)
 - (4) विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
 - (5) सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955
 - (6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)
 - (7) स्लाटर ऑफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)
 - (8) मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
 - (9) मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976
 - (10) मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011
 - (11) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
 - (12) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
 - (13) मध्यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961
 - (14) मध्यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948

- (15) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972
- (16) मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976
- (17) मध्यप्रदेश नगर तथा परिक्रमा नियंत्रण अधिनियम, 1960
- (18) मध्यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948
- (19) अचल संपत्ति (अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952
- (20) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012
- (21) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012
- (22) मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952

4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :-

- (1) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण
- (2) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद एवं अन्य विभागों को न सौंपे गए निकायों से संबंधित समस्त विषय
- (3) नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर का प्रशासन
- (4) मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन
- (5) नगरीय क्षेत्रों में कांजी हाउस और उनमें पशु अतिचार की रोकथाम
- (6) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले
- (7) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
- (8) विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण एवं गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार से संबंधित योजनाएं
- (9) नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में संशोधन
- (10) नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वयन। गरीबों के उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका परिवीक्षण करना
- (11) विभाग से संबंधित सेवाओं में नियुक्तियां, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां एवं दण्ड तथा अभ्यावेदन से संबंधित कार्यवाही
- (12) केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन यथा: अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, PM SVANIDHI
- (13) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन

- (14) नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण एवं समूह बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन
- (15) मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का प्रशासन
- (16) मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी का प्रशासन
- (17) मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का प्रशासन
- (18) शहरी यातायात एवं परिवहन का प्रशासन
- (19) प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना
- (20) शहरी अधोसंरचना
- (21) शहरी गरीबों के लिये आवास
- (22) शहरी पेयजल
- (23) आग की रोकथाम
- (24) शहरी सुधार कार्यक्रम
- (25) मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना में निकायों को सहयोग
- (26) ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण
- (27) प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण
- (28) नगर विकास योजना तैयार करना
- (29) शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन
- (30) नगर तथा ग्राम निवेश
- (31) वास्तुकला
- (32) नगरीय विकास
- (33) राज्य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन एवं समन्वय
- (34) आवास स्थान को भाड़े या उप-भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण सम्मिलित है।
- (35) कामन पूल के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन तथा प्रशासकीय अनुमोदन
- (36) राजधानी परियोजना तथा उसके प्रशासन से संबंधित समस्त विषय

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास

भाग — एक विभागीय संरचना

विभाग के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है।

1. संभागीय कार्यालय

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक के कार्यालय इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा एवं शहडोल में गठित हैं। संभाग स्तर पर नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिये अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं।

2. राज्य शहरी विकास अभिकरण

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में “राज्य शहरी विकास अभिकरण” का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसके उपाध्यक्ष हैं तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अभिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

3. जिला शहरी विकास अभिकरण

नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित हैं। इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

4. विभाग के अंतर्गत गठित संचालनालय एवं उसके अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण परिशिष्ट—एक पर है।

5. नगरीय स्थानीय निकाय

प्रदेश में कुल 413 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	निकाय की श्रेणी	संख्या
1	नगरपालिक निगम	16
2	नगरपालिका परिषद	99
3	नगर परिषद	298
	योग	413

5.1 प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों की जिलेवार सूची परिशिष्ट—दो पर है।

भाग—दो

बजट विहंगावलोकन

1. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभागीय बजट में कुल रुपये 1375789.00 लाख का प्रावधान किया गया था, उक्त प्रावधान के विरुद्ध वर्ष 2021-22 में दिसम्बर, 2021 तक कुल रुपये 881436.00 लाख का व्यय किया गया है।
2. उपरोक्तानुसार प्रावधानित राशि में से योजना मदों तथा अनुदान मदों में मदवार/योजनावार व्यय की जानकारी क्रमशः परिशिष्ट—तीन (एक) एवं परिशिष्ट—तीन (दो) पर है।
3. विभागीय बजट में योजना मद के अन्तर्गत मुख्य रूप से केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन एवं बाह्य वित्त पोषित योजनाएं संचालित हैं।
4. राज्य शासन द्वारा बजट के माध्यम से कई योजनाओं को पोषण प्रदान किया गया है, जिनमें मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना फेस-3, मुख्यमंत्री स्वच्छता मिशन, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, मेट्रो रेल, दीनदयाल रसोई योजना, झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं संवर्धन आदि प्रमुख हैं।
5. राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को अन्य संस्थाओं से प्रदाय किए गए ऋणों की प्रतिभूति के विरुद्ध शासकीय अंश पुर्नभुगतान की व्यवस्था बजट में की गई है।
6. अनुदान मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने वाले केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार बेसिक ग्रांट एवं परफार्मेंस ग्रांट चुंगी क्षतिपूर्ति/यात्री कर क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए देय अनुदान आदि तथा संचालनालय एवं उसके संभागीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के लिये प्रावधान किए गए हैं।
7. पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय अंतर्गत राशि का उपयोग महत्वपूर्ण नगरीय अधोसंरचना परियोजनाओं जैसे मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना आदि के क्रियान्वयन तथा ऐसी परियोजनाओं के शासन की गारंटी पर लिये गए ऋण का पुर्नभुगतान किया जाता है।

भाग—तीन

राष्ट्रीय, राज्य एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1. स्मार्ट सिटी मिशन

- 1.1 भारत सरकार द्वारा 25 जुलाई 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन गाईडलाईन जारी किया गया था जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रतिस्पर्धा के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाना था। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य शहरों का समुचित विकास, आर्थिक सुधार तथा नागरिक के जीवन शैली में सुधार तथा क्षेत्रीय विकास है।
- 1.2 भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा अंतर्गत प्रथम राउंड में प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर का चयन जनवरी 2016 में, द्वितीय राउंड में सितम्बर 2016 में ग्वालियर एवं उज्जैन व तृतीय राउंड में सतना एवं सागर का चयन जून 2017 में हुआ है। मध्यप्रदेश से कुल 07 शहर स्मार्ट सिटी परियोजना में सम्मिलित है।
- 1.3 स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत प्रत्येक शहर को 1000 करोड़ की SCM ग्रांट उपलब्ध करायी जाना है जिसमें 500 करोड़ केन्द्र शासन से एवं 500 करोड़ मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य शासन द्वारा दिये जाना है। शहर को प्राप्त होने वाली राशि रु. 1000.00 करोड़ में राशि रु. 940.00 करोड़ प्रोजेक्ट फंड एवं राशि रु. 60.00 करोड़ A&OE (ऑफिस एवं प्रशासनिक व्यय) का प्रावधान है।
- 1.4 स्मार्ट सिटी के सुचारु संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हाई पॉवर स्टेरिंग कमेटी का गठन किया गया है तथा शहर स्तर पर भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन में दिये गये निर्देश अनुसार स्पेशल पर्सन व्हीकल्स (एसपीवी) का गठन किया गया है। एसपीवी के अध्यक्ष जिले के कलेक्टर, कार्यपालक संचालक—नगर निगम के आयुक्त तथा प्रत्येक शहर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) भी नियुक्त किये गये हैं। एसपीवी अन्तर्गत अन्य मनोनीत अधिकारियों में चीफ प्लानर, चीफ फॉयनेंस ऑफिसर, प्रबंधक ई—गवर्नेन्स अधिकारी, कंपनी सेक्रेटरी, अधीक्षण यंत्री आदि को शामिल किया गया है।
- 1.5 स्मार्ट सिटी मिशन का क्रियान्वयन सुनियोजित कार्ययोजना अन्तर्गत किया जा रहा है, योजना अंतर्गत प्राप्त स्मार्ट सिटी फंड अनुदान राशि के कुल 314 प्रोजेक्ट लागत राशि रु. 1984.06 करोड़ के पूर्ण हो चुके हैं, 214 प्रोजेक्ट्स राशि रु. 3497.56 के कार्यादेश जारी किये गये हैं एवं 48 प्रोजेक्ट्स लागत राशि रु. 586.93 करोड़ की निविदा प्रक्रिया में है। लगभग 40 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत राशि रु. 562.32 डीपीआर स्तर पर हैं।
- 1.6 सभी स्मार्ट सिटी शहरों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया जा चुका है। कोविड—19 महामारी के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा महामारी की रोकथाम एवं बचाव से संबंधित कार्य एवं समन्वय के लिये राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कॉल सेंटर के रूप में प्रभावशाली कार्य किया गया।

- 1.7 भारत सरकार द्वारा 25 जून 2021 को घोषित स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत “इण्डिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कनटेस्ट 2020”(ISAC-2020) के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य को राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है तथा प्रदेश के 05 शहरों को उनके द्वारा क्षेत्र में किये गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 20 अवार्ड श्रेणियों में कुल 11 अवार्ड प्राप्त हुये हैं, जिनमें से इंदौर को बिल्ट-एनवायरनमेंट, सेनिटेशन, इनोवेशन, इकोनॉमी व कल्चर थीम के साथ राउंड-1 शहरों की श्रेणी में तथा ओवर-ऑल परफॉर्मेंस वाले शहर के रूप में कुल 07 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भोपाल को अर्बन एनवायरनमेंट थीम अंतर्गत क्लीन एनर्जी हेतु प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जबलपुर को राउंड-1 शहरों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ग्वालियर शहर को डिजिटल म्यूज़ियम के लिए कल्चर थीम अंतर्गत तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। सागर शहर को राउंड- 3 शहरों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

स्मार्ट सिटी योजना क्रियान्वयन की शहरवार प्रगति

1.8 भोपाल स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत पब्लिक बाइक शेयरिंग, स्मार्ट रोड, बुलेवर्ड स्ट्रीट, स्मार्ट पोल एवं स्मार्ट एलईडी लाईट, शासकीय आवास का निर्माण, युवाओं के स्कील डेवलपमेंट हेतु स्टार्टप के लिये इनक्यूबेशन सेंटर का निर्माण एवं क्रियान्वयन, पुरातत्व धरोहर संरक्षण (सदर मंजिल) आदि अंतर्गत 47 प्रोजेक्ट्स लागत राशि रु. 553.57 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुका है। 26 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रु. 386.2 करोड़ के कार्य प्रचलन में है।

1.9 इंदौर स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट रोड, पुरातत्व धरोहर संरक्षण गोपाल मंदिर, हरि राव होल्कर छत्री, राजवाड़ा, रिवरफ्रंट डेवलपमेंट-चंद्रबाग ब्रिज से हरसिद्धि ब्रिज, जिन्सी हाट बाजार का पुर्नविकास, गारबेज ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण कार्य, शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम, अन्डर ग्राउण्ड केबलिंग स्टार्टप के लिये इनक्यूबेशन सेंटर का निर्माण आदि अंतर्गत 127 परियोजनाओं लागत राशि रु. 488.70 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 34 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रु. 455.24 करोड़ के कार्य प्रचलन में है।

1.10 जबलपुर स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम स्टार्टप के लिये इनक्यूबेशन सेंटर, मल्टीलेवल पार्किंग, नॉन मोटेराइज्ड व्हीकल क्षेत्र का निर्माण, भंवर ताल गार्डन का पुर्नविकास, गुलउआ तालाब का विकास एवं म्युजिकल फाउन्टेन का निर्माण, धरोहर संरक्षण अंतर्गत कमनिया गेट एवं घंटाघर का कार्य आदि कार्य पूर्ण किये गये है। स्मार्ट रोड, स्मार्ट पोल एवं एलईडी लाईट रानीताल लेक डेवलपमेंट आदि के कार्य प्रचलन में है। 50 परियोजनाओं लागत राशि रु. 264.23 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 51 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रु. 637.66 करोड़ के कार्य प्रचलन में है एवं 7 प्रोजेक्ट लागत राशि रु. 38.08 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में है।

1.11 ग्वालियर स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत पार्कों का पुर्नविकास एवं सौन्दर्यीकरण, स्मार्ट क्लास रूम, शासकीय बिल्डिंग में सोलर रूफ टॉप, मल्टीलेवल पार्किंग, पुरातत्व धरोहर संरक्षण अंतर्गत मोतीमहल का रिस्टोरेशन आदि कार्य पूर्ण किये गये हैं। स्मार्ट रोड, स्मार्ट पोल एवं एलईडी लाईट, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में हैं। 32 परियोजनाओं लागत राशि रु. 258.22 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 12 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रु. 564.46 करोड़ के कार्य प्रचलन में हैं एवं 7 प्रोजेक्ट लागत राशि रु. 77.59 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में हैं।

1.12 उज्जैन स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, स्मार्ट एलईडी लाईट, ओलंपिक साईज स्वीमिंग पूल का निर्माण आदि कार्य पूर्ण किये गये हैं। महाकाल रुद्र सागर विकास परियोजना अंतर्गत महाकाल मंदिर के आस-पास के क्षेत्र का विकास, स्मार्ट रोड, सोलर रूफ टॉप, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में हैं। 21 परियोजनाओं लागत राशि रु. 167.92 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 35 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रु. 589.74 करोड़ के कार्य प्रचलन में हैं एवं 18 प्रोजेक्ट लागत राशि रु. 145.98 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में हैं।

1.13 सागर स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, पार्कों का पुर्नविकास एवं सौन्दर्यीकरण, जंक्शन चौराहों का विकास आदि कार्य पूर्ण किये गये हैं। लाखा बंजारा लेक का पुर्नविकास एवं लेक फ्रंट डेवलपमेंट, स्मार्ट रोड, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में हैं। 19 परियोजनाओं, लागत राशि रु. 117.17 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 33 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रु. 610.24 करोड़ के कार्य प्रचलन में हैं एवं 5 प्रोजेक्ट लागत राशि रु. 119.58 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में हैं।

1.14 सतना स्मार्ट सिटी

योजनांतर्गत स्मार्ट क्लास रूम, स्मार्ट एलईडी लाईट आदि कार्य पूर्ण किये गये हैं। लेक नेकटर विकास परियोजना, साइकिल ट्रेक, स्टार्टप के लिये इनक्युबेशन सेंटर आदि के कार्य प्रचलन में हैं। 18 परियोजनाओं लागत राशि रु. 134.25 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 23 प्रोजेक्ट लगभग लागत राशि रु. 254.02 करोड़ के कार्य प्रचलन में हैं एवं 11 प्रोजेक्ट लागत राशि रु. 205.07 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में हैं।

2 अमृत मिशन

2.1 भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 25 जून 2015 को एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अधोसंरचना विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का शुभारम्भ किया गया है।

2.2 मिशन के अंतर्गत प्राथमिक रूप से शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें (अर्थात जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेष रूप से गरीबों और वांचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा।

2.3 प्रदेश में मिशन शहरों के अंतर्गत नागरिकों की सुविधा के लिए अमृत मार्गदर्शिका के अनुसार विभिन्न सेवा स्तरीय बेंच मार्क को प्राप्त किया जाना है।

2.4 अमृत परियोजना के घटकों में क्षमता निर्माण, शहरी सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं। आयोजना के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसंरचना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास करना होगा। मिशन घटकों का विवरण निम्नानुसार है :—

2.5 जलापूर्ति

- 2.5.1 प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति (135 LPCD) उपलब्ध कराना।
- 2.5.2 मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने जल शोधन संयंत्रों और सभी जगहों पर मीटर लगाने सहित वर्षा जलापूर्ति प्रणाली।
- 2.5.3 शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुनर्स्थापन।
- 2.5.4 विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनःभरण के लिए जलाशयों का पुनरुद्धार।

2.6 सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट

- 2.6.1 प्रत्येक परिवार को जल-मल निस्तारण के लिये सीवेज कनेक्शन सुलभ हो।
- 2.6.2 मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवेज शोधन संयंत्रों के संवर्धन सहित विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज प्रणालियाँ।
- 2.6.3 पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का पुनर्स्थापना।
- 2.6.4 लाभकारी प्रयोजन के लिये शोधित जल का पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।
- 2.6.5 मल गाद प्रबंधन, कम लागत पर सफाई, परिवहन एवं शोधन।
- 2.6.6 सीवर और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।
- 2.6.7 सीवरेज परियोजनाओं को लागू करने में विशिष्ट घटकों जैसे-ऊर्जा उत्पादन, सोलर सेलों का उपयोग (जिससे अनुरक्षण एवं प्रबंधन व्यय में कमी की जा सके)।

2.7 लोक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देना

- 2.7.1 गैर मोटरीकृत परिवहन (एन.एम.टी.) के लिये फुटपाथ, फुट ओव्हर ब्रिज का निर्माण।
- 2.7.2 बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण।
- 2.7.3 द्रुत बस परिवहन प्रणाली (BRTS)

2.8 वर्षा जल नालों का विकास

- 2.8.1 बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों एवं वर्षा जल नालों का निर्माण एवं सुधार।

2.9 हरित क्षेत्र एवं सुव्यवस्थित पार्कों का विकास

- 2.9.1 बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए अनुकूल विशेष प्रावधानों के साथ हरित क्षेत्र एवं पार्कों का विकास, प्रबंधन के साथ पार्कों का निर्माण एवं उन्नयन।
- 2.9.2 पार्क में बच्चों के खेलने के लिये झूले आदि की व्यवस्था।
- 2.9.3 नागरिकों को पार्क भ्रमण के लिये वाकिंग ट्रेक (पाथ वे) का निर्माण।
- 2.9.4 निकाय को स्थानीय निवासी भागीदारी के साथ रखरखाव हेतु प्रणाली की स्थापना करना।

2.10 वित्तीय प्रबंधन

2.10.1 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख एवं इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 33 प्रतिशत, राज्यांश : 50 प्रतिशत, निकाय अंश : 17 प्रतिशत।

2.10.2 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.10.3 अधोसंरचना विकास के हरित क्षेत्र एवं पार्क निर्माण घटक हेतु सभी मिशन शहरों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.11 अमृत मिशन 1.0 के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति

2.11.1 मिशन के अंतर्गत 33 शहरों में कुल 211 परियोजनाएं, राशि रु. 6459.78 करोड़ की स्वीकृत हैं, जिसमें 32 जलप्रदाय, 24 सीवरेज, 23 स्टार्म वाटर ड्रेन, 21 शहरी परिवहन एवं 111 हरित क्षेत्र विकास परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

2.11.2 211 परियोजनाओं में से राशि रु. 2995.34 करोड़ की 161 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिसमें से 25 जल प्रदाय, 11 सीवरेज, 17 स्टार्म वाटर ड्रेन, 102 हरित क्षेत्र विकास एवं 6 शहरी परिवहन की योजनाएं हैद्य अभी तक राशि रु. 4952.78 करोड़ व्यय किया गया है।

2.11.3 प्रगतिरत 50 परियोजनाओं में से 37 परियोजनाएं जून 2022 एवं शेष को जून 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

2.11.4 अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं उनकी प्रगति का विवरण परिशिष्ट-चार पर है।

3. अमृत – 2.0

3.1 भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 मिशन प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश के समस्त 413 नगरीय निकाय एवं 05 छावनी परिषद को सम्मिलित किया गया है। मिशन अवधि मार्च 2022 से मार्च 2027 तक है। योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में निम्न घटक अनुसार कार्य किया जाना है :-

3.1.1 जल स्रोतों का उन्नयन, जल शोधन संयंत्र, जल शोधन प्रणाली, 24 x 7, गैर राजस्व जल में कमी।

3.1.2 सीवेज नेटवर्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, (तृतीयक शोधन सहित) अमृत 1.0 के चयनित शहरों में। (एक लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों के लिये)

3.1.3 फीकल स्लज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट (एक लाख से कम जनसंख्या के नगरों हेतु)

3.1.4 जल संरचना का परिशोधन एवं उन्नयन तथा हरित क्षेत्र विकास।

3.2 अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राशि रु. 4176.44 करोड़ आवंटित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके मान से निकाय अंश तथा राज्यांश को सम्मिलित करते हुए, मिशन की कुल अनुमानित राशि रु. 11680.05 करोड़ है।

3.3 मिशन क्रियान्वयन हेतु मंत्रि परिषद् से निम्नानुसार स्वीकृति प्राप्त की गई है :-

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.	नगरीय निकाय का विवरण	केन्द्रांश	राज्यांश	निकायांश	कुल राशि
1	मिलियन प्लस शहर (4)	((@ 25%) 1156.99	((@ 58%) 2684.21	((@ 17%) 786.75	4627.95
2	एक से दस लाख के शहर (29)	((@ 33%) 983.38	((@ 57%) 1698.56	((@ 10%) 297.99	2979.93
3	एक लाख से कम के शहर (374 नगरीय निकाय एवं 5 छावनी परिषद्) (379)	((@ 50%) 1500.13	((@ 45%) 1350.13	((@ 5%) 150.02	3000.28
4	रिफार्म एवं अन्य व्यय	((@ 50%) 535.94	((@ 50%) 535.94	-	1071.88
	कुल	4176.44	6268.86	1234.75	11680.05

4. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास – 2022

4.1 भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का शुभारंभ दिनांक 25/06/2015 को किया गया है, इस योजना के अंतर्गत (भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राही के सहयोग से) शहरी गरीबों को वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराना है। योजनातर्गत शहरी गरीबों को निम्न 4 घटकों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जानी है:-

- ✓ "स्व स्थाने" स्लम पुर्नविकास (In-Situ Slum Redevelopment - ISSR)
- ✓ क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास (Credit Linked Subsidy Scheme - CLSS)
- ✓ भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership - AHP)
- ✓ लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी (Beneficiary Led Construction - BLC)

4.2 नगरीय निकाय अथवा राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियां उक्त में से एक या एक से अधिक सभी विकल्पों पर योजना तैयार कर सकती है। योजनातर्गत निम्नलिखित आय वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाना है:-

- ✓ आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रु. 3,00,000 तक। (आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के परिवार योजना के समस्त घटक का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं)
- ✓ निम्न आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रु. 3,00,001 से अधिक एवं राशि रु. 6,00,000 तक। (निम्न आय वर्ग के परिवार योजना के केवल CLSS घटक का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं)

4.3 योजनातर्गत निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है:-

क्र.	योजना के विकल्प	केन्द्रांश	राज्यांश	पात्र हितग्राही
1	In-Situ Slum Redevelopment - ISSR with participation of private developers using land as a resource.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) हितग्राहियों को राशि रु. 1.00 लाख प्रति आवासीय इकाई	भूमि उपलब्ध कराई जाती है।	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
2	Affordable Housing through Credit Linked Subsidy Scheme - CLSS	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रु. 6.00 लाख तक के गृह ऋण पर 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy)	—	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG)
3	Affordable Housing in Partnership - AHP with Public & Private sectors.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय वर्ग के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई एवं भूमि उपलब्ध कराई जाती है।	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
4	Subsidy for Beneficiary-Led Individual House Construction - BLC	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय वर्ग के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	राशि रु. 1.00 लाख प्रति आवासीय इकाई एवं पट्टा/भूमि उपलब्ध कराई जाती है।	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)

- 4.4 योजनातर्गत प्रदेश के 387 नगरीय निकायों की 1,662 परियोजनाओं में EWS श्रेणी की 7,48,309 (आर.ए.वाय. के 8,123 एवं एल.एच.पी. के 1,024 आवास सम्मिलित) आवासीय इकाइयां स्वीकृत की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 1,20,148 हितग्राहियों को योजना के CLSS घटक से भी लाभान्वित किया गया है। स्वीकृत योजनाओं में CLSS को सम्मिलित करते हुए 4.50 लाख से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष इकाइयों पर निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है।
- 4.5 प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई नवाचार किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को 01/01/2021 को भारत सरकार द्वारा “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन” करने वाले राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।
- 4.6 योजना के BLC घटक का लाभ भूमिहीन परिवारों को प्रदान कराने के उद्देश्य से आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध किया जा रहा है, जिससे भूमिहीन गरीब रहवासियों को भी योजना के BLC घटक का लाभ प्राप्त हो सका है। BLC घटक छोटे और मझोले शहरों में योजना का सबसे लोकप्रिय घटक है।
- 4.7 योजना के AHP घटक अंतर्गत निकायों के द्वारा हितग्राहियों को आवासों का निर्माण करके आवंटन किया जा रहा है, जिसके क्रियान्वयन हेतु शासकीय भूमि भू-स्वामी हक पर निशुल्क प्रदान की जा रही है। इस घटक अंतर्गत हितग्राहियों को उनके अंशदान की व्यवस्था हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने की कठिनाई दूर करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से नगरीय निकायों की जिम्मेदारी पर हितग्राहियों को सुगमता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। AHP घटक अंतर्गत नॉन-स्लम के हितग्राहियों के लिए भी राज्य के द्वारा राशि रु. 1.50 लाख की सहायता अब प्रदान की जा रही है, इस प्रकार AHP घटक के हितग्राहियों को कुल राशि रु. 3.00 लाख की सहायता प्राप्त हो रही है। मलिन बस्ती (स्लम) के हितग्राहियों को AHP घटक अंतर्गत निर्मित आवास मात्र राशि रु. 2.00 लाख के अंशदान में आवंटित किया जा रहा है।

- 4.8 इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को AHP भवनों के लिए राशि रु. 1 लाख तक अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।
- 4.9 योजना अंतर्गत प्रदेश में यह भी प्रयास किया गया है, कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रही आवासीय इकाईयों के साथ निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाये, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों के सामाजिक स्तर में भी सुधार तथा निर्मित किये जाने वाले परिसर का संचालन/संधारण भी नियमित रूप से हो सके। निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रही आवासीय इकाईयों से होने वाले आय से आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों को भी कौंस सब्सिडी के विकल्प को भी ध्यान में रखा गया है।
- 4.10 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य, मंत्रालय द्वारा भवन निर्माण की नवीन तकनीकों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्लोबल हाउसिंग टेक्नालॉजी चैलेन्ज के अंतर्गत लाईट हाऊस प्रोजेक्ट चिन्हित किये गये थे, जिनमें से सम्पूर्ण देश में प्रदेश से इंदौर नगर एवं अन्य प्रदेशों के 5 नगरों का चयन किया गया है। इंदौर में प्री-फेब्रीकेटिड सेण्डविच पैनेल सिस्टम तकनीक से 1,024 आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। निर्माण की नवीन तकनीक के प्रोत्साहन में लाईट हाऊस प्रोजेक्ट-इंदौर की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि प्रदेश के छात्र, शिक्षक व भवन निर्माण एजेंसी के प्रशिक्षण हेतु लाइव प्रयोगशाला के रूप में उपलब्ध है।
- 4.11 भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य, मंत्रालय द्वारा प्रवासी श्रमिक/शहरी गरीब को किराये पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवीन “अफोर्डेबल रेन्टल हाउसिंग स्कीम” (ARHCs) योजना प्रारंभ की गई है। योजना में हितग्राहियों के रूप में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के प्रवासी श्रमिक/शहरी गरीब सम्मिलित है। ARHCs को दो प्रदर्श में विभक्त किया गया है, प्रदर्श-1 में जे.एन.एन.यू.आर.एम. तथा राजीव आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों में से वर्तमान में जो आवास आवंटित नहीं हो सके हैं, ऐसे आवासों से संबंधित पूर्ण ब्लॉक जन निजीभागीदारी के आधार पर हितग्राहियों को 25 वर्ष के किराये पर दिया जाना है। प्रदर्श-1 अंतर्गत इंदौर, ग्वालियर व सागर द्वारा राजीव आवास योजना अंतर्गत निर्मित रिक्त आवासों को किराया पर उपलब्ध करने हेतु चयनित किया गया है। PPP ऑपरेटर चयन हेतु निविदा प्रक्रिया प्रचलित है। प्रदर्श-2 में पब्लिक/प्रायवेट Entity के द्वारा उनके स्वत्व की भूमि पर आवासों को निर्मित कर हितग्राहियों को 25 वर्ष के किराये पर दिया जाना है। इस प्रदर्श में भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य, मंत्रालय द्वारा जारी EoI में GAIL (India) Limited, Raghogarh द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। GAIL (India) Limited द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) आगामी तैयार करने की कार्यवाही प्रचलित है।
- 5 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) मध्यप्रदेश
- 5.1 प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के क्रियान्वयन के दौरान प्रदेश में लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ नागरिकों को स्वच्छता सेवाओं के प्रदाय की गुणवत्ता पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख लक्ष्यों में प्रदेश के शहरों में खुले में शौच से मुक्ति और संवहनीयता, शहरी ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन, जलाशयों में सफाई, स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन हेतु स्वच्छता जनांदोलन और निकायों का क्षमतावर्धन आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। उक्तानुसार स्वच्छ भारत मिशन, शहरी की वर्ष 2021-22 के दौरान घटकवार प्रगति निम्नानुसार रही :-

5.1.1 घटक क्रमांक -1 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण

- 5.1.1.1 वर्ष 2014 से 2021 तक मिशन के लक्ष्यों में 7 लाख 31 हजार 971 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण शामिल किया गया। इस लक्ष्य से प्रदेश में जहां एक ओर नागरिकों के स्वास्थ्य जीवन स्तर में परिवर्तन वांछनीय था वहीं दूसरी ओर प्रदेश के शहरों को खुले में शौच से पूरी तरह मुक्ति दिलाना था। इस घटक के अंतर्गत नागरिकों की मांग के आधार पर उन्हें व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए निम्नानुसार अनुदान प्रदान किया जाता है :-

क्र	इकाई लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंशदान	हितग्राही अंशदान
1	13600 / -	4000 / -	6880 / -	1360 / -	1360 / -

5.1.1.2 वर्ष 2021 तक व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण घटक में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

407 निकायों में कुल स्वीकृत व्यक्तिगत शौचालय	निर्मित कुल व्यक्तिगत शौचालय	वर्ष 2022 के दौरान प्रगति	वर्ष 2022 के दौरान जारी राशि (लाख में)
6,87,153	579109	1900	243.93

5.1.2 घटक क्रमांक -2 सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण

- 5.1.2.1 शहरों में प्रतिदिन आसपास के क्षेत्रों से आने वाली आबादी और शौचालय विहीन परिवारों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आने वाली जनसंख्या के लिए 24233 सीट के विरुद्ध 20183 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया।

- 5.1.2.2 प्रदेश में चलित जनसंख्या को लक्षित करते हुए सार्वजनिक स्थानों सार्वजनिक शौचालय और उन बस्तियों में जहां व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए उचित व पर्याप्त स्थान न हो, में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए शासन द्वारा निम्नानुसार अनुदान प्रावधानित है:-

क्र.	निकाय	केन्द्रांश	राज्य शासन अनुदान	निकाय अंशदान
1	नगर परिषद	39200 / -	32500 / -	6500 / -
2	नगर पालिका परिषद	39200 / -	32500 / -	6500 / -
3	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर को छोड़कर)	39200 / -	29250 / -	9750 / -
4	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर के लिये)	39200 / -	26000 / -	13000 / -

- 5.1.2.3 प्रदेश की निकायों में वर्ष 2022 तक सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण व व्यय की स्थिति निम्नानुसार दर्ज की गई है :-

407 निकायों में कुल स्वीकृत सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय सीट संख्या	निर्मित कुल सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय सीट संख्या	वर्ष 2022 के दौरान प्रगति	वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान जारी राशि (लाख में)
24,233	20183	474	612.97

- 5.1.2.4 इसके अलावा भ्रमणशील जनसामान्य जैसे तीर्थ यात्री आदि के लिये मोबाईल टायलेट नगरीय निकायों को प्रदान किये गये हैं जिसके अंतर्गत कुल 118 इकाई मोबाईल टॉयलेट प्रदान कर नदियों एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यवाही की गयी है। जिससे खुले में शौच की समस्या को स्थाई रूप से समाप्त किया जा सके। प्रदेश के 74 निकायों को ओडीएफ प्लस एवं 295 नगरीय निकायों को ओडीएफ डबल प्लस प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा इंदौर शहर को वॉटर प्लस से भी प्रमाणित किया गया है।

ओडीएफ प्लस का अर्थ शहर में 100 प्रतिशत लक्षित व्यक्तिगत शौचालय और सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के साथ 10 प्रतिशत सार्वजनिक शौचालयों में विश्वस्तरीय सुविधाएं एवं शेष 90 प्रतिशत में समस्त आधारभूत सुविधाएं होना चाहिए। इसी प्रकार ओडीएफ का अर्थ 100 प्रतिशत लक्षित व्यक्तिगत शौचालय और सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के साथ 50 प्रतिशत सार्वजनिक शौचालयों में विश्वस्तरीय सुविधाएं एवं शेष 50 प्रतिशत में समस्त आधारभूत सुविधाओं के साथ सभी शौचालयों फीकल मल के उपचार के लिए सुविधा होना चाहिए। वॉटर प्लस प्रमाणीकरण के लिए किसी भी शहर में ओडीएफ डबल प्लस के प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लागू होने के साथ साथ शहर में उपयोगित जल का प्रबंधन किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाणीकरण भारत सरकार द्वारा अनुबंधित तृतीय पक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन, सिटीजन फीडबैक एवं निर्धारित मानकों के तहत प्रमाणित किया जाता है।

5.1.3 घटक क्रमांक -3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

5.1.3.1 प्रदेश के शहरों में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। अतः प्रदेश की पर्यावरणीय चिंताओं का ध्यान रखते हुए प्रदेश के सभी निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को प्रारंभ किया जाना लक्षित किया गया था। नगरीय क्षेत्रों में उत्सर्जित कचरे का प्रबंधन नगरीय निकायों का ही दायित्व माना गया है। इसी आधार पर ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के विहित प्रावधानों के अनुसार यह जिम्मेदारी निकायों को ही प्रदान की गई है। इस जिम्मेदारी को निकाय या वार्ड स्तर पर पृथक्कीकरण किया जाकर, माइक्रो लेवल वैज्ञानिक निपटान की व्यवस्था को अपनाते हुए शहरों में जीरो लैंडफिल की अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

5.1.3.2 इस घटक के अंतर्गत प्रदेश के 407 नगरीय निकायों में कचरा संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास के लिए निकायों को अनुदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत निकायों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना लागत का 58.3 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। शेष राशि निकाय अंशदान/जननिजीभागीदार का अंशदान होता है। निकायों में दैनिक आधार पर उत्सर्जित होने वाले कचरे का निपटान निर्धारित प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2022 में प्रदेश के 407 निकायों में सभी माध्यमों से 8.0 हजार टन कचरे का उत्सर्जन रिपोर्ट किया गया है जिसमें से निकायों द्वारा 6.50 हजार टन (81.25 प्रतिशत) कचरे का निपटान व प्रसंस्करण किया गया है। इस मद में वित्तीय वर्ष के दौरान 9222.862 लाख का व्यय किया गया है।

5.1.3.3 इसके अलावा निकायों द्वारा लीगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निपटान, और वर्तमान डंपसाइट्स को सुरक्षित रूप से हटाए जाने या कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उपरांत भूमि वापस प्राप्त किए जाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

5.1.4 घटक क्रमांक 4 क्षमतावर्धन

5.1.4.1 निरंतर होते शहरी विकास और उससे उपजने वाली चुनौतियों से मुकाबले के लिए निकायों को सक्षम बनाया जाना आवश्यक है। इसी कारण मिशन में क्षमता वर्धन घटक का प्रावधान किया गया जिसका उद्देश्य प्रदेश के सभी निकायों की वर्तमान तकनीकी और ज्ञान क्षमता को बढ़ाना और उन्हें सक्षम बनाना था। इस घटक में 60 प्रतिशत केंद्रांश प्राप्त होता है और राज्य का अंशदान 40 प्रतिशत है। इस घटक के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निकायों को तकनीकी क्षमतावर्धन के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है।

5.1.5 घटक क्रमांक 5 सूचना, शिक्षा व संचार

5.1.5.1 शहरी स्वच्छता की संवहनीयता में नागरिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इस वर्ष अधिक से अधिक जनसहयोग और शहरी स्वच्छता हेतु सकारात्मक वातावरण निर्माण की दिशा में जनाआंदोलनों का संचालन किया गया।

5.1.5.2 वर्ष 2020-21 में जागरूकता गतिविधियों का प्रमुख लक्ष्य जहां एक ओर नागरिकों को स्वच्छता से जोड़ना था, वहीं संवहनीय स्वच्छता व्यवहारों की स्थापना भी था। इस वर्ष के दौरान स्वच्छता कर्मियों का सम्मान, सिंगलयूज प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग को रोकना, होम कंपोस्टिंग, सेप्टिक टैंक और सीवर की सुरक्षित सफाई व प्रोटोकॉल, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता में नागरिकों की भागीदारी, अधोसंरचनाओं का रखरखाव आदि जैसे विषयों पर प्रमुखता से जनअभियानों का संचालन किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में उत्सर्जित होने वाले कचरे की मात्रा को रिसाइकल, रियूज, रिड्यूज के साथ नागरिक भागीदारी से व्यवहार परिवर्तन को लक्षित करते हुए रियूज को भी प्रचारित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिए 4आर का प्रयोग किया जा रहा है।

5.1.5.3 इनके अलावा प्रदेश के निकायों द्वारा सभी निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का विधिवत रखरखाव किए जाने के साथ साथ प्रदेश के सभी शहरों को ओडीएफ और ओडीएफ के मानक स्तर पर प्रमाणित कराना है। साथ ही प्रदेश के निकायों को स्टार रेटिंग का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। माननीय विभागीय मंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश के निकायों को सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों के आधार पर प्रत्येक तीन माह में निकायों की रैंकिंग की जाती है और श्रेष्ठ प्रयास करने वाले निकायों को प्रोत्साहन स्वरूप उनका सम्मान किया जाता है।

5.1.5.4 प्रदेश में सोशल मीडिया माध्यमों को भविष्य की संचार व क्षमतावर्धन आवश्यकताओं से जोड़ते हुए नगरीय निकायों के कर्मियों, सलाहकारों, अशासकीय संगठनों को सोशल मीडिया संचालन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रदेश के नगरीय निकायों की अधोसंरचनाओं पर स्वच्छता व संवहनीयता के प्रचार प्रसार हेतु केन्द्रीयकृत डिजाइन बनाकर उपलब्ध कराए गए। इन प्रयासों से संवहनीय स्वच्छता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचने में सहयोग प्राप्त हो रहा है।

5.2 फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन

5.2.1 प्राकृतिक जल स्रोतों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना राज्य सरकार का दायित्व है, परंतु सेप्टिक टैंक से निकलने वाले स्लज एवं तरल अपशिष्ट प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रदूषण के प्रमुख कारणों में एक है। जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की नगरीय जनसंख्या 2.02 करोड़ है। इसके आधार पर राज्य में लगभग 40 लाख परिवार निवास करते हैं, इनमें से केवल 20 प्रतिशत परिवार सीवर नेटवर्क से जुड़े हुये हैं, जबकि 52 प्रतिशत परिवार सेप्टिक टैंक व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित हैं। इन 52 प्रतिशत परिवारों के सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज एवं सेप्टेज के प्रबंधन की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप प्राकृतिक जल स्रोत एवं भू-जल स्रोत के प्रदूषित होने की संभावना है। प्रदेश में फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन को मानक बनाए जाने के उद्देश्य से कार्य नीति तैयार की गई।

5.2.2 जारी वर्ष तक प्रदेश के 265 निकायों में एफएसटीपी का निर्माण किया जाकर क्रियान्वित अवस्था में है तथा अन्य 44 निकायों में एफएसटीपी का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा लगभग 11 निकायों ने अन्य नजदीक के निकायों/सुविधाओं से अनुबंध किया है।

5.3 स्वच्छता संवहनीयता

5.3.1 प्रदेश में स्वच्छता संवहनीयता एक प्रमुख घटक है, जिसको प्रत्येक उपलब्ध माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निकायों में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के साथ बर्तन बैंक, झोला बैंक आदि जैसी नागरिक नेतृत्व गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रदेश की स्वच्छता के लिए चुनौती है, इसे कमशः कम से कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अमानक पॉलीथीन पर प्रतिबंध को निकायों में सख्ती से लागू करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

5.3.2 प्रदेश के प्रत्येक निकाय में पृथक्कीकृत कचरा संग्रहण स्वच्छता संवहनीयता की आधारशिला है, इस प्रयास से प्रदेश में संग्रहित कचरे को रिसाइकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। गीले कचरे की केन्द्रित एवं विकेंद्रीकृत/होम कंपोस्टिंग को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही सूखे कचरे के प्रसंस्करण के लिए निकायों में 276 से अधिक मटेरियल रिकवरी केन्द्रों के माध्यम सूखे कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

5.4 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) – 2.0

5.4.1 देश में स्वच्छता की संवहनीयता बनाये भारत सरकार के शहरी आवासन एवं कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)– 2.0 की शुरुआत दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को की गई है। जिसके अंतर्गत आगामी 05 वर्षों में स्वच्छता की स्थिति को और उन्नत करते हुये कचरे स्रोत पर पृथक्करण, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन तथा सभी पुराने डंप साईट के बायोरेमिडियेशन कर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और मल-जल शोधन पर योजनाबद्ध कार्य करने की अपेक्षा की गई है।

5.5 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)–2.0 के प्रमुख घटक निम्नानुसार है –

5.5.1 संवहनीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

5.5.1.1 मिशन अंतर्गत शहरों में उत्सर्जित संपूर्ण ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें शहर की आबादी के अनुमान से 300 से 550 ग्राम प्रतिव्यक्ति कचरा उत्सर्जन के आधार पर कुल अपशिष्ट उत्सर्जन का आंकलन किया गया है, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में 550 ग्राम, 1 से 10 लाख जनसंख्या शहरों में 450 और 1 लाख से कम जनसंख्या के शहरों में 300 ग्राम प्रति व्यक्ति कचरा उत्सर्जन का अनुमान है। इस घटक के अंतर्गत शत-प्रतिशत कचरा संग्रहण एवं स्रोत पृथक्कीकरण, परिवहन, समस्त गीले व सूखे कचरे का प्रसंस्करण, सेनेटरी लैंडफिल, निर्माण एवं ध्वंस अपशिष्ट मुख्य मद होंगे। बड़ी मात्रा में कचरा उत्सर्जक एवं निकायों में उपयोगकर्ता शुल्क को लागू करते हुए वसूली किया जाना लक्षित किया गया है। इस घटक में स्वीकृत परियोजनाओं में पांच वर्षों के लिये ओ एण्ड एम का प्रावधान अनिवार्य होगा। निकाय स्तर से CSWAP (City Solid Waste Action Plan) तैयार किया जायेगा, जिसका अनुमोदन राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा। यह राज्य के स्टेट एक्शन प्लान का हिस्सा होगा।

5.5.2 संवहनीय स्वच्छता

5.5.2.1 प्रदेश के खुले में शौच से मुक्त स्थिति की संवहनीयता के उद्देश्य से इस घटक के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में अंतर विश्लेषण सर्वे के आधार पर व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण को लक्षित किया गया है। इसके अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों जिनके पास अभी तक उनका व्यक्तिगत शौचालय नहीं है, उनसे ऑनलाईन मांग के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त करना होगा। अधिकृत तथा अनाधिकृत कॉलोनी तथा नोटिफाईड/नाननोटिफाईड मलीन बस्ती में रहने वाले परिवार व्यक्तिगत शौचालय के अनुदान हेतु पात्र होंगे। व्यक्तिगत शौचालय के लिये अनुदान हितग्राही के आधार लिंकड बैंक खाते में जमा किया जायेगा। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में आवश्यकता होने पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अधिक उपयोग वाले सार्वजनिक स्थानों के साथ पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के शहरों की आवश्यकता के आधार पर उनके प्रस्ताव आमंत्रित किए जा सकते हैं। निकायों को सुनिश्चित करना होगा कि इन पर निर्भर परिवारों को 500 मीटर के दायरे में सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय उपलब्ध हों। सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय की योजना में पांच वर्षों के ओ एण्ड एम का प्रावधान रखा जाना होगा। इसके अलावा इस घटक में यूरिनल की स्थापना और अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ में बदला जा सकता है।

5.5.3 उपयोगित जल का प्रबंधन

5.5.3.1 वर्तमान में सिर्फ 40 प्रतिशत जनसंख्या को ही सीवेज नेटवर्क से जोड़ा गया है। शेष 60 प्रतिशत अभी भी अनियमित सीवेज प्रणाली पर ही निर्भर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण में एक लाख से कम जनसंख्या के शहरों में उपयोगित जल प्रबंधन हेतु राशि प्रावधानित की गई है। एक लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों को अमृत योजना में फीकल स्लज मैनेजमेंट का भाग बनाया गया है। इस घटक में मुख्यतः उपयोगित (सीवेज, सेप्टेज, ग्रे और ब्लैक आदि) जल का प्रबंधन, संग्रहण, परिवहन सहित, आवश्यक होने पर सीवेज नेटवर्क और इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन, सेप्टेज मैनेजमेंट, अपशिष्ट जल का रिसाइकल करना, निपटान व पुनः उपयोग प्रक्रियाओं का विकास किया जाना है। इसके साथ ही उपभोगकर्ता सेवा शुल्क के साथ प्रत्येक 03 वर्ष में सेप्टिक टैंक को खाली किए जाने के लिए शहर में प्रक्रियाओं को भी विकसित करना है। इस घटक में सीवेज ट्रीटमेंट इकाई, नालों में इंटरसेप्शन व डायवर्जन, सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई मशीन आदि को शामिल किया गया है। इसके अलावा उपयोगिता जल हेतु संचालित परियोजनाएं और नगरीय निकायों में नालों का सुदृढ़ीकरण नगरीय निकायों की जिम्मेदारी होगी। निकाय स्तर से अंतर विश्लेषण के आधार पर सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान-2 तैयार किया जायेगा। जिसकी स्वीकृति राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से प्रदान की जायेगी।

5.5.4 सूचना, शिक्षा, संचार/व्यवहार परिवर्तन

5.5.4.1 कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ना होगा। इसके लिए जन आंदोलनों के साथ स्वच्छ व्यवहारों और व्यवहार परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों को संस्थागत स्वरूप देना होगा। समस्त गतिविधियों को नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन की संवहनीयता को लक्षित करते हुए देखा जाना है। जिसमें स्रोत पृथक्कीकरण, आसपास स्वच्छता रखने की जिम्मेदारी, दूसरों को स्वच्छता के लिए शिक्षित करना, सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव आदि के संबंध में प्रयास करना है।

5.5.4.2 गतिविधियों के क्रियान्वयन में अन्य वृहद स्वरूप अभियानों, स्थानीय भागीदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है।

5.5.5 क्षमता वर्धन

5.5.5.1 मिशन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी सहयोगियों, संस्थाओं, निकायों, प्रशासनिक अधिकारियों, संलग्न विभागों, सफाईमित्रों व अनौपचारिक सफाईकर्मियों के साथ अशासकीय संगठनों के प्रशिक्षण का प्रावधान भी क्षमतावर्धन घटक के अंतर्गत किया गया है। सफाई कर्मियों के तकनीकी क्षमता की वृद्धि के लिए उन्हें नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी किया जायेगा।

5.5.6 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)-2.0 के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधान

5.5.6.1 उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को लक्ष्यों पर आधारित प्रस्तुत किया गया है, इसका अर्थ है कि राज्यों को प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की द्वितीय किश्त जारी किए जाने का आधार घटकवार अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति होगी।

5.5.6.2 देश में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)-2.0 के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न घटकों में कुल 1,41,600 करोड़ प्रावधानित किया गया है। उपरोक्त योजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश को योजना अवधि में प्रदान होने वाला कुल केन्द्रांश राशि निम्नानुसार है:-

		(राशि करोड़ में)
क्र.	इकाई/उपघटक	केन्द्रांश
1	शौचालय निर्माण- व्यक्तिगत, सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल्स	64.70
2	उपयोगित जल प्रबंधन	1229.50
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	617.50
4	सूचना, शिक्षा व संचार	192.00
5	क्षमतावर्धन	96.50
	कुल प्रावधान	2200.20
व्यक्तिगत शौचालय की लागत प्रति इकाई 30 हजार के मान से एवं सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय निर्माण लागत 1.5 लाख प्रतिसीट, एस्पिरेश नल के लिए 2.5 लाख के मान से यूरिनल प्रति सीट 32 हजार के मान से।		

6 दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

6.1 केन्द्र प्रवर्तित "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)" के स्थान पर 12वी. पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए संशोधित नवीन योजना "डे-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)" अक्टूबर 2013 से लागू की गई है।

6.2 उद्देश्य

भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों को आश्रय तथा पथ विक्रेताओं के लिए हाकर्स कार्नर/वेंडर मार्केट विकसित किये जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

6.3 वित्तीय वर्ष 2021-22 से योजना प्रदेश के 406 नगरीय निकायों में संचालित है।

6.4 योजना के घटक :-

6.4.1 सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास

(Social Mobilisation And Institution Development)

6.4.2 कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार

(Employment Through Skills Training And Placement)

6.4.3 स्वरोजगार कार्यक्रम

(Self-Employment Programme)

6.4.4 क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण

(Capacity Building & Training)

6.4.5 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सहायता

(Support to Urban Street Vendors)

6.4.6 शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना
(Shelter For Urban Homeless)

6.5 घटकवार विवरण एवं वर्षवार प्रगति

6.5.1 सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास

घटक अंतर्गत समूहों की त्रिस्तरीय संगठनात्मक रचना की गई है। प्रथम स्तर पर 10 से 20 महिलाओं को मिलाकर स्व सहायता समूह का गठन किया जायेगा। द्वितीय स्तर पर 10-20 स्व सहायता समूहों के चिन्हित सदस्यों से एरिया लेवल फेडरेशन का गठन किया जायेगा। तृतीय स्तर पर 10-20 एरिया लेवल फेडरेशन के सदस्यों से सिटी लेवल फेडरेशन का गठन किया जायेगा। इस संघीय संरचना का उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। इस संरचना से समूहों के निर्माण, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी, बैंक लिंकेज, निरंतर आजीविका, प्रशिक्षण, मार्केटिंग आदि में सहायता मिलेगी। उक्त क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

प्रगति

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	स्व-सहायता समूह गठन	समूह को प्रदान की गई आवर्ती निधि (रिवालिंग फंड) (रु. लाख में)	कुल बैंक ऋण (रु. लाख में)		
					बैंक ऋण	ब्याज अनुदान	योग (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014-15	2500	1382	0.32	226.12	11.30	237.42
2	2015-16	3000	3870	113.60	529.10	26.45	555.55
3	2016-17	3000	3668	272.10	551.10	27.60	578.7
4	2017-18	12000	8514	529.90	1740.18	87.00	1827.18
5	2018-19	4000	5945	1433.90	2295.20	91.80	2387.00
6	2019-20	4000	3269	3000.00	2101.96	1954.83	2101.96
7	2020-21	1750	5177	202.80	1534.11	133.40	1667.51
8	2021-22 माह फरवरी	11000	10666	599.00	5066.99	440.6078	5507.598
कुल योग		41250	42491	6151.62	14044.76	2772.988	14862.92

6.5.2 कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार

घटक अंतर्गत शहरी गरीबों को विभिन्न पाठ्यक्रमों (कोर्स) में कौशल प्रशिक्षण प्रदाय कर रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है। रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण संपादित कराया जाता है। प्रशिक्षण तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्रों में किए जाते हैं। तकनीकी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम, आटो मोबाईल सेक्टर आदि आते हैं तथा गैर-तकनीकी क्षेत्र में ब्यूटीशियन, गारमेंट मेकिंग, रिटेल, नर्सिंग आदि आते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ :

- न्यूनतम 200 घण्टे का कौशल प्रशिक्षण।
- भारत सरकार द्वारा अधिकृत शासकीय संस्थाओं "एन.सी.व्ही.टी एवं सेक्टर स्किल काउन्सिल" के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों का प्रमाणीकरण।
- कम से कम 70% प्रशिक्षित हितग्राहियों को रोजगार/स्वरोजगार में नियोजन।
- प्लेसमेंट उपरांत 14 माह तक हितग्राहियों की ट्रेकिंग एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।

प्रगति

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	कुल प्रशिक्षित हितग्राही	नियोजित हितग्राही	नियोजन के प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	2014-15	40000	1118	373	सूचना प्रौद्योगिकी, रिटेल, गारमेंट मेकिंग, नर्सिंग, बैंकिंग और अकाउन्टिंग, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रानिक्स, आटोमोटिव, कन्सट्रक्शन, इलेक्ट्रिशियन, वूड वर्क, सिक्योरिटी, ट्यूरिज्म, टैलीकॉम इत्यादि
2	2015-16	40000	48535	9582	
3	2016-17	40000	40843	40035	
4	2017-18	49000	20620	5701	
5	2018-19	25000	45624	30420	
6	2019-20	41000	17722	5783	
7	2020-21	29900	22341	2523	
8	2021-22 माह फरवरी	52000	12407 (प्रशिक्षित) 73449 (प्रशिक्षणरत)	2743	
कुल योग		316900	209210	97160	

6.5.3 स्वरोजगार कार्यक्रम

घटक अंतर्गत हितग्राहियों को लघु उद्यमिता विकास, स्वरोजगार स्थापना, वित्तीय पोषण एवं उद्यमिता आधारित सेवायें, तकनीकी एवं बाजार व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है :-

- घटक अंतर्गत व्यक्तिगत हितग्राहियों को अधिकतम 2.00 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।
- समूह ऋण के रूप में अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक दिये जाने का प्रावधान है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।
- स्व सहायता समूहों का बैंक लिंकेज किया जाता है। ऋण अंतर्गत 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान योजनांतर्गत अनुदान के रूप में हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। स्व सहायता समूहों को नियमित भुगतान पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है।

प्रगति

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	लाभान्वित हितग्राही	कुल वितरित ऋण राशि (रु. लाख में)	
				ऋण राशि	ब्याज अनुदान सहायता
1	2	3	4	5	6
1	2014-15	12000	3245	2432.65	11.30
2	2015-16	12000	14327	9730.42	56.59
3	2016-17	12000	15466	1177.63	101.27
4	2017-18	30000	19570	16892.38	272.19
5	2018-19	16000	14393	15948.54	146.00
6	2019-20	10000	4859	5256.15	605.19
7	2020-21	5050	2111	2337.00	480.65
8	2021-22 माह फरवरी	12250	9019	10697.69	561.93
कुल योग		109300	82990	64472.46	2235.12

6.5.4 क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण

घटक अंतर्गत राज्य स्तर पर स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट तथा निकाय स्तर पर सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर वर्तमान में 03 राज्य मिशन प्रबंधक, निकाय स्तर पर 84 सिटी मिशन प्रबंधक तथा 210 सामुदायिक संगठक कार्यरत हैं।

6.5.5 शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता

घटक अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को अपनी वस्तुओं के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराना तथा उचित स्थान यथा— हाकर्स कार्नर निर्माण व संधारण का प्रावधान है। पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पहचान पत्र तैयार करना, वेन्डर्स जोन बनाना, वेंडर मार्केट निर्माण करना, स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार स्थापित कराना, पथ विक्रेताओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत 1 से 2 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सामाजिक सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराना। 8.43 लाख पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया गया है एवं 8.31 लाख को परिचय पत्र/विक्रय प्रमाण पत्र वितरित किये जा चुके हैं।

6.5.6 शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों के लिये आश्रय अंतर्गत आश्रय स्थल का निर्माण 01 लाख से अधिक आबादी वाले शहर एवं पर्यटन, ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में किया जाना है।

6.5.6.1 आश्रय स्थल में गरीबों को बुनियादी सुविधाओं जैसे हवादार कमरे, पलंग, गद्दा, तकिया, चादर, स्वच्छ पेयजल, पर्सनल लॉकर, मनोरंजन की सुविधा हेतु टी.वी., अखबार, पुस्तकें प्राथमिक उपचार किट, स्नानागार एवं शौचालय की सुविधा के साथ गर्मी के मौसम में बेघरों की सुविधा के लिए कूलर व वाटर कूलर की भी व्यवस्था की जाती है।

6.5.6.2 शीत ऋतु में ठंड में बचाव हेतु अलाव की व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाये जाते हैं।

6.5.6.3 वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के 51 जिला मुख्यालयों व 1 लाख से अधिक आबादी वाले 4 नगरीय निकाय डबरा, इटारसी, नागदा एवं पीथमपुर अंतर्गत 119 आश्रय स्थल संचालित है।

6.5.6.4 शहरी गरीब व बेघर लोगों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निवाड़ी, सिरोंज, चित्रकूट, ओमकारेश्वर, महेश्वर, जबलपुर, साँची, अमरकंटक, भोपाल, खुरई, मंडीदीप, देवास, जावरा, नसरुल्लागंज, मलाजखण्ड, दमोह, मैहर, आरौन, राघौगढ़ एवं ओरछा अंतर्गत आश्रय स्थल निर्माण हेतु 20 आश्रय स्थलों के लिये कुल राशि रुपये 1269.19 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वित्तीय व्यवस्था

योजनांतर्गत केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 40 की प्रतिशत हिस्सेदारी है।

6.6 प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि)

कोविड-19 महामारी के दौरान शहरी नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार के द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई है।

6.6.1 उद्देश्य

1. रु. 10,000, रु. 20,000 एवं रु. 50,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सहायता।
2. नियमित भुगतान को प्रोत्साहित करना।
3. डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना।

योजना से शहरी पथ विक्रेताओं को उपरोक्त उद्देश्यों से परिचित होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे।

6.6.2 लाभार्थियों के लिए पात्रता मापदंड

6.6.2.1 यह स्कीम 24 मार्च, 2020 को एवं इससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे सभी पथ विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी :

1. ऐसे पथ विक्रेता जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान पत्र है।
2. ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वेक्षण में चिह्नित कर लिया गया है परंतु सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।

6.6.2.2 योजना के ऐसे विक्रेताओं को अनंतिम सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग) आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सृजित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे ऐसे विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग एवं पहचान पत्र तत्काल एवं एक माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से जारी करें।

6.6.3 योजना अंतर्गत लाभ

6.6.3.1 पात्र पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण 10 हजार, 20 हजार एवं 50 हजार रुपये

6.6.3.2 भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता 7 प्रतिशत

6.6.3.3 7 प्रतिशत के अतिरिक्त शेष ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा देय

6.6.3.4 डिजिटल पेमेन्ट पर कैशबैक का प्रावधान (प्रतिमाह 100 रुपये)

6.6.3.5 योजना अवधि जुलाई 2020 से मार्च 2022

6.6.4 प्रगति

पीएम स्वनिधि योजना प्रथम चरण(10 हजार रुपये ऋण राशि) अंतर्गत 4.58 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को राशि रु. 458 करोड़ एवं द्वितीय चरण (20 हजार रुपये ऋण राशि) अंतर्गत 35,581 शहरी पथ विक्रेताओं को राशि रुपये 71.16 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। योजनांतर्गत 7%ब्याज अनुदान भारत सरकार एवं शेष ब्याज अनुदान राज्य शासन के द्वारा वहन किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है।

7 दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना-द्वितीय चरण

7.1 उद्देश्य

राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में "दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना" संचालित की जा रही है।

7.2 कार्यक्षेत्र

"दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना" प्रथम चरण में 51 जिला मुख्यालयों में 56 केन्द्रों पर 07.04.2017 से आरम्भ की गई। द्वितीय चरण के अंतर्गत रसोई योजना का विस्तारण 52 जिला मुख्यालयों व 6 धार्मिक नगरों यथा: मैहर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा व चित्रकूट अंतर्गत कुल 100 रसोई केन्द्रों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2021 को सम्पन्न किया गया।

7.3 योजना अन्तर्गत लाभ

योजना के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवारों के सदस्यों को स्वच्छ, सस्ता एवं पौष्टिक भोजन दस रुपये प्रति व्यक्ति की दर से दोपहर के समय उपलब्ध कराया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजनांतर्गत दिन का भोजन दर रुपये 10/-प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रदान किया जा रहा है। रसोई केन्द्रों के संचालन हेतु 5/- रुपये प्रति थाली के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। साथ ही 1 रु. प्रति किलो के मान से कच्चा राशन उपलब्ध कराया जाता है।

7.4 प्रगति :-

7.4.1 दिनांक 26 फरवरी, 2021 से दिनांक 07 मार्च, 2022 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को रसोई केन्द्रों के माध्यम से भोजन वितरित किया गया है।

7.4.2 लॉकडाउन के दौरान दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से दिनांक 27 जून, 2021 तक 27.19 लाख लोगों को रसोई योजना के माध्यम से भोजन वितरित किया गया।

(ब) राज्य योजनाएं

1. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

1.1 प्रदेश के शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वर्ष 2012 से प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 20 प्रतिशत एवं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। शेष 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

1.2 निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया गया है, जिसकी प्रतिभूति राज्य शासन द्वारा राशि रु. 1000.00 करोड़ की प्रदान की गई है। इसी प्रकार बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने हेतु भी राशि रु. 500.00 करोड़ एवं 260.24 करोड़ की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की गई है। इस प्रकार इस योजना हेतु कुल राशि रु. 1760.24 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने की स्वीकृति प्राप्त है।

1.3 योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 154 नगरीय निकायों की कुल योजना राशि रु. 2091.42 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 54 नगरों की पेयजल योजना के लिये अनुदान राशि रु. 132.25 करोड़, वर्ष 2013-14 में राशि रु. 90.00 करोड़, वर्ष 2014-15 में प्रावधानित राशि रु. 139.00 करोड़ एवं वर्ष 2015-16 में राशि रु. 76.00 करोड़ एवं वर्ष 2016-17 में राशि रु. 106.92 करोड़, वर्ष 2017-18 में राशि रु. 27.70 करोड़, वर्ष 2018-19 में राशि रु. 4.41 करोड़, वर्ष 2019-20 में राशि रु. 7.20 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 में राशि रु. 2.06 करोड़ नगरीय निकायों को जारी किया गया है। वर्तमान तक स्वीकृत 154 नगरीय निकायों में से 128 नगरीय निकायों की पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण, 24 नगरीय निकायों में योजना का कार्य प्रगति पर है तथा शेष 02 नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है। विवरण परिशिष्ट-पांच पर है।

2. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना 2012 से प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़क, शहरी यातायात, सौन्दर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास एवं उद्यान, धरोहर संरक्षण आदि कार्य कराया गया है।

2.1 प्रथम चरण

- 2.1.1 योजना के प्रथम चरण अंतर्गत लागत रु. 1428.00 करोड़ थी, जिसमें 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी है एवं शेष 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा हुडको से ऋण लेकर की गयी है। इस ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा 15 वर्षों में ब्याज की राशि सहित एवं शेष 25 प्रतिशत राशि ब्याज की राशि सहित 15 वर्षों में नगरीय निकायों द्वारा भुगतान किया जाना प्रावधानित है।

2.2 द्वितीय चरण

- 2.2.1 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का द्वितीय चरण, रु. 1800 करोड़ वर्ष 2016 में स्वीकृति हुई, जिसमें 473 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। परियोजनाओं में स्वीकृत कार्य अप्रारंभ होने अथवा प्रगति नगण्य होने से 91 परियोजनायें निरस्त की गई हैं, जिससे योजना का स्वरूप संशोधित किया जाकर रु. 1519.10 किया गया है। योजना में स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा एवं 80 प्रतिशत, ऋण के रूप में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा 15 वर्षों में ब्याज की राशि सहित एवं शेष 25 प्रतिशत ब्याज की राशि सहित 15 वर्षों में नगरीय निकायों द्वारा पुनर्भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।
- 2.2.2 योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत 382 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें 13 नगरों को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कराने का कार्य भी इसी योजना के तहत किया जा रहा है। 02 मिनी स्मार्ट सिटी गुना एवं पन्ना में अप्रारंभ कार्य को निरस्त करते हुए परियोजना संशोधित की गई। योजनांतर्गत 382 परियोजनाओं में से 177 परियोजनाओं में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तथा शेष 205 परियोजनाओं में कार्य प्रगतिरत हैं।

2.3 तृतीय चरण

- 2.3.1 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तृतीय चरण की स्वीकृति मंत्रि-परिषद के आदेश दिनांक 16.01.2020 से रु. 536.00 करोड़ की प्रदान की गई है। योजना को मंत्रि-परिषद के आदेश दिनांक 26.02.2021 से 04 वर्षों के स्थान पर 02 वर्षों के लिये पुनरीक्षित किया गया है। योजना में स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा एवं 80 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया जाना प्रभावित है। ऋण का 75 प्रतिशत अंश एवं इसमें लगने वाले ब्याज का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत अंश एवं उसमें लगने वाले ब्याज का पुनर्भुगतान नगरीय निकायों द्वारा किया जाना है।

- 2.3.2 योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में निम्नानुसार कार्य कराये जायेंगे:-

2.3.2.1 निकायों की आय वृद्धि के लिए आवश्यक अधोसंरचना कार्य।

2.3.2.2 सड़कों को पक्का किया जाना एवं नालियों का निर्माण।

2.3.2.3 पार्कों तथा हरित क्षेत्रों का विकास।

2.3.2.4 स्टार्म वाटर ड्रेन का निर्माण।

2.3.2.5 स्मार्ट रोड बनाने का कार्य।

2.3.2.6 नवगठित एवं अन्य नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास कार्य।

2.3.3 योजना में निकायों की पात्रता निम्नानुसार है :-

(राशि रु. करोड़ में)

स.क्र.	निकाय	प्रति निकाय	कुल राशि	राज्य का अंशदान 20%	वित्तीय संस्थाओं से ऋण 80%
1	नगर पालिक निगम				
	भोपाल एवं इन्दौर	10.00	20.00	4.00	16.00
	ग्वालियर एवं जबलपुर	08.00	16.00	3.20	12.80
	उज्जैन	06.00	6.00	1.20	4.80
	शेष 11 नगर निगम	03.00	33.00	6.60	26.40
2	नगर पालिका (above 1.00 lakh) 17 Nos.	02.00	34.00	6.80	27.20
	नगर पालिका (Below 1.00 lakh) 81Nos.	01.50	121.50	24.30	97.20
3	नगर परिषद 264 Nos.	0.75	198.00	39.60	158.40
4	नवगठित निकायों		30.00	30.00	0.00
5	राज्य शासन की घोषणायें		71.50	14.30	57.20
6	प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु थर्ड पार्टी		6.00	6.00	0.00
	कुल योग		536.00	136.00	400.00

2.3.4 वर्तमान में योजनांतर्गत कुल 396 निकायों में 416 परियोजनाओं हेतु कुल राशि रु. 517.75 करोड़ स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना तृतीय चरण अंतर्गत स्वीकृत निकायों की सूची परिशिष्ट-छः पर है।

3. झीलों एवं तालाबों के संरक्षण एवं संवर्धन

3.1 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2012 में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली झीलों एवं तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने संबंधित निर्देश दिये गये थे। इसी के अनुपालन में प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित झीलों एवं तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने तथा इसके संरक्षण, संवर्धन एवं विकास कार्य हेतु एक कार्ययोजना बनाने के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास को नोडल एजेंसी घोषित किया गया। प्रदेश के नगरीय निकायों में झीलों एवं तालाबों के बेहतर संरक्षण हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं विकास प्रारंभ करने की घोषणा की गई, जिसके अनुक्रम में दिनांक 13.01.2014 को विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में नीति का निर्धारण कर अनुमोदन किया गया। योजना का वित्तीय पोषण निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

क्र.	निकाय प्रकार	राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का प्रतिशत	निकाय का अंश
1	नगर निगम	60%	40%
2	नगर पालिका परिषद्	75%	25%
3	नगर परिषद्	90%	10%

- 3.2 योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में झीलों एवं तालाबों की सीमा में होने वाले कटाव को रोकने संबंधी कार्य, झीलों एवं तालाबों के आसपास बाउंड्री वॉल बनाना, सघन वृक्षारोपण तथा लॉन विकसित करना, पेवमेंट, लैम्प तथा फव्वारों की स्थापना, अपशिष्ट जल को रोकने/शोधन हेतु किफायती प्रयास जैसे रूटझोन ट्रीटमेंट व्यवस्था, झील एवं तालाबों के किनारे नाली/सीवर पाईप द्वारा अपशिष्ट जल को रोकना, संबंधित कार्य किये जाना निर्धारित किया गया है।
- 3.3 झीलों एवं तालाबों के संरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2021-22 तक 43 नगरों की योजनायें राशि रु. 96.85 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करने के लिये नगरीय निकायों को निर्धारित अनुपात में राज्यांश राशि रु. 56.84 करोड़ का अनुदान जारी किया जा चुका है। योजनांतर्गत लगभग 12 नगरीय निकायों के झीलों एवं तालाबों के संरक्षण कार्य पूर्णता की ओर है। शेष 31 नगरीय निकायों की योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं।
- 3.4 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण परिशिष्ट-सात पर है।
4. विशेष निधि से वित्त पोषित नगरों की सीवरेज परियोजना
- 4.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने के दृष्टिगत सीवरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये वित्त व्यवस्था म.प्र. शासन के विशेष निधि के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है।
- 4.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यों में 07 नगरों में मलजल निस्तारण की योजना प्रस्तावित है।
- 4.3 प्रस्तावित मल जल निस्तारण एवं उपचार योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारे स्थित 6 नगर क्रमशः बुधनी, नेमावर, अमरकंटक, डिण्डोरी, मण्डलेश्वर, ओंकारेश्वर एवं इनके अतिरिक्त मंदाकिनी नदी के शुद्धीकरण हेतु चित्रकूट नगर सीवरेज परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर है। योजना अंतर्गत 01 नगरीय निकाय की सीवरेज परियोजना के कार्य पूर्णता की ओर है। शेष 06 निकायों में कार्य प्रगतिरत है।
- 4.4 परियोजना की कुल लागत रु. 185.00 करोड़ है।
- 4.5 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा है।
- (स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं
1. एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम
- 1.1 अन्य वित्तीय स्रोतों से छूटे हुए 130 नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः जल प्रदाय तथा पर्यटन/धरोहर/धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 10 नगरों में सीवरेज व्यवस्था एवं उपचार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण सहायता लेते हुए मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।
- 1.2 परियोजना के अंतर्गत कुल 130 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिसमें प्रथम चरण में 64 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं तथा द्वितीय चरण में शेष 66 नगरों की जलप्रदाय योजनाएं ली जा रही हैं। साथ ही परियोजना के प्रथम चरण में 4 नगरीय निकायों तथा द्वितीय चरण में 6 नगरीय निकायों की मलजल निस्तारण एवं उपचार योजनाएं प्रस्तावित हैं।
- 1.3 परियोजना की कुल अनुमानित लागत रु. 5400 करोड़ अर्थात् 785 मिलियन यू.एस.डॉलर है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य का अनुदान तथा 70 प्रतिशत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

- 1.4 एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋण के 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुनर्भुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।
- 1.5 योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 64 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना एवं 4 मलजल योजना की डीपीआर तैयार की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनापत्ति प्राप्त कर 22 पैकेजों के अंतर्गत 64 नगरीय निकायों की जलप्रदाय एवं पैकेज के अन्तर्गत 4 निकायों की मलजल की व्यवस्था हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इनमें 26 पैकेजों के कार्यादेश (कुल लागत लगभग रु. 2538.27 करोड़) साधिकार समिति सह कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत विभिन्न ठेकेदार फर्मों को जारी कर दिये गये हैं। योजनान्तर्गत 02 नगरीय निकायों की परियोजना पूर्ण एवं जल प्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है, तथा 9 नगरीय निकायों की जल प्रदाय परियोजनाओं का ट्रायल रन किया जा रहा है।
- 1.6 योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 66 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना एवं 6 मलजल योजना की डी.पी.आर. तैयार की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनापत्ति प्राप्त कर 34 पैकेजों में से सभी 34 पैकेजों के अंतर्गत 66 नगरीय निकायों की जल प्रदाय व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इनमें 27 पैकेजों के कार्यादेश (कुल लागत लगभग रुपये 1402.20 करोड़) साधिकार समिति सह कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत विभिन्न ठेकेदार फर्मों को जारी कर दिये गये हैं।
- 1.7 म.प्र. नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए पी.एम.सी (परियोजना प्रबंधन सलाहकार फर्म) फर्म मेसर्स टाटा कन्सल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड का चयन कर फर्म के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया है। फर्म के द्वारा अपना कार्यालय स्थापित कर कार्य किया जा रहा है।
- 1.8 एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ दिनांक 19 जून 2017 को प्रथम चरण का ऋण अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। परियोजना का क्रियान्वयन म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।
- 1.9 एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ द्वितीय चरण हेतु दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को ऋण अनुबंध निष्पादित किया है। परियोजना का क्रियान्वयन म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।
- 1.10 म.प्र. नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पी.एम.डी.एस.सी. (परियोजना प्रबंधन आकल्पन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार) हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मूल्यांकन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2. विश्व बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट परियोजना
 - 2.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए एवं अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय स्त्रोतों से छूटे हुए नगरों की जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के वित्त पोषण (ऋण) से मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है।
 - 2.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यों में 7 नगरों में मल जल निस्तारण एवं उपचार तथा 3 नगरों में जलप्रदाय योजना प्रगतिरत है।
 - 2.3 प्रस्तावित मल जल निस्तारण योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारे एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 4 नगर क्रमशः भेड़ाघाट, नसरुल्लागंज, महेश्वर, धरमपुरी तथा 3 अन्य महत्वपूर्ण नगर क्रमशः शाजापुर, छिंदवाड़ा, शहडोल सम्मिलित हैं।
 - 2.4 जल प्रदाय योजना बुरहानपुर, खरगौन एवं सेवड़ा में प्रगतिरत है।

- 2.5 परियोजना की कुल लागत रु. 1080 करोड़ (166.00 मिलियन यू.एस डॉलर) है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान एवं 70 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।
- 2.6 विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुनर्भुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।
- 2.7 विश्व बैंक के साथ दिनांक 12 जून 2017 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है।
- 2.8 परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।
3. केएफडब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वायरमेंट प्रोग्राम
 - 3.1 प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने एवं पर्यावरण उन्नत करने के लिये सीवरेज परियोजनाओं का क्रियान्वयन के एफ डब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वायरमेंट प्रोग्राम प्रगतिरत है।
 - 3.2 योजना के अंतर्गत नर्मदा नदी के किनारे एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 5 नगरों क्रमशः होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मण्डला, बड़वानी एवं सेंधवा में मल जल निस्तारण एवं उपचार प्रगतिरत है।
 - 3.3 परियोजना की कुल लागत रु 525 करोड़ (75 मिलियन यूरो) है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान तथा 70 प्रतिशत के एफ डब्ल्यू बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।
 - 3.4 केएफडब्ल्यू बैंक के साथ दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को अनुबंध किया जा चुका है।
 - 3.5 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।
- (द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम
 - 1 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश
 - 1.1 बढ़ते शहरीकरण व वर्तमान वैश्वीकरण के चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हुए, कोरोना महामारी के संकटकाल से उबर रहे देश को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 मई 2020 को "आत्मनिर्भर-भारत" योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, प्रौद्योगिकी का प्रशासन में समावेश एवं विस्तार, जनसांख्यिकी शक्ति को प्रबल करना तथा घरेलू बाजार में मांग एवं पूर्ति की क्षमता को बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।
 - 1.2 आत्मनिर्भर भारत की रणनीति के परिपालन में दिनांक 12 नवम्बर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के विकास का 'रोडमैप-2023' जारी किया गया है, जो विकास में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन पर स्पष्ट रणनीति तैयार की गई है।
 - 1.3 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में जन सहभागिता तथा मॉनिटरिंग की व्यवस्था को तकनीकी का व्यापक प्रयोग कर विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु "atmanirbhar.mp.gov.in" ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की गई है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप 2023 में वर्णित भौतिक अधोसंरचना विकास विषय अंतर्गत नगरीय विकास की गतिविधियों के विरुद्ध तय लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

विषय: भौतिक अद्योसंरचना			अल्पकालीन (मार्च 2021 तक)	मध्यकालीन (मार्च 2022 तक)	दीर्घकालीन (दिसंबर 2023 तक)
आउटकम	आउटपुट	गतिविधियाँ	उप-गतिविधियाँ		
समावेशी शहरी विकास	4	10	17	8	11
पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास	4	7	10	7	7
नगरीय सुशासन हेतु कानूनी और राजकोषीय सुधार	3	8	12	4	4
शहरी सेवा प्रदाय	5	9	15	9	10
नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार	2	2	3	2	2
कुल	18	36	57	30	34

- 1.4 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप-2023 के अंतर्गत विभाग द्वारा भौतिक अद्योसंरचना समूह में 5 आउटकम अंतर्गत 18 आउटपुट के माध्यम से कुल 36 गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग संबंधी अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कुल 121 उप-गतिविधियों को दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक तीन वर्ष के अंतराल में पूर्ण किये जाने हेतु लक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सक्षम क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर मंत्री-समूहों का गठन किया गया है, इन समूहों द्वारा दी गई विभाग के लिये 22 अनुशंसाओं को भी निर्धारित आउटकम अथवा आउटपुट के साथ सम्मिलित किया गया है।
- 1.5 पाँच आउटकम में प्रमुख रूप से समावेशी शहरी विकास के अंतर्गत शहरी गरीबों के उत्थान की रोजगार मूलक योजनाओं के साथ उनके कौशल विकास को प्रमुखता से शामिल किया गया है। तीन लाख शहरी गरीबों को आवास प्रदाय एवं किराये के आवास मुहैया कराने तथा रात्रिकालीन आश्रयों के सुदृढीकरण हेतु लक्ष्य रखा गया है।
- 1.6 पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास के अंतर्गत प्रदेश के शहरों में साफ सफाई, सीवरेज तथा वायु गुणवत्ता के विषयों को समेकित किया गया है। शहरी सुशासन की रणनीति मुख्य रूप से नियमों और अधिनियमों में व्यापक सुधार प्रस्तावित कर नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने के उपायों पर केंद्रित है। इसी अनुक्रम में शहरी सेवा प्रदाय गुणवत्ता के आउट-कम के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जन सामान्य को सहज एवं पारदर्शी सेवायें उपलब्ध कराने का प्रयास किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। शहरी जलप्रदाय एवं वर्षाजल निकासी के मानक मानदण्डों को प्राप्त करने तथा बस आधारित जन-परिवहन के विस्तार हेतु भी रोडमैप में लक्षित किया गया है। विभाग द्वारा नगरीय नियोजन के अंतर्गत GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार किये जाने, TOD/TDR को लागू किये जाने तथा भवन निर्माण अनुमति के साथ टाउन प्लानिंग की ई-सेवाओं के एकीकरण हेतु लक्ष्य नियत किये गये हैं।

1.7 अल्पकालीन लक्ष्यों के अनुरूप विभागीय क्रियान्वयन की स्थिति

1.7.1 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप-2023 के अंतर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुरूप विभाग द्वारा दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक की कालावधि में विभिन्न गतिविधियों व उप-गतिविधियों में विभाग द्वारा की गई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

विषय : नगरीय विकास एवं आवास	उप-गतिविधियां (121)		
	अल्प कालीन (मार्च 2021 तक)		
	कुल	पूर्ण	प्रगतिरत
आउट-कम (5)			
आउट-पुट (18)			
समावेशी शहरी विकास	17	16	1
पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास	10	9	1
नगरीय सुशासन हेतु कानूनी और राजकोषी सुधार	12	12	0
शहरी सेवा प्रदाय	15	13	2
नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार	3	2	1
कुल	57	52	5

1.7.1.1 पाँच आउट-कम के अंतर्गत सभी 18 आउटपुट की सभी 36 गतिविधियों पर कार्य प्रारम्भ कर 08 गतिविधियों के अंतर्गत प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण की गई है।

1.7.1.2 सभी 121 उप-गतिविधियों पर कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है। मार्च-2021 तक कुल 57 अल्पकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत 52 उप-गतिविधियों में कार्य 100% पूर्ण हो गया है तथा 05 पर कार्यवाही प्रचलित है।

2. नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

2.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है। इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं, आकस्मिक प्रयोजनों एवं अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष निधि का गठन किया गया है।

2.2 इस निधि के परिचालन के लिये “म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006” बनाये गये हैं।

2.3 वर्ष 2021-22 में विशेष निधि मद में विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये राशि रु. 227.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2021 तक राशि रु. 165.03 करोड़ नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।

3 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड

3.1 राज्य शासन की शत प्रतिशत अंश पूंजीधारित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन 27 अप्रैल, 2015 को किया गया है।

3.2 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड में माननीय मुख्यमंत्री जी को चेयरमैन तथा माननीय मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं मुख्य सचिव को कंपनी का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

- 3.3 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का प्रबंध संचालक तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का अतिरिक्त प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है।
 - 3.4 कंपनी के कार्यों को विस्तार देते हुए राज्य शासन द्वारा कंपनी को न केवल नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, बल्कि बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
 - 3.5 नगरीय निकायों में बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं जैसे, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा केएफडब्ल्यू इत्यादि द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार कंपनी के माध्यम से पेयजल, सीवेज परियोजनाओं के कार्यों का क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।
 - 3.6 इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कंपनी की 13 परियोजना क्रियान्वयन ईकाइयों का गठन किया जा रहा है।
 - 3.7 स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयनित नगरों में गठित स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) कंपनियों को मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की Subsidiary Company बनाया गया है।
- 4 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- 4.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों में मेट्रो रेल परियोजना क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (PIB) द्वारा दिनांक 11.09.2018 को अनुमोदित किया गया एवं केन्द्रीय मंत्रि-परिषद द्वारा दिनांक 03.10.2018 को स्वीकृति प्रदान की गई है। मेट्रो रेल परियोजना क्रियान्वित किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जा चुकी है:-
 - 4.1.1 भारत सरकार, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA) द्वारा जारी परियोजनाओं की स्वीकृति के नियमों एवं शर्तों के साथ भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।
 - 4.1.2 भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के स्वीकृति पत्रों दिनांक 30.11.2018 में प्रदर्शित परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के अनुसार भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की लागत रु. 6941.40 करोड़ तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत रु. 7500.80 करोड़ है।
 - 4.1.3 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत दो कॉरीडोरों का जिनकी कुल स्वीकृत लंबाई 27.87 किलोमीटर है एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत एक रिंग कॉरीडोर जिसकी कुल स्वीकृत लंबाई 31.55 किलोमीटर है का अनुमोदन अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है।
 - 4.1.4 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु European Investment Bank (EIB) को तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु Asian Development Bank (ADB) तथा New Development Bank (NDB) को Pose किया गया है।
 - 4.1.5 भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु DB Engineering and Consulting GmbH in consortium with Louis Burger SAS & Geodata Engineering S.p.A. को जनरल कंसल्टेंट चयनित किया गया है।

- 4.1.6 भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार एवं मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉ. लिमि. के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन दिनांक 19.08.2019 को निष्पादित किया गया।
- 4.1.7 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना हेतु EIB Board द्वारा दिनांक 14.11.2019 को वित्तीय पोषण हेतु ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना हेतु NDB Board द्वारा दिनांक 02.12.2019 को वित्तीय पोषण हेतु ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।
- 4.1.8 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन को भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त उपक्रम के रूप में पुनः गठित दिनांक 29.12.2020 को किया गया।
- 4.1.9 भोपाल मेट्रो रेल परियोजना एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के प्राइयोरिटी कॉरिडोर के सभी सिविल पैकेजों के कार्यादेश जारी किये जाकर कार्य प्रगति पर है।
- 4.1.10 दोनों परियोजनाओं के लिए आवश्यक सिस्टम पैकेजों की निविदाएं भी आमंत्रित कर ली गई हैं।
- 4.2 भोपाल के लिए अनुमोदित मेट्रो रेल परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:-

कॉरिडोर	कॉरिडोर का विवरण	लगभग लम्बाई (किमी)	लगभग लागत (करोड़ में)
Purple Line	करोंद चौराहा – भोपाल टॉकिज – रेल्वे स्टेशन – भारत टॉकिज – पुल बोगदा – सुभाष नगर अंडर पास – डी.बी. मॉल-बोर्ड ऑफिस चौराहा – हबीबगंज नाका – अल्कापुरी बस स्टैंड – एम्स	14.99	4406.57
Red Line	डिपो चौराहा-जवाहर चौक-रोशनपुरा चौराहा-मिटो हॉल-लिली टॉकिज-जिंसी चौराहा-पुल बोगदा-प्रभात चौराहा-अप्सरा टॉकिज-गोविंदपुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया-रत्नागिरी तिराहा	12.88	2534.83
	कुल	27.87	6941.40

- 4.3 इंदौर के लिए अनुमोदित मेट्रो रेल परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:-

कॉरिडोर	कॉरिडोर का विवरण	लगभग लम्बाई (किमी)	लगभग लागत (करोड़ में)
Yellow Line	ननोद – सुपर कॉरिडोर – भंवरसाला चौराहा – एम.आर. टेन फ्लाईओवर – विजय नगर चौराहा – रेडिसन चौराहा – बंगाली चौराहा – पलासिया चौराहा – राजवाड़ा – बड़ा गणपति – कलानी नगर- एयरपोर्ट – ननोद	31.53	7500.80
	कुल	31.53	7500.80

4.4 स्वीकृति के अनुसार परियोजना का वित्त पोषण निम्नवत होगा:—

स. क्र.	परियोजना का नाम	कुल लागत	विभिन्न संस्थाओं का अंशदान/योगदान			रिमार्क
			भारत सरकार	राज्य सरकार/ MPMRCL (यथा प्रयोज्य)	बाह्य एजेंसी	
1.	भोपाल मेट्रो रेल परियोजना	रु. 6941.40 करोड़	रु. 1164.44 करोड़	रु. 1843.62 करोड़	रु. 3493.34 करोड़ (EIB ऋण)	रु. 440.00 करोड़ PPP Component
2.	इंदौर मेट्रो रेल परियोजना	रु. 7500.80 करोड़	रु. 1276.36 करोड़	रु. 1955.33 करोड़	रु. 3200.00 करोड़ (ADB एवं NDB ऋण)	रु. 440.00 करोड़ PPP Component

5 प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल

- 5.1 प्रदेश के शहरों में पार्किंग को व्यवस्थित करने एवं नवीन पार्किंग संस्कृति के विकास हेतु राज्य शहरी पार्किंग नीति के साथ पार्किंग नियम बनाए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
- 5.2 प्रदेश के अमृत मिशन शहरों में Net Cost Model अंतर्गत 20 शहरों में से 15 शहरों (भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, देवास, खण्डवा, बुरहानपुर, भिण्ड, मुरैना, गुना, जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, सिंगरौली एवं छिंदवाड़ा) में कुल 870 बसों (शहरी मार्गों—529 एवं अन्तर्शहरी मार्गों—341) का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इंदौर शहर में 40 इलेक्ट्रिक बसों का भी संचालन किया जा रहा है।
- 5.3 वर्ष 2022—23 में लगभग 1500 नवीन बसों का शहरी क्षेत्रों में संचालित किया जाना लक्षित है।
- 5.4 प्रदेश के शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु चार्जिंग अधोसंरचना विकास किया जा रहा है। इंदौर तथा भोपाल में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
- 5.5 प्रदेश की DUTF योजना के अंतर्गत जारी की गई राशि के द्वारा फुट ओवरब्रिज, रोड ओवरब्रिज, बस टर्मिनल, बस स्टेण्ड, पार्किंग, लोक परिवहन एवं यातायात को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रचार—प्रसार, आधुनिक तकनीकी संस्थापन जैसे— सी.सी.टी.वी. कैमरा, जी.पी.एस., ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, फुटपॉथ निर्माण आदि कार्य किये जा रहे हैं।
- 5.6 प्रदेश के 20 शहरों में अमृत योजना अन्तर्गत बस सेवा संचालन के द्वारा बसों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ITMS उपकरण (GPS, कैमरा, यात्री सूचना तंत्र एवं महिलाओं की सूचना के लिए पैनिक बटन इत्यादि) एवं कन्ट्रोल कमाण्ड सेंटर द्वारा सभी बसों की निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।
- 5.7 नगरीय निकायों के अधीनस्थ बस स्टेण्डों पर रेलवे की भाँति बसों के आने—जाने की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई है।
- 5.1 वर्ष—2021 में चिन्हित 14 ब्लैक स्पॉटों के परिशोधन की कार्यवाही की गई।

6 शहरी सुधार कार्यक्रम

प्रदेश के नगरीय निकायों प्रणाली में सुधार कर पारदर्शिता लाने तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु “शहरी सुधार कार्यक्रम योजना” लागू की गई है, जिसे परियोजना परीक्षण समिति के अनुमोदन से विभाग के पत्र क्रमांक 3844/2013/18—2/2820, दिनांक 12.12.2013 से स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अर्न्तगत सम्मिलित प्रमुख घटक तथा उनकी प्रगति निम्नानुसार है :—

1.	नगरीय निकायों की लेखा प्रणाली के संभूति आधारित द्विप्रविष्टिीय लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना।	191 निकायों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 187 निकायों में कार्य प्रगति पर है। नवगठित निकायों में निविदाएं आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।
2.	जी.आई.एस. आधारित मानचित्र तैयार कर संपत्तिकर के दायरे तथा वसूली में वृद्धि किया जाना।	<ul style="list-style-type: none"> जी.आई.एस. आधारित बहुउद्देशीय पारिवारिक सर्वेक्षण कार्य अन्तर्गत सभी 294 में से 244 नगरीय निकायों का आधार मानचित्र कार्य पूर्ण। 294 नगरीय निकायों में से ही 152 नगरीय निकायों का सम्पत्ति सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 113 नगरीय निकायों के जी.आई.एस. आधारित बहुउद्देशीय पारिवारिक सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

7 करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

- 7.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत अनुदान राशि प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व संग्रहण के लिये कमशः प्रथम पांच नगर पालिक निगम, प्रथम 10 नगर पालिका परिषद् एवं प्रथम 10 नगर परिषदों को प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं।

(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

- 1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980 बनाये गये हैं, जिसमें वर्णित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।
- 1.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन "नियंत्रक पेंशन, स्थानीय निकाय" नामांकित हैं। योजना के संचालन के लिये संचालनालय स्तर पर "कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज मध्यप्रदेश" के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन अंशदान की राशि जमा की जाती है।
- 1.3 योजना के संचालन के लिये वर्तमान में नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जा रही है।
- 1.4 प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में नगरीय निकायों के कुल 14980 सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर रुपये 22.50 करोड़ प्रतिमाह वित्तीय भार आ रहा है।
- 1.5 नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपदान की राशि का भुगतान भी उपरोक्त निधि से ही किया जा रहा है।
- 1.6 वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना के अंतर्गत पेंशन के कुल 1445 प्रकरण निराकृत किये गये, जिसमें उपदान के रूप में रुपये 62.90 करोड़ का भुगतान किया गया। साथ ही नियमित पेंशन भुगतान पर कुल रुपये 265.00 करोड़ का व्यय हुआ।

- 1.7 वर्तमान में प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल स्थित शाखा लिंक रोड-1 के माध्यम से नियमित रूप से पेंशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही दिनांक 31.12.2014 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भारतीय स्टेट बैंक की गोविंदपुरा, भोपाल स्थित केन्द्रीयकृत प्रक्रिया इकाई के माध्यम से पेंशन का वितरण किया जा रहा है।
- 1.8 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्वयं के स्तर पर पेंशन योजना संचालन कर रहे हैं।

2. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

- 2.1 विभाग द्वारा राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश की नगरीय निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 01.01.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए “राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)” लागू की गई है।
- 2.2 योजना के अंतर्गत NSDL (National Securities Depository Limited) द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों एवं नगरीय स्थानीय निकायों को DTO Registration Number आवंटित किये गये हैं, जिस पर राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित समस्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
- 2.3 NSDL द्वारा आवंटित किए गए DTO के User ID एवं Password के माध्यम से अधीनस्थ कार्यालयों एवं नगरीय स्थानीय निकायों में राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को PRAN आवंटित किए जाते हैं तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं, उनके Data & Fund NSDL/NPS Trust को अंतरित किए जा रहे हैं।

3. मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी-बीमा-सह-बचत योजना, 2014

- 3.1 विभाग द्वारा प्रदेश के नगरपालिका सेवकों के लिए पूर्व से लागू की गई परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 का पुनरीक्षण किया जाकर इसे अधिक लाभकारी बनाते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के समान ही मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी-बीमा-सह-बचत योजना अक्टूबर, 2014 से लागू की गई है।
- 3.2 योजना का संचालन परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 की भांति पूर्वानुसार ही संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत यूनिट के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों को मासिक अंशदान देना होता है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान तथा बीमा मूल्य निम्नानुसार है:-

अधिकारी/ कर्मचारी की श्रेणी	यूनिट की संख्या	यूनिट का मूल्य	अंशदान की राशि	बीमा मूल्य	बीमा धन	बचत राशि
1	2	3	4	5	6	7
चतुर्थ श्रेणी	1	100	100	1,25,000	35	65
तृतीय श्रेणी	2	100	200	2,50,000	70	130
द्वितीय श्रेणी	4	100	400	5,00,000	140	260
प्रथम श्रेणी	6	100	600	7,50,000	210	390

- 3.3 योजना के अंतर्गत सदस्य कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर परिवार के नामांकित सदस्य/वैध उत्तराधिकारी को बीमा राशि के साथ-साथ बचत निधि में जमा राशि भी ब्याज सहित भुगतान की जाती है, परन्तु कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/सेवा से निकाले जाने/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा त्याग पत्र देने पर उसे केवल बचत निधि में जमा राशि भुगतान की जाती है।

- 3.4 वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना के अंतर्गत कुल 1052 प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिनमें कुल राशि रुपये 6.90 करोड़ का भुगतान किया गया।
4. सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना, 1988
 - 4.1 प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समूह बीमा योजना दिनांक 01.04.1988 से प्रारंभ की गई है।
 - 4.2 उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रति हितग्राही रुपये 240.00 और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रुपये 720.00 वार्षिक निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत सफाई कर्मचारी की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रुपये 1,00,000.00 और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रु. 2,00,000.00 सफाई कर्मचारियों द्वारा नामांकित व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है।
 - 4.3 वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 58 प्रकरणों में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामांकित व्यक्तियों को कुल राशि रुपये 29.00 लाख का भुगतान किया गया।

भाग-चार

अन्य प्रशासनिक विषय

- 1 विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम
 - 1.1 74^{वें} संविधान संशोधन में अंतर्निहित समावेशी शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समता मूलक अभिशासन आवश्यक है। प्रशिक्षण उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावी साधन है। इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिये विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 2013 में की गई है। इस प्रशिक्षण संस्थान का नाम सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान (Sunderlal Patwa National Institute of Urban Management - SPNIUM) है, जिसका संशोधित पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत दिनांक 16 जून, 2021 को किया गया है।
 - 1.2 संस्थान की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 10.12 हेक्टेयर भूमि राजा भोज अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट के समीप भौरी, जोन क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 3 नगर पालिक निगम भोपाल क्षेत्र में प्रदान की गयी है। वर्तमान में संस्थान को आवंटित की गयी भूमि पर प्रशिक्षण एवं आवासीय भवनों के निर्माण की कार्यवाही यांत्रिकी प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रचलित है।
 - 1.3 सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, नव नियुक्त लोकसेवकों, पूर्व से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नगरीय विकास से सरोकर रखने वाले स्टेकहोल्डर्स के लिये व्यवस्थित उन्मुखीकरण, परिचयात्मक एवं आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमीनार/कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय वार्षिक प्रशिक्षण पंचाग अनुसार किया जाता है।
 - 1.4 वर्ष 2021-22 में राज्य बजट से सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से ऑनलाईन एवं आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाकर कुल 1583 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।
 - 1.5 भारत सरकार की ICBP परियोजना के अंतर्गत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे ESCI, Hyderabad, AIILSG New Delhi, IIPA New Delhi आदि के माध्यम से विभिन्न मिशनों के अंतर्गत 138 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- 1.6 पूर्व वर्ष की भौति सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान द्वारा वर्ष 2022-23 के लिये विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं एवं नगरीय विकास एवं आवास से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं विषयों को ध्यान में रखते हुए विभागीय प्रशिक्षण पंचाग तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए लगभग 3000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।
2. सूचना प्रौद्योगिकी
 - 2.1 विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट भी प्रारंभ की गई है, जिसका यूआरएल www.mpurban.gov.in है। वेबसाइट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित आवश्यक जानकारी “स्टैटिक” और “डायनेमिक” रूप में उपलब्ध है।
3. ई-नगर पालिका
 - 3.1 ई-नगर पालिका परियोजना अन्तर्गत विभाग द्वारा समस्त 407 नगरीय निकायों में SAP - ERP आधारित एप्लीकेशन का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां कि प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों को एक ही एप्लीकेशन पर लाया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों के द्वारा 23 नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। नागरिक मोबाईल एप द्वारा भी समस्त नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे निकायों में नागरिक सेवाओं की पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ी है।
 - 3.2 नगरीय निकायों की आंतरिक व्यवस्था को भी ई-नगर पालिका अंतर्गत सम्पूर्ण रूप से कम्प्यूटराईज्ड किया गया है। निकाय द्वारा 11 प्रमुख मोड्यूल एवं इसके अन्तर्गत सब मोड्यूल्स में ऑनलाइन कार्य ई-नगर पालिका के माध्यम से किया जा रहा है। समस्त प्रकार के भुगतान डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित किये जाने के प्रावधान को अनिवार्य कर, समस्त भुगतान ऑनलाइन नेट बैंकिंग द्वारा किये जाने की सुविधा को बढ़ावा दिया जाकर कैशलेस अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल इंडिया हेतु व्यापक योगदान दिया जा रहा है।
 - 3.3 समस्त प्रकार के राजस्व की प्राप्ति ई-नगर पालिका के माध्यम से ऑनलाइन लिये जाने की सुविधा है। निकायों में पीओएस मशीन के माध्यम से डोर-टू-डोर कलेक्शन किया जा रहा है। विभिन्न UPI जैसे Phonepay, Google PAY, Paytm आदि के माध्यम से नागरिकों द्वारा संपत्तिकर एवं जलउपभोक्ता प्रभार का भुगतान किया जा रहा है।
 - 3.4 नगरीय निकायों में पारदर्शिता को बढ़ाये जाने हेतु समस्त बजट एवं वित्तीय प्रबंधन कार्यों को ई-नगरपालिका में एकीकृत कर, अब संचालनालय स्तर से निकायों को दी जाने वाली अनुदानों का भुगतान भी ई-नगरपालिका के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार ई-नगरपालिका बेहतर बजटिंग द्वारा कार्य कुशल ई-गवर्नेंस का अनूठा उदाहरण है।
 - 3.5 निकायों में निर्माण/विकास कार्य की स्वीकृति ऑनलाइन ई-नगर पालिका से की गई है। इसी प्रकार निकायों को ऑनलाइन सामग्री क्रय करने की सुविधा है।
 - 3.6 निकाय अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के डेटा को कम्प्यूटराईज्ड किया गया है तथा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/मानदेय का भुगतान ई-नगरपालिका से किया जा रहा है।
 - 3.7 विभिन्न शासकीय विभागों को उपयोग हेतु API के माध्यम से डाटा शेयर किया गया है।

4. ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन एंड अप्रुवल सिस्टम (ABPAS)
 - 4.1 मध्यप्रदेश के 405 नगरीय निकायों में यूनिफार्म एवं पारदर्शी तरीके से भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम लागू किया गया है। ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम के अंतर्गत निकाय कार्यालय में उपस्थित हुए ही बिना ही भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन ऑनलाईन स्वीकृत किये जाते हैं एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया बिना किसी मानव हस्तक्षेप के प्रोसेस की जाती है। यहां तक की बिल्डिंग इंस्पेक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण के समय भी मोबाइल एप द्वारा ही जानकारी प्राप्त कर, सिस्टम में अपलोड कर दी जाती हैं। अब तक कुल 199244 भवन अनुज्ञाएँ ऑनलाईन माध्यम से स्वीकृत की गई हैं, जिसमें 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022 तक कुल 33677 भवन अनुज्ञा ऑनलाईन स्वीकृत की गई हैं।
 - 4.2 मध्यप्रदेश के 405 नगरीय निकायों में भूमि विकास नियम में दिये गये प्रावधानों अनुसार ऑनलाईन कम्पाउंडिंग (प्रशमन) लागू किया गया है। ऑनलाईन कम्पाउंडिंग प्रणाली में शुल्क भी सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट किया जाता है एवं शुल्क के लिए सभी ऑनलाईन भुगतान विकल्प का उपयोग किया जाता है।
 - 4.3 ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम में नागरिक स्वयं प्लिंथ प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र और अधिभोग प्रमाण पत्र, ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
 - 4.4 भवन अनुज्ञा के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या 16 से घटकर 5 और साइट निरीक्षण चेकलिस्ट बिन्दुओं को भी 43 से घटाकर 26 कर दिया गया है।
 - 4.5 फीस में सिस्टम द्वारा स्वतः ही शुल्क जनरेट किया जाता है तथा शुल्क भुगतान हेतु समस्त प्रकार के ऑनलाईन माध्यम स्वीकार किये जाते हैं।
 - 4.6 प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु राज्य शासन द्वारा अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा समयक् रूप से पंजीकृत वास्तुविद/संरचना, इंजीनियर को 300 वर्ग मी. तक के क्षेत्रफल के भू-खण्डों पर भवन अनुज्ञा जारी किये जाने की शक्तियां प्रदान कि गई हैं।
5. वीडियो कांफ्रेंसिंग
 - 5.1 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों के अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा संभागीय अधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जा रही है।
6. मध्यप्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग
प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के हितों तथा अधिकारों को बढ़ावा देने तथा सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है।
7. मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मण्डल
प्रदेश के परम्परागत वस्त्र सिलाई करने वाले जन समुदाय के जीवन स्तर के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिये मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मण्डल का गठन किया गया है।
8. मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी मण्डल
प्रदेश के परम्परागत केश शिल्प करने वाले जन समुदाय के जीवन स्तर के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिये मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी मण्डल का गठन किया गया है।

9. मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल

प्रदेश के परम्परागत वस्त्र प्रक्षालन करने वाले जन समुदाय के जीवन स्तर के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिये मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल का गठन किया गया है।

10. अधिनियमों/नियमों में संशोधन

- 10.1 नगरीय स्थानीय निकायों के अंतर्गत विवाह स्थल के पंजीयन एवं उपभोग के नियंत्रण के संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका (विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग) आदर्श उपविधि, 2020 बनाई गई, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 06.01.2021 को किया गया।
- 10.2 नगरीय स्थानीय निकायों के अंतर्गत संविदा आधार पर व्यक्तियों की भर्ती, पारिश्रमिक और संविदा सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने हेतु मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तों) सेवा नियम, 2021 बनाए गए, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 01.06.2021 को किया गया।
- 10.3 नगरीय स्थानीय निकायों के अंतर्गत ऐसी भूमि जिस पर कृषि हो रही हो, उसे कर योग्य सम्पत्ति मूल्य की गणना के प्रयोजन से मुक्त किए जाने हेतु मध्यप्रदेश नगरपालिका (भवनों एवं भूमियों के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम, 2020 में संशोधन किया गया, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 01.06.2021 को किया गया।
- 10.4 नगरीय स्थानीय निकायों के अंतर्गत प्रशमन की सीमा में वृद्धि किए जाने हेतु मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क एवं शर्तें) नियम, 2016 में संशोधन किया गया, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 13.08.2021 को किया गया।
- 10.5 नगरीय स्थानीय निकायों के अंतर्गत कॉलोनियों के विकास के संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 बनाए गए, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 13.01.2022 को किया गया।

11. जन अभियान

- 11.1 मास्क ही है जिंदगी अभियान अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कोरोना के दुष्प्रभावों से बचने के लिए नागरिकों को अनिवार्य प्रोटोकाल अपनाने हेतु प्रेरित किया गया है। इस अभियान अंतर्गत समाज के सभी वर्गों में मास्क के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने के लिए जन सहयोग से मास्क बैंक स्थापित किए गए हैं, मास्क को उचित प्रकार से पहनने व उपयोग किए गए मास्क के सुरक्षित निपटान के लिए भी जागरूकता इस अभियान के माध्यम से की गई। इस महत्त्वकांक्षी अभियान को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संचालित किया गया, जिसमें अंतर्गत 10.81 लाख से अधिक मास्क का वितरण किया गया। इस अभियान को सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटकों और जनसम्पर्क गतिविधियों आदि के माध्यम से निरंतर प्रसारित किया गया जिसके माध्यम से 10.31 लाख से अधिक परिवारों से सीधे संपर्क स्थापित किया है।
- 11.2 स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण के माध्यम से शहरों में नागरिकों को सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आयोजन कर स्वच्छता अपनाने और कचरा प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे बल्क वेस्ट जनरेटर्स की प्रणाली में उन्हें सम्मिलित किया जा सके। अभियान द्वारा विद्यालयों, स्वास्थ्य सुविधाओं, होटल और रेस्टोरेंट, कार्यालयों और हाकर्स जोन को शामिल कर 9340 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई। जिसमें हर घटक में निकाय स्तरीय परीक्षण दलों द्वारा भ्रमण करके स्वच्छता का परीक्षण सर्वे किया गया। इसके आधार पर नगरीय निकायों में विजेता प्रतिष्ठानों को दिनांक 14 फरवरी 2022 को जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया है।

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश

भाग – एक

1.1 विभागीय संरचना

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी जिसका मुख्यालय वर्तमान में “पर्यावरण परिसर” ई-5, अरेरा कालोनी भोपाल में स्वयं के भवन में दिनांक 23.09.2001 से कार्यरत है । विभाग का मुख्य उद्देश्य एवं दायित्व नगरों को सुसंगठित एवं सुनियोजित रूप से बसाने के लिये उनकी विकास योजनाएं तैयार करना होता है, एवं एक नियमित अंतराल पर उस विकास योजना का नगर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षण करना एवं प्रादेशिक विकास योजना बनाना है । इस कार्य को संपादित करने के लिये विभाग की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:-

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

वर्ष 1999 में जिला सरकार की अवधारणा एवं वर्ष 2000 में राज्य पुनर्गठन होने के पश्चात संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों को जिला कार्यालय में तब्दील किया गया, जिसके अनुसार वर्तमान में संचालनालय के अतिरिक्त 28 जिला कार्यालय जिसमें 7 संयुक्त संचालक कार्यालय, यथा- भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, 10 उप संचालक कार्यालय, यथा- होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, रतलाम, सिंगरौली, शहडोल, खण्डवा, सतना, नीमच, देवास, गुना एवं 11 सहायक संचालक कार्यालय, यथा- बैतूल, राजगढ़, विदिशा, कटनी, मण्डला, भिण्ड, छतरपुर, झाबुआ, अनूपपुर, श्योपुर, खरगौन वर्तमान में कार्यरत है ।

1.3 अमला

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के लिये स्वीकृत अमला निम्न तालिका अनुसार है-

स.क्र	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1.	आयुक्त सह संचालक / संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	01
2.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	02
3.	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	11
4.	उप संचालक(नियोजन)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	15
5.	उप संचालक(सर्वे)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (सर्वे में योग्यताधारी)	02
6.	उप संचालक(रिसर्च)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	01
7.	उप संचालक(स्था)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (विभागीय सेवा)	01
8.	सहायक संचालक(योजना)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	26
9.	सहायक संचालक (सर्वे / प्रोजेक्ट)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (सर्वे / प्रोजेक्ट में योग्यताधारी)	07
10.	सहायक संचालक (रिसर्च)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	05
11.	सहायक संचालक(स्था)	द्वितीय श्रेणी (विभागीय सेवा)	01
12.	लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01

13.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
14.	संपरीक्षक(आडीटर) (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
15.	सूचना प्रौद्योगिक अधिकारी(प्रोग्रामर)	संविदा सेवा पर	01
16.	सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	संविदा सेवा पर	02
17.	मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	45
18.	सहायक मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	50
19.	अनुरेखक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	73
20.	उपयंत्री	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	40
21.	वरिष्ठ भू-मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	21
22.	कनिष्ठ भू-मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	30
23.	वरिष्ठ रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
24.	रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
25.	अन्वेषक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	26
26.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 (स्टाफ आफिसर)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	02
27.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (निज सचिव)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	04
28.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (निज सहायक)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	11
29.	स्टेनो टायपिस्ट	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	22
30.	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
31.	सहायक अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
32.	सहायक ग्रेड-1	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	25
33.	सहायक ग्रेड-2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	46
34.	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	66
35.	स्टोर कीपर	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
36.	कोडर/केड आपरेटर/ फोटोग्राफर/ मॉडलर / सहा.मॉडलर/ कलाकार/ नीलमुद्रक के पदों को डाइंग केडर घोषित कर इनकी सेवा निवृत्ति के बाद कम्प्यूटर अपरेटर के नवीन पद	डाइंग केडर घोषित होने के बाद कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा सेवा नियुक्ति	41
37.	ग्रन्थपाल	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	01
38.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी-12 संविदा पर -09	21
39.	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	13
40.	प्रेसमेन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
41.	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	29

42.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-57 संविदा सेवा पर-41	98
43.	चैनमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-28 संविदा सेवा पर-06	34
44.	वाटरमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
45.	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

उल्लेखनीय है, कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विभागीय सेटअप का 2013 में पुनरीक्षण किया जाकर विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत 525 पदों के स्थान पर 836 पद स्वीकृत किये गये हैं।

1.4 विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थाएँ

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी आते हैं, जिनका गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है। जो वर्तमान में निम्नानुसार कार्यरत हैं :-

नगर विकास प्राधिकारी		विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी	
1	भोपाल विकास प्राधिकरण	1	ग्वालियर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ग्वालियर काउंटर मेग्नेट)
2	इंदौर विकास प्राधिकरण	2	पचमढ़ी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
3	ग्वालियर विकास प्राधिकरण	3	खजुराहो (पर्यटन क्षेत्र) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
4	जबलपुर विकास प्राधिकरण	4	महेश्वर-मंडलेश्वर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
5	उज्जैन विकास प्राधिकरण	5	ओरछा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
6	देवास विकास प्राधिकरण	6	चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
7	रतलाम विकास प्राधिकरण		
8	कटनी विकास प्राधिकरण		
9	अमरकंटक विकास प्राधिकरण		
10	सिंगरौली विकास प्राधिकरण		

2. संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के दायित्व

2.1 संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के मुख्य कार्यकलाप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :-

2.2 नगर विकास योजना तैयार करना – राज्य के नगरों की विकास योजनायें बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के नगरों के अतिरिक्त पवित्र नगर, पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक महत्व के नगरों की विकास योजना तैयार की जाती है। अभी तक कुल 98 नगरों की विकास योजनायें प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिसमें से 88 विकास योजनायें अंगीकृत की गई हैं।

क्र	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	क्रियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7
1	इंदौर	10-06-1974	01-03-1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
2	भोपाल	19-11-1974	25-08-1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
3	उज्जैन	20-05-1975	28-10-1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय/धार्मिक
4	खजुराहो	26-10-1975	11-10-1977	नगर पंचायत	1991	पर्यटक
5	जबलपुर	26-08-1977	28-09-1979	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
6	ग्वालियर	09-03-1979	21-10-1980	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय/पर्यटक
7	देवास	04-09-1979	10-03-1986	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय/औद्योगिक
8	शिवपुरी	25-04-1987	05-08-1988	नगर पालिका	2001	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
9	चंदेरी	27-06-1987	24-01-1989	नगरपालिका	2001	पर्यटक/ हतकरघा औद्योगिक
10	रतलाम	24-06-1985	28-05-1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
11	रीवा	28-03-1987	27-11-1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय
12	सतना	29-08-1986	18-04-1991	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय /औद्योगिक
13	बुरहानपुर	26-02-1993	08-06-1995	नगर निगम	2005	जिला मुख्यालय/ हथ करघा औद्योगिक
14	नव हरसूद	23-01-1995	14-02-1997	साडा	2011	तहसील मुख्यालय
15	दमोह	04-07-1994	19-03-1998	नगर पालिका	2005	जिला मुख्यालय
16	चित्रकूट	06-09-1994	03-08-1998	नगर पंचायत	2005	पवित्र/धार्मिक
17	बीना	15-04-1999	14-01-2000	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय/औद्योगिक
18	सागर	05-06-1999	03-03-2000	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
19	सांची	01-11-1999	11-07-2000	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
20	नीमच	25-10-1999	05-07-2000	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
21	पन्ना	21-10-1999	17-05-2000	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
22	ग्वालियर साडा	22-10-1999	24-04-2000	साडा	2011	साडा
23	इटारसी	22-02-2000	09-03-2001	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
24	खण्डवा	29-02-2000	09-03-2001	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
25	मैहर	18-09-2000	31-08-2001	नगरपालिका	2011	पवित्र/धार्मिक
26	मांडव	24-01-2001	02-11-2001	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
27	छिंदवाड़ा	14-02-2001	09-08-2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
28	शहडोल	22-01-2001	05-12-2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
29	खरगौन	16-03-2002	05-12-2002	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
30	जावरा	25-03-2002	16-12-2002	नगर पालिका	2011	तहसील मुख्यालय
31	विदिशा	10.08.2001	21-01-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
32	मंदसौर	29-09-2002	12-05-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय

33	पाण्डुर्ना	21-01-2003	29-08-2003	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
34	गुना	29-03-2003	29-08-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
35	झाबुआ	05-05-2003	10-10-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
36	सीहोर	27.06.2001	31-05-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
37	भिण्ड	04-09-2003	28-05-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
38	टीकमगढ़	28-02-2004	17-12-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
39	सिहोरा	23-06-2004	28-01-2005	नगरपालिका	2011	तहसील
40	बड़वानी	06-07-2004	17-12-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
41	सिंगरौली	20-08-2004	20-05-2005	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय/ माइनिंग
42	अमरकंटक	30-10-2004	20-05-2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर/ धार्मिक
43	बैतूल	10-12-2004	30-08-2005	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
44	महेश्वर	22-03-2005	12-09-2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर/ धार्मिक
45	होशंगाबाद	27-04-2005	03-02-2006	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
46	बालाघाट	29-06-2005	26-05-2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
47	शाजापुर	06-09-2005	12-05-2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
48	ओंकारेश्वर	18-11-2005	11-08-2006	नगर पंचायत	2021	पवित्र नगर/ धार्मिक
49.	राजगढ़	16.01.2006	11-08-2006	नगर पंचायत	2021	जिला मुख्यालय
50.	उमरिया	18.03.2006	09-03-2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय/ माइनिंग
51.	मण्डला	31-05-2006	09-03-2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय/ पवित्रनगर
52.	ओरछा	03-08-2002	18-05-2007	नगर पंचायत	2011	पवित्र नगर
53.	सीधी	25-09-2006	17-09-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
54	छतरपुर	15-02-2007	17-09-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
55	अशोकनगर	30-06-2007	04-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
56	अलीराजपुर	30-08-2007	04-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
57	दतिया	05-01-2008	04-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
58	रायसेन	21-01-2008	04-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
59	मुरैना	28-03-2008	04-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
60	हरदा	27-03-2006	08-10-2008	नगरपालिका	2015	जिला मुख्यालय
61	बैरसिया	29-07-2006	08-10-2008	नगर पंचायत	2011	तहसील
62	सिवनी	14-08-2007	08-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
63	कटनी	31-03-2006	19-06-2009	नगरनिगम	2021	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
64	अनूपपुर	05-09-2008	27-06-2009	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
65	नरसिंहपुर	29-07-2006	30-03-2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
66	श्यापुर	22-07-2008	16-04-2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
67	धार	12-01-2009	16-04-2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
68	डबरा	07-07-2009	16-04-2010	नगरपालिका	2021	तहसील एवं औद्योगिक
69	मुलताई	12-10-2009	04-03-2011	नगरपालिका	2021	तहसील/ पवित्र नगरी
70	गोहद	08-03-2013	19-09-2013-	नगर पालिका	2031	तहसील
71	गंजबासौदा	10-05-2013	20-06-2014	नगर पालिका	2031	तहसील
72	पिपरिया	11-08-2011	01-08-2014	नगरपालिका	2021	तहसील
73	शुजालपुर	22.02.2014	27-02-2015	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
74	सैधवा	22-10-2011	16-03-2015	नगरपालिका	2021	तहसील

75	रामपुरबाघेलान	30-03-2012	26-08-2015	नगर परिषद	2021	तहसील
76	खुरई	22-010-2009	12-02-2016	नगरपालिका	2021	तहसील
7	भेड़ाघाट	15-09-2011	16-09-2016	नगर पंचायत	2021	तहसील
78	बांधवगढ़	17-09-2012	16-09-2016	नगर पंचायत	2031	पर्यटक स्थल
79	हनुवंतिया	21-04-2016	08-12-2016-	नगर पंचायत	2035	पर्यटक
80	आगर मालवा	29-01-2015	27-03-2017	नगर पंचायत	2041	जिला मुख्यालय
81	चाकघाट	08-02-2012	18-08-2017	नगर पंचायत	2021	तहसील
82	सलकनपुर	23-12-2011	22-09-2017	नगर पंचायत	2021	पवित्र नगर
83	मण्डीदीप	24-05-2013	27-07-2017	नगर पालिका	2031	औद्योगिक
84	नागदा	10-10-2011	22-06-2018	नगर पालिका	2021	औद्योगिक
85	आलोट	30-03-2012	21-09-2018	नगर पंचायत	2031	तहसील
86	सिरोंज	30-03-2017	9-02-2018	नगर पालिका	2031	तहसील
87	कुक्षी	30-03-2012	22-06-2018	नगर परिषद	2031	तहसील
88	आमला	22-03-2012	12-10-2018	नगर पालिका	2021	तहसील
89	नौगांव	11-02-2010	पुनः प्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	तहसील
90	गरौठ	10-08-2011	पुनः प्रकाशन किया जाना है	नगर पंचायत	2021	तहसील
91	मढ़ई	05-10-2011	पुनः प्रकाशन किया जाना है	नगर पंचायत	2021	पर्यटक
92	सौंसर	23-12-2011	पुनः प्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	तहसील
93	पचमढी	11-08-1998	पुनः प्रकाशन किया जाना है	साडा	2011	पर्यटक
94	आष्टा	30-08-2006	पुनः प्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	तहसील
95	नरसिंहगढ़	29-09-2006	पुनः प्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	तहसील
96	डिण्डोरी	31-07-2009	पुनः प्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
97	ब्यावरा	22-12-2011	पुनः प्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	तहसील
98	पीथमपुर	02-04-2021		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (तहसील मुख्यालय)

2.3 पुनरीक्षित विकास योजना – इसके अंतर्गत प्रभावशील नगर विकास योजना के प्रथम/द्वितीय चरण उपरान्त पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उपान्तरण कर पुनरीक्षित विकास योजना तैयार की जाती है । इसके अंतर्गत 71 पुनरीक्षित विकास योजनायें प्रकाशित कर 44 विकास योजनाएँ प्रभावशील की जा चुकी हैं, विवरण निम्नानुसार है –

पुनरीक्षित विकास योजनायें

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	क्रियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7
1.	भोपाल	17-10-1994	09-06-1995	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
2.	खजुराहो	04- 03-1994	05-06-1995	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
3.	ग्वालियर	29-10-1995	19-03-1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय / पर्यटक
4.	जबलपुर, (प्रथम चक्र)	29-12-1995	08-12-1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय

5.	देवास	18-03-2002	17-12-2002	विकास प्राधि.	2011	जिला मुख्यालय / औद्योगिक
6.	उज्जैन	13-08-2005	06-06-2006	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय / पवित्र नगर
7.	इंदौर	13-07-2006	01-01-2008	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय
8.	जबलपुर (द्वितीय चक्र)	09-02-2007	01-10-2008	विकास प्राधि	2021	जिला मुख्यालय
9.	रीवा	21-01-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
10.	सतना	30-06-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
11.	बुरहानपुर	02-07-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
12.	रतलाम	22-10-2009	14-06-2013	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
13.	बैतूल	13-01-2013	19-09-2013	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय पर्यटक
14.	दमोह	15-03-2013	19.09..2013	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
15.	होशंगाबाद	14-06-2013	20-06-2014	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय धार्मिक नगर
16.	ग्वालियर	1208-2011	12-09-2014	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय / पर्यटन
17.	मैहर	28-02-2014	16-03-2015	नगर पालिका	2031	धार्मिक नगर
18.	सिंगरौली	21-02-2014	27-03-2015	विकास प्राधि.	2031	औद्योगिक
19.	शहडोल	28-01-2014	31-03-2015	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
20.	खण्डवा	05-09-2012	11-11-2016	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
21.	सीहोर	28-06-2014	11-11-2016	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
22.	इटारसी	05-03-2015	28-10-2016	नगर पालिका	2031	तहसील
23.	नीमच	07-02-2014	27-03-2017	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
24.	ओकरेश्वर	30-09-2016	02-05-2017	नगर पंचायत	2021	धार्मिक नगर
25.	सागर	28-02-2014	28-07-2017	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
26.	टीकमगढ़	28-12-2016	08-09-2017	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
27.	गुना	28-02-2014	24-03-2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
28.	हरदा	27-08-2015	22-06-2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
29.	भिण्ड	23-03-2017	13-07-2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
30.	विदिशा	25-01-2012	22-06-2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
31.	देवास	09-10-2012	17-08-2018	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
32.	दतिया	02-02-2018	12-10-2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
33.	पांडुना	28-12-2016	30-10-2020	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
34.	जावरा	22-07-2017	18.12.2020	नगर पालिका	2031	तहसील
35.	राजगढ़	26-03-2018	12.03.2021	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
36.	खरगौन	21-01-2019	31.01.2020	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
37.	शिवपुरी	18-01-2011		नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय / पर्यटक
38.	बीना	02-12-2011	पुनः प्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2021	औद्योगिक
39.	माण्डव	17-02-2017	पुनः प्रकाशन किया जाना है	नगर परिषद	2031	पर्यटक नगर
40.	चन्देरी	27-02-2017		नगर पालिका	2031	पर्यटक / हथकरघा उद्योग
41.	छिन्दवाड़ा	31-05-2017	पुनः प्रकाशन किया जाना है	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
42.	ओकरेश्वर	01-10-2019	11.06.2021	नगर परिषद	2031	अमृत नगर

43.	खजुराहो	01-11-2019	21.05.2021	नगर परिषद	2031	पर्यटक नगर
44.	डबरा	28-02-2020	21.05.2021	नगर पालिका	2031	अमृत नगर(तहसील)
45.	भोपाल	06-03-2020		नगर परिषद	2031	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
46.	बुरहानपुर	11-12-2020		नगर निगम	2031	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
47.	मंदसौर	11-12-2020		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
48.	भिण्ड	11-12-2020	21.05.2021	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
49.	शिवपुरी	11-12-2020	02.07.2021	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
50.	बैतूल	11-12-2020		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
51.	सिंगरोली	01-01-2021		नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
52.	गुना	08-01-2021	01.10.2021	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
53.	दतिया	08-01-2021	21.05.2021	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
54.	नागदा	08-01-2021		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
55.	होशंगाबाद	08-01-2021		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
56.	दमोह	08-01-2021		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
57.	उज्जैन	08-01-2021		नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
58.	छतरपुर	15-01-2021	29.10.2021	नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
59.	खरगौन	22-01-2021		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
60.	सतना	05-02-2021		नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
61.	रतलाम	05-02-2021		नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
62.	नीमच	12-02-2021		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
63.	सिवनी	12-02-2021		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
64.	खण्डवा	26-02-2021		नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
65.	विदिशा	26-02-2021		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
66.	सीहोर	26-02-2021		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
67.	मुरैना	26-03-2021		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
68.	कटनी	26-03-2021		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
69.	पीथमपुर	02-04-2021		नगर पालिका	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय) औद्योगिक नगर
70.	रीवा	01-10-2021		नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)
71.	ग्वालियर	15-10-2021		नगर निगम	2035	अमृत नगर (जिला मुख्यालय)

3. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के कृत्यों से संबंधित दायित्व
 - 3.1 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं (स्कीम) का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण करना।
 - 3.2 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों के वार्षिक बजट परीक्षण।
 - 3.3 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं भूमि विकास नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वयन संस्थाओं से अनाधिकृत विकास पर नियंत्रण करवाना।
4. अन्य दायित्व

अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विकास प्राधिकरणों/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को तथा अन्य विकास से संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शन देना तथा शासन की भूमि विकास एवं प्रबंधित नीतियों में सहायता करना। संचालनालय के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों के अधिकारियों को संचालक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ताकि विकास योजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन सुचारु रूप से हो सके। भवन निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में भवन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान स्थानीय संस्थाओं के अधिनियमों के अतिरिक्त है।

 - 4.1 विशेषतायें

नगरों के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना एवं पुनरीक्षित विकास योजना बनाना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा वित्तीय प्रबंधन करना संचालनालय के विशिष्ट दायित्व हैं।
 - 4.2 बेबसाईट प्रदर्शन

राज्य के विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं की जानकारी बेबसाईट www.mptownplan.nic.in / www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इसमें मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये अन्य नियम जैसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975 आदि भी शामिल किये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा सिटीजन चार्टर के साथ-साथ संचालनालय से संबंधित समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों, विकास अनुज्ञाओं तथा विकास योजनाओं की जानकारी भी बेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाती है।
 - 4.3 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

क्रमांक	गतिविधियां	उपलब्धि (नगर)
1	निवेश क्षेत्र का गठन	160
2	भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन	105
3	विकास योजना प्रकाशित/प्रभावशील	98 / 88
4	जिला मुख्यालय नगर/विकास योजना प्रकाशित	52 / 51
5	पुनरिक्षित विकास योजना प्रकाशित/प्रभावशील	71 / 44
6	मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील	145
7	नगर विकास प्राधिकरण	10
8	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	6

- 4.4 नगर विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के कुल 98 नगरों की विकास योजनायें तैयार की गई हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश की लगभग 77 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या लाभान्वित हुई है।
- 4.5 भारत सरकार की अमृत योजना के उपयोग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के 34 अमृत नगरों की जी.आई. एस. आधारित विकास योजना तैयार की जा रही है।

भाग – दो

1. बजट

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश को विगत वर्षों में “आयोजना” बजट के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित एवं व्यय हुई :-

वर्ष	आयोजना बजट आवंटन (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)
2021-22	8,16,00,000.00	3,02,00,000.00 (31 दिसम्बर 2021 तक)

भाग – तीन

1. राज्य प्रवर्तित योजना : विगत तीन वर्षों की उपलब्धि

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (रु.लाख में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	2621 (विकास योजना बनाना, पुनर्विलोकन एवं उपांतरण करना)	2019-20	12 नगर	1 नगरों की विकास योजना प्रारूप प्रकाशित । 9 नगरों की योजना अंतिम चरण में है	240.00 लाख	105.00 लाख (इस योजना में स्टेशनरी मद में आवंटित 97 लाख को व्यवसायिक मद में पुनर्विनियोजन नहीं होने के कारण ब्यय में
		2020-21 6 नगर	12 नगर	6 नगरों की विकास योजना प्रारूप प्रकाशित । 8 नगरों की योजना अंतिम चरण में है प्रारूप प्रकाशन हेतु तैयार।	285.00 लाख	247.00 लाख वित्तीय वर्ष 2020-21 से कोविड-19 से प्रभावित होने के कारण व्यय में कमी आई है।)
		2021-22 16 नगर (31 दिसम्बर 2021 तक)	16 नगर	21 नगरों का प्रारूप प्रकाशित 2 नगरों का प्रारूप प्रकाश हेतु तैयार	816 लाख	302.00 लाख

अमृत योजना के अन्तर्गत 34 नगरों के जी.आई.एस. आधारित विकास योजनाएँ तैयार करना	वित्तीय वर्ष 2020-21 में 34 नगरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजनाएँ	34 नगर	एन.आर.एस.सी. हैदराबाद द्वारा 34 नगरों का जी.डी.बी./सेटेलाईट इमेज प्राप्त हो गयी है जिसमें से 34 नगरों के जी.डी.बी./सेटेलाईट इमेज का भौतिक सत्यापन एवं पुनरीक्षण कर एन.आर.एस.सी., हैदराबाद को प्रेषित किया जा चुका है। 29 नगरों के फाइनल बेसमैप एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त हो गये हैं जिसमें से 29 नगरों की प्रारूप विकास योजना अमृत योजना की मार्गदर्शिका में उल्लेखित मापदण्डों के अनुसार तैयार प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है तथा 5 नगरों यथा— देवास, इन्दौर, सागर, जबलपुर एवं छिन्दवाड़ा नगरों की विकास योजना प्रकाशन हेतु तैयार की जा रही हैं।	3,50,82,775	33567369
--	---	--------	---	-------------	----------

2. सूचना एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी

- 2.1 सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत संचालनालय एवं इसके समस्त 28 कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।
- 2.2 संचालनालय द्वारा मैप-आई.टी. के माध्यम से नवीन जी.आई.एस. आधारित विकास अनुज्ञा प्रदाय करने हेतु एप्लीकेशन तैयार कराई जा रही है, जो अंतिम चरण में है।
- 2.3 वर्तमान में जन सामान्य की सुविधा हेतु, 11 नगरों के Real Time में भूमि उपयोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रदाय किये जा रहे हैं। शेष नगरों में उक्त कार्यवाही प्रचलन में है।

2. वर्ष 2021-2022 (31 दिसम्बर 2021 तक) की उपलब्धियाँ

भौतिक उपलब्धियाँ (जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक)

- (अ) शासन द्वारा अंगीकृत विकास योजनाएं (9 नगर) 1. राजगढ़, 2. ओंकारेश्वर, 3. छतरपुर 4. शिवपुरी 5. गुना 6. दतिया 7. खजुराहो, 8. डबरा एवं 9. भिण्ड
- (अ) प्रारूप विकास योजना प्रकाशन तैयार (21 नगर) 1. सिंगरोली, 2. गुना 3. दतिया, 4. नागदा, 5. होशंगाबाद 6. दमोह, 7. उज्जैन 8. खरगोन, 9. सतना 10. रतलाम 11. नीचम 12. सिवनी, 13. खण्डवा 14. विदिशा 15. सीहोर 16. मुरैना, 17. कटनी 18. पीथमपुर 19. रीवा 20. ग्वालियर एवं 21. छतरपुर 19. रीवा 20. ग्वालियर एवं 21. छतरपुर
- (ब) प्रारूप विकास योजना प्रकाशन हेतु तैयार (2 नगर) 1. सागर 2. छिन्दवाड़ा

भाग – चार

1 न्यायालयीन कार्यों की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश के विरुद्ध कुल 38 प्रकरण विभिन्न स्तर के न्यायालयों में संचालनालय के विरुद्ध दायर हुये हैं जिसमें 34 प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये, तथा 2 प्रकरणों में जबाब दावे प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

1.1 प्रशासकीय गतिविधियाँ

(अ) वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3 पद पर कर्मचारी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है।

(ब) कुल स्वीकृत 834 पदों के विरुद्ध 368 पद भरे हुए हैं जिसमें 466 पद रिक्त है।

1.2 विधायी से संबंधित कार्यकलाप

1.2.1 विधानसभा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, दिये गये आश्वासनों तथा प्राप्त याचिकाओं की जानकारी यथासमय दी जाती रही है।

1.2.2 इसके अतिरिक्त विधानसभा की लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति आदि द्वारा चाही गई जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराई जाती है।

1.2.3 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम नियम /नियम में संशोधन

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम 2020 के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं।

1. म.प्र. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश, नियम 2012 के नियम 15 में उपनियम (14) के पश्चात उपनियम (15) अंतःस्थापन बाबत राजपत्र दिनांक 26.11.2021
2. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 19 में उपनियम 19 के पश्चात उपनियम 19(क) अंतःस्थापना बाबत राजपत्र दिनांक 10.12.2021।
3. भोपाल मेट्रो रेल परियोजना हेतु हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के नियम के तहत उत्पादन एरिया अधिसूचित किये जाने के संबंध में अधिसूचना राजपत्र दिनांक 17.6.2021
4. मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम, 2018 में संशोधन राजपत्र दिनांक 09.04.2021
5. मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 में संशोधन राजपत्र दिनांक 05.02.2021
6. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 6 के उप नियम (3) में संशोधन राजपत्र दिनांक 08.01.2021

भाग – पांच

1. प्रकाशन

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियमित रूप से विभिन्न नगरों की विकास योजनाओं के प्रारूप एवं अनुमोदित विकास योजनाओं का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

भाग — छः

1. राज्य की महिला नीति का क्रियान्वयन

राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। कार्यालय में महिला कर्मियों की मूलभूत सेवा-सुविधाओं की पूर्ति हेतु अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। वर्तमान में विभाग में कुल 92 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कार्यरत पदों का लगभग 22 प्रतिशत हैं।

भाग — सात

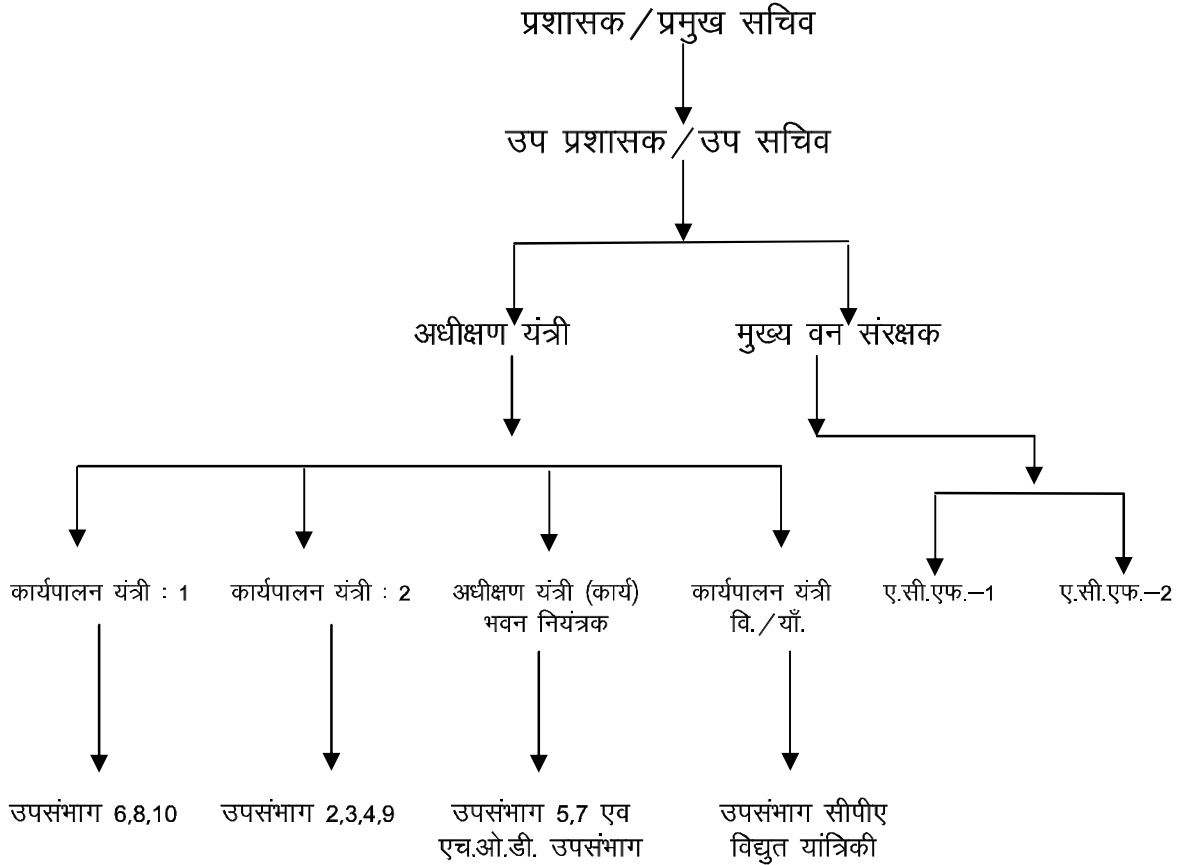
1. सारांश

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 160 नगरीय केन्द्रों के निवेश क्षेत्रों का गठन किया गया है तथा 105 नगरों के वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र का प्रकाशन एवं अंगीकरण किया जा चुका है। 98 नगरों की विकास योजनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें से 88 विकास योजनाएं अंगीकृत हैं। 71 नगरों की पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन किया गया है। जिसमें से 44 नगरों की योजनाएं शासन द्वारा प्रभावशील की जा चुकी हैं। वर्तमान में भारत सरकार की अमृत योजना की उपयोजना में प्रदेश के 34 अमृत शहरों के GIS आधारित विकास योजना (नवीन/पुनरीक्षित) में से 21 जी.आई.उस. आधारित प्रारूप प्रारूप विकास योजना का प्रकाशन किया जा चुका है, 7 अमृत नगरों की विकास योजना अंगीकृत हो चुकी है एवं 2 नगरों की अमृत विकास योजना तैयार कर प्रारूप प्रकाशन हेतु तैयार है।

राजधानी परियोजना प्रशासन

भाग — एक

संरचना



दायित्व

वर्ष 1956 में राज्य पुर्नगठन के उपरान्त जब भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया तब यह प्रतीत हुआ कि भोपाल प्रदेश की राजधानी बनने के साथ-साथ प्रदेश की प्रशासकीय राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बनने जा रही है। इसके अनुक्रम में भोपाल नगर तथा उसके आसपास के ग्रामों का शहरीकरण क्रमशः होना प्रारम्भ हुआ। राजधानी के सुनियोजित एवं त्वरित विकास हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन का गठन किया गया।

राजधानी परियोजना द्वारा तत्समय से ही उच्च गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया गया। राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना होने के समय का भोपाल शहर आज जनसंख्या के अनुसार 10 – 11 गुना बढ़ चुका है और क्षेत्रफल/विस्तार में भी शहर पूर्व की अपेक्षा 12–14 गुना बढ़ चुका है। क्रमशः भोपाल महानगर के रूप में परिवर्तित हो गया है। राजधानी परियोजना की स्थापना का उद्देश्य भोपाल में विभिन्न आधारभूत/मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना, विभिन्न कार्यों हेतु समन्वयक के रूप में कार्य करना तथा राजधानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप शासकीय भवन/कार्यालयों/आवास गृहों एवं सौन्दर्यीकरण हेतु बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण बाग बगीचों का विकास आदि कार्य करना है।

राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः दो शाखाओं द्वारा कार्य संपादित किए जा रहे हैं:-

1. मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना

मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य, मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण कार्य, डिपॉजिट मद के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य तथा अन्य विकास कार्य सम्पादित किये जा रहे। साथ ही परियोजना क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण शासकीय भवनों तथा मंत्रालय सतपुड़ भवन/विन्ध्याचल भवन नई एवं पुरानी विधान सभा भवनों का रख-रखाव संबंधी कार्यों के साथ ही बाग- बगीचों का विकास एवं संधारण कार्य तथा मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण तथा विद्युतीकरण संबंधी अनकों कार्य किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत एक अधीक्षण यंत्री कार्यालय, एक अधीक्षण यंत्री (कार्य) विधान सभा के लिए तीन कार्यपालन यंत्री के संभागीय कार्यालय एवं नौ उपसंभागीय कार्यालय एवं अधीनस्थ अमला लोक निर्माण विभाग के मेन्युअल अनुसार स्वीकृत होकर कार्यरत है।

2. वनमण्डल राजधानी परियोजना

राजधानी परियोजना के अन्तर्गत वनमंडल कार्यालय का गठन दिनांक 21.2.1986 को किया गया। भोपाल शहर पहाड़ी एवं पथरीले होने के कारण यहां की भूमि को बड़े ही सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर शोभायमान, फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया गया है। पर्यावरण महत्व के पौधों का रोपण करके आस-पास के खुले एवं वीरान क्षेत्रों को हरा-भरा कर सौन्दर्यीकरण करना एवं उसका रख-रखाव करना भी मण्डल का प्रमुख दायित्व रहा है। इसके अतिरिक्त अवांछनीय खरपतवार का उन्मूलन करना, शासकीय रिक्त भूमि को अवैध उत्खनन एवं अतिक्रमण से बचाने हेतु आवश्यकता अनुसार फेंसिंग तथा उपयुक्त भूमि पर पौधों का रोपण करना, नालों के आस-पास वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधारना एवं भूमि के कटावों को भू-संरचना उपायों से रोकना भी इनके मुख्य उद्देश्य हैं। शहरवासियों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हो इस हेतु 12 पार्क एवं नगरवन संचालित हैं जिनका बेहतर प्रबंधन एवं संधारण किया जा रहा है।

भाग - 2

बजट प्रावधान-लक्ष्य व्यय (पूँजी अनुभाग)

राशि रु लाख में

क्र	योजना का नाम	2019-2020		2020-2021		2021-2022	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय 02/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3115 भूमि भूअर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	1500.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2	0284 अरिहायसी भवन	500.00	35.13	550.00	0.00	275.00	173.00
3	3763 रिहायसी भवन	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
4	4339 सड़क एवं पुल	1900.00	1255.92	1900.00	1021.82	2500.00	2500.00
5	1021 क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण आदि	700.00	349.00	660.00	331.54	460.00	460.00
6	5872-64 वार मेमोरियल का निर्माण (सर्वेक्षण अन्वेक्षण रूपाकन)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

क्र	योजना का नाम	2019-2020		2020-2021		2021-2022	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय 02/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
7	3296-63 मशीन एवं संयंत्र	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
8	7218-मंत्रालय का विस्तार	1575.00	1016.16	1500.00	487.23	1130.00	578.00
9	7715 -नवीन विधायक विश्राम गृहों में (बृहत निर्माण कार्य)	2500.00	0.00	150.00	70.00	1000.00	4.00
10	22/4216-6989-विधान सभा भवन एवं विधायक विश्राम गृह की मरम्मत (वृहद निर्माण कार्य)	-	-	300.00	12.14	200.00	200.00
11	22/4216-5458-शहर का आधुनिकीकरण एवं उन्नयनीकरण (वृहद निर्माण कार्य)	-	-	0.01	0.00	0.00	0.00
12	6793-लोकायुक्त कार्यालय का निर्माण (61, 64) 1.1	-	-	0.02	0.00	0.02	0.00

भाग – तीन

अ. राज्य योजनायें

(1) वर्ष 2021-22

मांग संख्या 22 शीर्ष 4217 पूंजी अनुभाग के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल हेतु वर्ष 2021-22 के लिये रुपये 17141.07 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया जिसके अन्तर्गत निम्न लिखित कार्य कराये गये एवं प्रस्तावित है।

(2) संचालित कार्य

- विधायक विश्राम गृह परिसर में माननीय सदस्यों हेतु सर्वसुविधा युक्त नवीन विधायक विश्राम गृह के रूप में 102 नवीन आवास गृहों का निर्माण कार्य।
- मध्यप्रदेश विधानसभा के परिसर में विधायक विश्राम गृह क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय स्टाफ हेतु 40 स्टाफ क्वार्टर्स (20 'एच' एवं 20 'आई' टाईप) का निर्माण कार्य।
- विधायक विश्राम गृह परिसर में नवीन रेस्टॉरेंट का निर्माण कार्य।
- विधानसभा भवन एवं विधायक विश्राम गृहों का नियमित संधारण कार्य।
- विधानसभा सचिवालय एवं विधायक विश्राम गृहों में विधानसभा सचिवालय के निर्देशानुसार तथा प्रदान की गई अनुमति/सहमति के आधार पर विभिन्न सिविल/विद्युत संबंधी कार्य।
- कोलार रोड से मंदाकिनी, शिर्डीपुरम एवं चारबत्ती चौराहे होते हुये हिनोतिया आलम तक मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य। (लम्बाई 4.50 कि.मी.)
- ऋषिपुरम फेस-1 से विवेकानन्द विद्यापीठ, भेल मास्टर प्लान मार्ग पर आ रहे 11 के.वी.एवं 33 के.वी.विद्युत लाईन का शिफ्टिंग कार्य।
- इंटरनेशनल एयरपोर्ट गांधी नगर के समीप प्रथम चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग-12 से बायपास को जोड़ने वाले लिंक रोड (आदर्श मार्ग) का निर्माण कार्य। (लम्बाई 760 मी.)
- बरई कटारा भोपाल में प्रस्तावित पार्क में प.दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति प्रदाय एवं स्थापना सहित अन्य विकास कार्य। (राशि रु. 56.99 लाख)

10. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में स्कटिंग रिंग के पहुँच मार्ग हेतु नाले पर स्लेब कल्वर्ट का निर्माण कार्य। (राशि रु. 33.83 लाख)
11. स्वर्ण जयन्ती पार्क के समीप कलिया सोत नदी के डाऊन स्ट्रीम तरफ प्रोटेक्शन वॉल एवं पार्किंग कार्य। (राशि रु. 43.277 लाख)
12. बंजारी डी सेक्टर कोलार रोड स्थित पार्क का मरम्मत एवं सुधार कार्य। (राशि रु. 10.627 लाख)
13. बावड़ियाकलां क्षेत्र में स्कूल के सामने पार्क का निर्माण। (राशि रु. 21.13 लाख)
14. कोलार मुख्य मार्ग से दशहरा मैदान होते हुए कान्हा कुंज तक कोर्डिनेशन मार्ग का निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य। (राशि रु. 188.67 लाख)
15. कृष्णा आर्कड से संत आशाराम नगर तक 24 मी. चौड़ी मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य। (राशि रु. 304.89 लाख)
16. झुलेलाल मार्केट गाँधी नगर भोपाल में ओव्हरहेड टैंक के पास सीमेन्ट कॉक्रीट रोड का निर्माण कार्य। (राशि रु. 91.19 लाख)
17. बागमुगालिया मुख्य मार्ग से एम्स को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य (मिसिंग लिंक) (राशि रु. 76.69 लाख)
18. जे.के.अस्पताल के समीप कोलार से दानिश पुल होते हुए इण्डस चौराहे तक मास्टर प्लान सड़क को जोड़ने वाली 24 मी. सड़क का निर्माण कार्य। (राशि रु. 244.67 लाख)
19. जे.के.अस्पताल के समीप चौराहे का विकास कार्य सीमेन्ट कॉक्रीट कार्य एवं विविध सिविल कार्य कराने बाबत। (राशि रु. 141.50 लाख)
20. बाग सेवनिया से रेत बाजार तक मार्ग का नवीनीकरण का कार्य।
21. कोलार क्षेत्र में फोर लेन मास्टर प्लान रोड में नाले के ऊपर बॉक्स कल्वर्ट एवं स्लेब कल्वर्ट का निर्माण कार्य शिर्डीपुरम कोलार भोपाल। (राशि रु. 76.18 लाख)
22. वीर सावरकर कोटरा सुल्तानाबाद पार्क का निर्माण कार्य। (राशि रु. 39.94 लाख)
23. बोरवन बैरागढ़ में वृक्षारोपण क्षेत्र में वेल्डेड वायरमेश चैनलिंग फेन्सिंग कार्य। (राशि रु. 69.35 लाख)
24. मोरवन पहाड़ी में वृक्षारोपण क्षेत्र में वायरमेश चैनलिंग फेन्सिंग कार्य। (राशि रु. 108.08 लाख)
- (3) प्रस्तावित कार्य (जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है।)
1. दानापानी ढाबा बावड़िया कला से मिसरोद तक फेस-1 में 60 मी. चौड़ी सड़क का निर्माण। (राशि रु. 590.00 लाख)
2. गुजराती कॉलोनी से मिसरोद तक मास्टर प्लान रोड का निर्माण। (राशि रु. 290.00 लाख)
3. अयोध्या नगर भोपाल के क्रेशर बस्ती में सी.सी.रोड का निर्माण कार्य। (राशि रु. 96.06 लाख)
4. दामखेड़ा से लेकर चीचली गाँव तक सड़क का निर्माण कार्य। (राशि रु. 557.31 लाख)
5. एम.जी.एम. स्कूल खजूरी कलां बायपास तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण। (राशि रु. 939.55 लाख)
- (4) प्रस्तावित कार्य (नवीन)
1. स्व.श्री एम.एन. बूच की स्मृति में कोलार रोड स्थित पार्क का निर्माण कार्य।
2. गौरा गाँव से डी.पी.एस.तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
3. हरदेव अस्पताल से सीहोर नाके को जोड़ने हेतु एक बायपास मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
4. अयोध्या नगर फेस-5 से अरहेड़ी तक सड़क का निर्माण।

5. पारस सिटी के समीप अण्डरब्रिज-दाना पानी मार्ग में पुलिया के निर्माण सहित उन्नयनीकरण का कार्य।
- (5) वनमण्डल राजधानी परियोजना के कार्य वर्ष 2020-21
 1. मांग संख्या 22 शीर्ष 2217-1021 क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण अनुरक्षण कार्य (राजस्व अनुभाग) एवं 22-4217-1021 क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण (पूँजी अनुभाग) तथा 3054-7320 सडकों का रख-रखाव (राजस्व अनुभाग) मद में कार्य प्रस्तावित है।
 - (i) वर्ष 2020-21 में 47850 पौधों का रोपण/रख-रखाव, के साथ ही वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक 194461 पौधों का रख-रखाव 12 पार्क एवं नगरवन का संधारण, 4 नग वन रोपणियों का संधारण, 11 सेन्ट्रल वर्ज का संधारण, 02 रोटरी एवं 22 अतिमहत्वपूर्ण वृक्षारोपण का संधारण किया जा रहा है।
 - (ii) माह जनवरी 2022 में उक्त कार्यों हेतु 4,00,00,000/- का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध माह जनवरी 2022 तक रु.3,50,76,931/- का व्यय हुआ है।
 - (iii) भोपाल शहर की हरित भूमि (ग्रीन बेल्ट) के अतिक्रमण मुक्त रखना।
राजधानी परियोजना वनमण्डल भोपाल द्वारा स्वर्णजयंती पार्क, जम्बूरी मैदान नगरवन, नयापुरा टेकरी नगरवन, बोरवन नगरवन श्री गुरुगोविंद सिंह पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी पार्क, भोपाल विहार नगरवन, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क, शाहपुरा नगरवन इत्यादि के संधारण का कार्य किया जाता है जहां पर शहरवासियों द्वारा प्रातः एवं सांय भ्रमण करते हैं तथा शहर में चौतरफा वृक्षारोपण कर सुंदर तथा हराभरा किया गया है।
- ब. केन्द्र प्रवर्तित योजना : — निरंक
- स. विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं : — निरंक
- द. विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं : — निरंक
- ई. अन्य योजनाएं — निरंक

भाग — चार

- (1) सामान्य प्रशासनिक विषय
 1. विभागीय पदोन्नति — सहायक मानचित्रकार से 01 उपयंत्री के पद पर पदोन्नति दी गई
 2. नियुक्ति — तीन पदों की पूर्ति तृतीय संवर्ग में हुई है।
 3. विभागीय जांच — — निरंक —
 4. न्यायालयीन प्रकरण — राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति संतोषजनक है तथा जवाब —दावे प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

भाग — पाँच

- (1) अभिनव योजना
माननीय विधान सभा सदस्यों हेतु नवीन विश्राम गृह का निर्माण कार्य विधायक विश्रामगृह के खण्ड क्रं. 1 एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़कर इससे रिक्त स्थान पर किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 102 आवासीय इकाईयों का निर्माण होगा एवं यह समस्त आवास गृह आधुनिक आवश्यकतानुसार निर्मित किए जायेंगे तथा वर्तमान समयक अनुसार सुसज्जित किए जायेंगे इस कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रिया में हैं। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद 30 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

भाग — छः

— निरंक —

भाग – सात

(1) महिला नीति

महिला नीति के अन्तर्गत राजधानी परियोजना मण्डल, राजधानी परियोजना प्रशासन में कार्यरत महिलाओं के लिये विश्राम अवकाश में विश्राम कक्ष आवंटित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं पर रोकथाम एवं यौन उत्पीडन आदि शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु महिला कर्मचारियों के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

भाग – आठ

(1) सारांश

1. राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पूर्व में नवीन विधान सभा भवन, सतपुड़ा/विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी, शासकीय गीतांजली कन्या महाविद्यालय, भारत भवन, संस्कृति भवन, लोकायुक्त भवन कार्यालय शौर्य स्मारक मंत्रालय वल्लभ भवन का विस्तार कार्य इत्यादि अतिमहत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है एवं इसका संधारण संबंधी कार्य भी किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य जन जाति संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य, सुशासन नीति एवं विश्लेषण भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन (7 & 8), लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2. राजधानी के विकास में मास्टर प्लान के अनुरूप आवश्यकताओं के अनुसार कई सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा हैं। वर्तमान में हस्तांतरणीय विकास अधिकार प्रमाण पत्र (टी.डी.आर.) के आधार पर लगभग 17.00 कि.मी.मास्टर प्लान रोड प्रस्तावित है, जिसका शासन एवं ग्राम एवं नगर निवेश विभाग से अनुमोदन हो चुका है तथा 2.5 कि.मी. सड़क इसी माध्यम (टी.डी.आर.) से निर्माण का स्थाई वित्त समिति में अनुमोदित किया गया है, इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान 2005 की प्रमुख 24 सड़कों के सर्वे एवं सीमांकन का कार्य पूर्ण किया जाकर नवीन मास्टर प्लान सड़को के प्रस्ताव तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भविष्य में राजधानी परियोजना वासियों को सुगम मार्ग एवं स्वच्छ पर्यावरण का लाभ होगा, इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के लगभग 6000 शासकीय आवास गृहों का निर्माण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा कराया गया है एवं अनेक शासकीय आवास गृहों निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय पार्कों का विकास किया गया है तथा श्री गुरु गोविन्द सिंह पार्क, मयूर पार्क, चिनार पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, शाहपुरा के किनारे पार्क, 5 नं पर जवाहर बाल उद्यान, स्वराज पार्क श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क एवं बोरवन पार्क इत्यादि के संधारण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शहर में चौतरफा वृक्षारोपण कर सुन्दर तथा हरा भरा बनाने का पूरा श्रेय भी राजधानी परियोजना प्रशासन को ही है।

वर्तमान में राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल के विघटन की कार्यवाही प्रचलन में है। मंत्रि-परिषद आयटम क्रमांक-20, दिनांक 03.03.2022 द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार: राजधानी परियोजना प्रशासन के मण्डल, निर्माण संभाग क्रमांक- 1. निर्माण संभाग क्रमांक 2 नया विद्युत यांत्रिकी संभाग, भवन नियंत्रक विधानसभा तथा गैस राहत संभाग क्रमांक-1 के समस्त सम्पत्ति/ दायित्वों, निर्माण कार्यों, बजट व पदों को यथास्थिति लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अमले को छोड़कर शेष पदस्थ राजधानी परियोजना प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों का लोक निर्माण विभाग में संविलियन किया जाने तथा राजधानी परियोजना वनमंडल के समस्त सम्पत्ति/दायित्वों कार्यों, बजट तथा पदों को यथास्थिति वन विभाग को हस्तांतरित करते हुए प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अमले को छोड़कर शेष पदस्थ राजधानी परियोजना वनमंडल के कर्मचारियों का वन विभाग में संविलियन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य नगर नियोजन संस्थान (सिटॉप)

STATE INSTITUTE FOR TOWN PLANNING, BHOPAL (SITOP)

भाग—एक

1. विभागीय संरचना
 - अध्यक्ष — श्री भूपेन्द्र सिंह, मंत्री, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
 - महानिदेशक — श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
 - कार्यपालन संचालक — श्री मुकेश चन्द गुप्ता, आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
2. अधीनस्थ कार्यालय — निरंक
3. विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण — निरंक
4. सदस्य संस्थाएँ — प्रदेश में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित —10 विकास प्राधिकरण — भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर जबलपुर, रतलाम, कटनी, सिंगरौली तथा अमरकंटक 06—विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण —पचमढी, ग्वालियर काउन्टर मैग्नेट, खजुराहो, ओरछा, महेश्वर मण्डलेश्वर एवं चित्रकूट सदस्य संस्थाएँ तथा 03 नगरीय निकाय खजुराहो, धनपुरी एवं गढ़ाकोटा संस्थान की एसोसिएट सदस्य हैं।
5. उद्देश्य एवं लक्ष्य
 - 5.1. मध्य प्रदेश शासन तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की शहरी/ग्रामीण नियोजन से संबंधित विषयों में सहायता तथा परामर्श प्रदान करना।
 - 5.2. विकास योजनाओं, क्षेत्रीय योजनाओं, पारिक्षेत्रीय योजनाओं, नगर विकास योजनाओं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों के संग्रहण, अनुश्रवण तथा इनसे संबंधित क्रियान्वयन विषयों में योजनाएँ तैयार करना, सूक्ष्म परीक्षण तथा मूल्यांकन में सहायता
 - 5.3. विभिन्न राज्यों के साथ-साथ देश के विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनाई गई नगर नियोजन नीतियों तथा प्रक्रियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण तैयार करना, जिसके आधार पर नियोजित तथा एकीकृत नगर तथा निवेश विकास के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान तथा इन क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना।
 - 5.4. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 क (1) (ख) के अंतर्गत भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का परीक्षण व समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति की अनुशंसाएँ नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।
 - 5.5. धारा 16 अंतर्गत भोपाल के सभी प्रकरणों का परीक्षण व समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति की अनुशंसाएँ नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।
 - 5.6. डाटाबेस का सृजन तथा अद्यतन करना व ई-सुशासन।
 - 5.7. मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण।
 - 5.8. पुनर्संघनीकरण परियोजनाओं का परीक्षण।
 - 5.9. विकास प्राधिकरणों द्वारा हाथ में ली जा रही नगर विकास योजना के क्रियान्वयन पर पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन का अध्ययन।

- 5.10. इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम आयोजन करना- (प्रशिक्षण, विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं, विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, प्रकाशन तथा प्रचार)।
- 5.11. समय-समय पर सम्पन्न गतिविधियों से सदस्यों तथा अधिकारियों को अद्यतन रखे जाने के उद्देश्य से न्यूजलेटर जारी करना।
- 5.12. अपने मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थाओं से मेल-जोल विकसित करना।
- 5.13. तत्कालीन मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के जारी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का निष्पादन करना।
- 5.14. ऐसे समस्त दायित्वों तथा कृत्यों जैसा कि कार्यकारिणी समिति तथा साधारण सभा द्वारा विहित किया जाए, का निष्पादन करना।
- 5.15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराना।
- 5.16. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु प्लान तैयार करना।
- 5.17. विभिन्न संस्थाओं के कार्य राज्य नगर नियोजन संस्थान में पंजीबद्ध सलाहकारों के माध्यम से करवाना।

6. साधारण सभा

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के साधारण सभा का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग हैं। साधारण सभा में महानिदेशक एवं कार्यपालन संचालक सहित कुल 35 सदस्य शामिल हैं।

7. कार्यकारिणी समिति

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के दैनंदिनीय कार्यों के निष्पादन हेतु एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं महानिदेशक, राज्य नगर नियोजन संस्थान हैं। कार्यकारिणी समिति में कार्यपालन संचालक, सदस्य सचिव तथा अन्य 07 सदस्य शामिल हैं।

8. विभाग से संबंधित जानकारी

राज्य नगर नियोजन संस्थान प्रदेश की नगर विकास संस्थाओं का एक पंजीकृत संगठन है, जिसका मुख्य कार्य प्रदेश की विकास संस्थाओं/नगरीय निकायों संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश एवं अन्य संस्थाओं के कार्यों में सलाहकार की भूमिका निभाते हुये सहयोग प्रदान करना तथा नगरीय निकायों की योजनायें तैयार करने में तकनीकी सहयोग, प्रशासनिक एवं लेखा प्रबंधन आदि क्षेत्र में मार्गदर्शन एवं अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित करना।

9. सामान्य या प्रमुख विशेषताएँ

- (अ) भारत शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रसारित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका अगस्त 1995 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को नोडल एजेंसी घोषित किया गया था। राज्य नगर नियोजन संस्थान (पूर्व नाम म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ) द्वारा इन योजनाओं हेतु समन्वयक एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा तकनीकी परामर्श संबंधी कार्य 'इन हाउस' किया जा रहा है। संस्थान में वास्तुविदों, इंजीनियरों, नियोजकों का पेनल ऑफ कंसलटेंट बनाया गया है, जिनकी आवश्यकतानुसार सेवायें ली जाती हैं।

- (ब) म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र.एफ-6-9/10/32 भोपाल दि. 18.02.2010 द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के सूचना प्राद्योगिकी कार्य को संपादित करने हेतु राज्य नगर नियोजन संस्थान को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है। संस्थान द्वारा 04 नगरों हेतु जी.आई.एस आधारित एप्लीकेशन मेप आई.टी. के माध्यम से ऑनलाईन तैयार कराई जा रही है।
- (स) म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/75/2013/32 दिनांक 05.07.2013 द्वारा राज्य नगर नियोजन संस्थान को धारा-16 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के परीक्षण हेतु आदेशित किया गया है।

भाग-दो

1. बजट सिंहावलोकन, आय के स्रोत
 - 1.1 राज्य राज्य नगर नियोजन संस्थान की आय के मुख्य स्रोत, सदस्य संस्थाओं से प्राप्त सदस्यता शुल्क तथा योजनाओं के वास्तुविदीय परामर्श कार्य/तकनीकी परीक्षण/बजट परीक्षण/सर्वेक्षण कार्यों से प्राप्त परीक्षण शुल्क ही है। शासन से संस्थान को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है।
2. बजट प्रावधान, लक्ष्य/व्यय एवं अंकेक्षण
 - 2.1 वर्ष 2020-21 के अनुमानित आय तथा व्यय क्रमशः रु. 1769.31 लाख व रु.1645.39 लाख के विरुद्ध वास्तविक आय तथा व्यय क्रमशः रु. 490.78 लाख व रु. 789.60 लाख हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुमानित आय तथा व्यय क्रमशः रु. 1398.22 लाख व रु. 1287.47 प्रस्तावित हैं।
 - 2.2 राज्य नगर नियोजन संस्थान के वर्ष 2020-21 तक के आय-व्यय का अंकेक्षण कार्य संपन्न हो चुका है।
3. संसदीय कार्य, विधि विषय कार्य एवं न्यायालयीन कार्य:- निरंक
4. स्वीकृत सेटअप
 - 4.1 राज्य नगर नियोजन संस्थान के स्वीकृत सेटअप में विभिन्न श्रेणी के 80 पद स्वीकृत थे, जिसमें से कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2073 दिनांक 20.09.2002 द्वारा 20 पद सुपरन्यूमरी घोषित किये जाने के कारण वर्तमान समय तक 15 पद रिक्त होने के उपरांत समाप्त हो चुके हैं।
 - 4.2 वर्तमान स्थिति में स्वीकृत सेटअप में से 65 पदों के विरुद्ध 57 पद भरे हुये हैं तथा 08 पद रिक्त हैं। 06 अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं तथा 06 कर्मचारी नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय/अन्य कार्यालयों में संलग्नीकरण में पदस्थ है। संस्थान में 05 अधिकारी/कर्मचारी संविदा/प्रोजेक्ट बेस अनुबंध आधार पर अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। संस्थान में राज्य शासन के नियमानुसार कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान योजना लागू है।

भाग-तीन

- (अ) राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ
1. राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) (पूर्व नाम म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ) को प्रदेश में संचालित आई.डी.एस.एम.टी. योजना हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) द्वारा इस योजना व उससे निर्मित आवर्ती कोष से योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

2. छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) वर्ष 1995-96 में लागू की गई तथा वर्ष 2004-05 तक अनुदान योजनान्तर्गत 97 नगरों की योजनाएँ जिनकी स्वीकृत लागत रु.14370.49 लाख है, का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
3. राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत स्वीकृत नगरों की कुल 645 योजना घटकों का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य किया गया। इसके अन्तर्गत लगभग 410 घटकों का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें मुख्यतः 165 वाणिज्यिक, 32 बस स्टैण्ड, 73 रोड़ उन्नयन एवं तिराहा, 140 घटक जिसमें सामुदायिक भवन, नाला, सब्जी मंडी, आवासीय योजनाये सम्मिलित है के विकास कार्य शामिल है। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध विगत वर्षों में उपयोगिता केवल 104.19 प्रतिशत थीं।
4. आवर्ती कोष – आई.डी.एस.एम.टी. योजना की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के तहत संस्थाओं द्वारा निर्मित व्यवसायिक घटकों की योजनाओं से आवर्ती कोष में 81 नगरों द्वारा राशि रु.10204.46 लाख सूचित किया है। उक्त आवर्ती कोष के विरुद्ध 48 संस्थाओं द्वारा लगभग 196 घटकों की योजनाएँ तैयार करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये जिसमें से अभी तक 38 नगरों के 140 घटकों के कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन एवं मानचित्र लगभग राशि रु.5167.68 लाख स्वीकृत होकर निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त में 49 घटकों की राशि रु.1832.19 लाख के कार्य संबंधित संस्थाओं द्वारा पूर्ण किये गये। 38 नगरों के कार्य प्रेषित करने के उपरांत शेष आवर्ती कोष की राशि रु. 5036.78 लाख के विरुद्ध प्राप्त योजना प्रस्ताव/योजना प्रस्ताव प्राप्त कर कार्य किये जाने का कार्य प्रचलन में है।
5. संस्थान द्वारा 8 नगरों के 16 योजना घटकों का आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत निर्मित आवर्ती कोष से वास्तुविदीय कार्य किया गया, जिसमें नसरुल्लागंज, सिहोरा, अकोदिया, मूंदी, अमरपाटन, नरसिंहगढ़, बिरसिंहपुर, चाकघाट नगरों की लगभग राशि रु.513.54 लाख की योजनाओं का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य संपादित किया गया।

(ब) सूचना प्रौद्योगिकी

1. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में भू-उपयोग जानकारी एवं विकास अनुज्ञा ऑनलाइन जारी करने हेतु Web based Application (अल्पास) को मेप आई.टी. के माध्यम से (जी.आई.एस. आधारित उन्नयन) कराया जा रहा है।
2. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश हेतु राज्य नगर नियोजन संस्थान कार्यालय में निर्मित आधुनिक GIS स्टूडियों का संचालन भी किया जा रहा है।

अन्य

- 1 संचालनालय में गठित प्राधिकरण सेल में भी राज्य नगर नियोजन संस्थान के अधिकारी द्वारा कार्य संपादित कर सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलायी जाने वाली योजनाएँ:— निरंक

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएँ/परियोजनाएँ:— निरंक

(ई) अन्य योजनाएँ /राज्य शासन द्वारा सौंपे गये कार्य :-

1. राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा कई नगरीय निकायों की स्व वित्तीय योजनाएँ भी तैयार की जा रही है ।
2. आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूँजी से विभिन्न योजनाएँ तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

3. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा क्रमशः नेपालनगर, कैमोर, अमरपाटन, धनपुरी, ओबेदुल्लागंज नगरों की विकास योजना तैयार करने का कार्य संस्थान को सौंपा गया है।
4. राज्य शासन द्वारा राज्य नगर नियोजन संस्थान के कार्यकलापों/आय में वृद्धि के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्य संस्थान को सौंपे गये हैं :-
 - I प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट तैयार करने हेतु सहयोग प्रदान करना। वर्ष 2021-22 में संस्थान द्वारा प्राप्त 04 विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर राज्य शासन की ओर प्रेषित किये गये हैं।
 - II सिंहस्थ उज्जैन, 2016 के अभिन्यास/नियोजन तैयार किये गए, जिसके देयक रु. 72.76 लाख की मांग शासन से की जाकर राशि प्राप्त किए जाने के प्रयास जारी हैं।
 - III नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना तैयार करना।
 - IV अमृत योजनान्तर्गत नागदा, कटनी, सागर, रीवा नगर की जी.आई.एस. बेस्ड विकास योजना तैयार किये जाने का कार्य प्रचलन में है।
 - V कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश, विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि हेतु विभिन्न विषयों पर कार्यशालायें/प्रशिक्षण आयोजित करना

भाग-चार

1. सामान्य प्रशासनिक विषय
 - 1.1 विभागीय पदोन्नति — निरंक
 - 1.2 नियुक्ति — 05 कर्मचारियों की नियुक्ति प्रोजेक्ट बेस अनुबंध आधार पर अस्थाई रूप से की गई। आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इनकी समयावधि में वृद्धि की गई।।
 - 1.3 विभागीय जाँच — निरंक
 - 1.4 न्यायालयीन प्रकरण — निरंक
 - 1.5 01.04.2021 से 31.12.2021 तक म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर/जानकारी संस्थान द्वारा समय-सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

भाग-पांच

1. अभिनव योजना
 - 1.1. राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा अमृत योजनान्तर्गत नागदा, कटनी, सागर, रीवा नगर की जी.आई.एस. बेस्ड विकास योजना तैयार किये जाने का कार्य संपादित किया जा रहा है, जिसकी अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-
 - नागदा नगर की विकास योजना, 2035 (प्रारूप) प्रकाशन के उपरांत म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (2) की प्रक्रिया प्रचलन में हैं।
 - कटनी एवं रीवा नगर की विकास योजना, 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन किया जा चुका है।

- सागर नगर की विकास योजना, 2035 के प्रारूप प्रकाशन का कार्य अंतिम चरण में है।
- 2.2 अमृत नगरों हेतु संचालनालय की वेब बेस्ड एप्लीकेशन तैयार किये जाने का कार्य मेप आई.टी. के माध्यम से किया जा रहा है।

भाग—छः

1. राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना
 - 1.1 राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संस्थान द्वारा अमल किया जा रहा है। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतिरोषण) अधिनियम, 2013 एवं नियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में एक पाँच सदस्यीय “आंतरिक परिवाद समिति” का गठन किया गया है। राज्य नगर नियोजन संस्थान में कार्यरत महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है।
- 2.2 राज्य नगर नियोजन संस्थान में महिला उत्पीड़न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। वर्तमान में संस्थान में कुल 10 महिलाकर्मि कार्यरत हैं।

भाग—सात

1. सारांश— आगामी वर्ष की योजनाएँ व कार्यक्रम
 - 1.1. आगामी वर्ष में राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा आईडीएसएमटी आवर्ती कोष योजनान्तर्गत नगरों के योजना घटकों के वास्तुविदीय कार्य।
 - 1.2. आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की आवर्ती कोष में जमा पूँजी से विभिन्न योजनाएँ तैयार करना।
 - 1.3. नगरीय निकायों की स्वयं वित्तीय योजनाओं का वास्तुविदीय कार्य किया जाना।
 - 1.4. अमृत योजनान्तर्गत नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा सौंपे गये विकास योजनाओं के कार्य।
 - 1.5. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश, विकास प्राधिकरणों हेतु जी.आई.एस. आधारित प्रशिक्षण का आयोजन।
 - 1.6. प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रप्रेषित करना तथा चाहे जाने पर नवगठित विकास प्राधिकरणों के लिये वित्त प्रबंधन तथा मार्गदर्शन प्रदान करना।
 - 1.7. विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की योजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना।
 - 1.8. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23—क (1) (ख) के अन्तर्गत उपान्तरण प्रकरणों का परीक्षण कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 (5) में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं समिति की अनुशंसाएँ नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।
 - 1.9. शासन के आदेश क्रमांक एफ—3/75/2013/32 दिनांक 05.07.2013 के परिपालन में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा—16 के अधीन भोपाल के वृद्धित निवेश क्षेत्र में विकास अनुज्ञा अंतर्गत परीक्षण एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 (5) में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं समिति की अनुशंसाएँ नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।

- 1.10. 34 अमृत नगरों हेतु संचालनालय की वेब बेस्ड एप्लीकेशन मेप आई.टी. के माध्यम से तैयार कराना।
 - 1.11. अमृत योजनान्तर्गत नागदा, कटनी, सागर एवं रीवा नगरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना का कार्य अंतिम चरण में।
 - 1.12. निजी सलाहकारों के माध्यम से 05 नगरों की विकास योजनाओं का कार्य संपादित कराया जा रहा है।
 - 1.13. विकास प्राधिकरणों की विभिन्न योजनाओं को सलाहकार के माध्यम से करवाने हेतु प्रतियोगिता प्रपत्र, अनुबंध एवं सलाहकार नियुक्त करने बाबत आवश्यक कार्यवाही।
 - 1.14. नगर विकास योजनाओं का कार्य सलाहकार के माध्यम से करवाना जैसे – जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर।
 - 1.15. राजमाता विजय राजे सिंधिया खेल परिसर के विकास हेतु सलाहकार का चयन कर कार्य संपादित किया जावेगा।
 - 1.16. ट्रांसपोर्ट नगर रतलाम के विकास हेतु सलाहकार का चयन कर कार्य संपादित किया जावेगा।
2. संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्य के निष्पादन तथा योजनाओं को तैयार करने/परीक्षण हेतु निजी सलाहकारों की सेवायें ली जाती हैं। इस हेतु पैनल ऑफ कन्सल्टेंट बनाया गया है। सलाहकारों की नियुक्ति/चयन हेतु एक निश्चित प्रक्रिया तथा सुस्पष्ट नीति तैयार की गई है। संस्थान का प्रयास यह है कि अधिकांश कार्य “इन हाउस” किये जायें।
 3. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा भू-उपयोग उपांतरण, विकास योजना, सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य इस संस्थान के माध्यम से कराये जा रहे हैं। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा भूमि विकास नियम 1984 में किये गये व्यापक संशोधनों के परिपेक्ष्य में कई कार्य राज्य नगर नियोजन संस्थान के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। इससे संचालनालय को कार्य संचालन में सहायता तथा विकास प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित हो सकेगा व राज्य नगर नियोजन संस्थान के कार्य संचालन में आ रही कठिनाईयों का निदान संभव हो सकेगा।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

अध्यक्ष	श्री आशुतोष तिवारी कैबिनेट मंत्री दर्जा	14.01.2022	निरंतर
प्रमुख सचिव	श्री मनीष सिंह, भा.प्र.से.	19.05.2021	निरंतर
आयुक्त	श्री भरत यादव, भा.प्र.से.	25.08.2020	निरंतर

आवास, मानव की मूलभूत आवश्यकता है। राज्य शासन का यह सदैव प्रयास रहा है कि प्रदेश के हर नागरिक के पास अपना स्वयं का घर हो। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल प्रदेश में आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासहीन आवंटियों को विभिन्न श्रेणी के भवन एवं विकसित भूखण्ड, आवश्यक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने की दिशा में सतत् प्रयासरत हैं। मंडल द्वारा अपनी स्थापना वर्ष से 31 दिसम्बर 2021 तक विभिन्न आय वर्ग के लिये 185422 आवास गृह तथा 163245 भूखण्डों का निर्माण एवं विकास कुल 348667 किया गया है। प्रदेश में शासकीय परिसरों के समुचित भूमि उपयोग हेतु शासन द्वारा जारी पुर्नघनत्वीकरण नीति अंतर्गत योजनाएं मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई हैं।

भाग – एक

1. अधीनस्थ कार्यालय

कार्यालय का नाम	सिविल कार्यालय	विद्युत कार्यालय
उपायुक्त	08	01
संभागीय	29	04
उप संभागीय	67	08

2. दृष्टिकोण

2.1 मंडल का हितग्राहियों के प्रति दृष्टिकोण

- अ सुन्दर, सदृढ़ व किफायती मूल्य पर आवासीय भवनों का निर्माण।
- ब आधुनिक एवं कम लागत के निर्माण की तकनीकी से निर्माण करना।
- स परियोजना को समय पर एवं बिना मूल्य वृद्धि के पूर्ण करना।
- द योजनाओं में आवंटियों को विक्रित भवनों बाबत पूर्ण संतुष्टि प्रदान करना।
- ई उचित स्थान।
- एफ विश्वसनीयता।

2.2 मंडल का शासन के प्रति दृष्टिकोण

- अ शासन की विभिन्न नीतियों एवं वचनों को विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं में प्रतिपूर्ति करना।
- ब मण्डल द्वारा विभिन्न विभागों के आवासीय, अधोसंरचना, निक्षेप कार्य एवं अन्य कार्यों को समय अनुसार एवं निपूर्णता के साथ क्रियान्वयन करना।
- स आवास निर्माण के क्षेत्र में निम्न आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिये आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा शासन द्वारा प्रदान निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति।
- द शासन पर वित्तीय भार को शून्य करना।
- ई शासन की प्रचलित नीति, निर्देशों अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

एफ. मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवासों के आवंटन में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाता है।

2.3 मंडल का अपने कर्मियों के प्रति दृष्टिकोण :

अ मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष एवं स्वच्छ, पारदर्शी वातावरण सुनिश्चित करना तथा प्रशिक्षण प्रदान कर उत्कृष्ट कार्य करने के अवसर प्रदान करना।

ब मानव संसाधन विकास की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं अनुसार कार्य करना।

स. अच्छे कार्य करने वाले कर्मियों को चिन्हित कर पुरस्कृत करना।

द. निर्माण कार्य में विलंब हेतु मैदानी अधिकारियों के दायित्व का निर्धारण तथा समय पूर्व कार्य करने पर अधिकारियों व ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने की नीति लागू की गई।

3 मण्डल के उद्देश्य

3.1 वर्षवार कार्य योजना निर्धारित कर क्रियान्वित करना, प्रशासकीय व्यय कम करना, किफायती मूल्य के भवन निर्माण के मार्गदर्शी सिद्धांतों को अमल में लाना।

3.2 भवन निर्माण में फ्लाइंग ऐश ईटो एवं पर्यावरण अनुकूल नवीन तकनीकी अनुसार अच्छी गुणवत्ता के किफायती मूल्य के भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य सुनिश्चित करना।

3.3 समाज के सभी वर्गों हेतु आवास एवं भूखण्डों का निर्माण।

3.4 अन्य विभागों/संस्थाओं हेतु निक्षेप योजनान्तर्गत निर्माण कार्य संपादित करना।

3.5 शासन की पुनर्धनत्वीकरण योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

3.6 वेब साइट के माध्यम से मण्डल कर्मियों, आवंटियों एवं जन समुदाय हेतु महत्वपूर्ण जानकारीयों उपलब्ध कराना।

3.7 योजनाओं को निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप एवं समय सीमा अनुसार पूर्ण करना।

3.8 आवंटियों एवं निक्षेपकर्ता विभाग को जिम्मेदारी, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ सेवा प्रदान करना।

3.9 कोविड-19 के दृष्टिगत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन मण्डल द्वारा समस्त योजनाओं में किया जा रहा है।

3.10 निर्माण कार्यों के लिए वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय निर्माण सामग्री एवं सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा देना।

4. स्थापना

4.1 म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना वर्ष 1960 में हुई। आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने तथा उस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास का दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य में गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मण्डल का गठन कर मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संशोधन अधिनियम 1972 के अंतर्गत मण्डल कार्यरत है। मण्डल की स्थापना प्रदेश की आवासीय समस्याओं के निराकरण, आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास गृहों के निर्माण एवं आवासीय भूखंडों को विकसित कर नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। नागरिकों की आवासीय सुविधा के साथ-साथ केन्द्र सरकार, मध्यप्रदेश शासन, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निगमों, मण्डलों, बैंकों, सहकारी समितियों के भवन निर्माण संबंधी कार्य निक्षेप योजना के अन्तर्गत संपन्न कराये जाते हैं।

5. निर्माण एवं विकास कार्य

- 5.1 मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना से 31 दिसम्बर 2021 तक विभिन्न आय वर्ग श्रेणियों के लिये 185422 आवास गृह तथा 163245 भूखण्डों का निर्माण एवं विकास कुल 348667 किया गया है। भूखंड एवं भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति जैसे आफिस काम्पलेक्स, ऑडिटोरियम, शापिंग सेन्टर, वाणिज्यिक क्षेत्र तथा लोकोपयोगी भवन का निर्माण भी किया गया है।
- 5.2 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल आवासीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं उनके उपक्रमों हेतु निक्षेप कार्य अंतर्गत निर्माण कार्य सम्पादित करता है। इस क्रम में मण्डल द्वारा केन्द्र शासन हेतु केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसरो एवं राज्य शासन हेतु धर्मस्व विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदिमजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, कौशल प्रदेश के विभिन्न विश्व विद्यालयों हेतु निर्माण कार्य निष्पादित किये हैं। शासन की पुनर्धनत्वीकरण योजना अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन भी मण्डल द्वारा किया जा रहा है।

भाग – दो

1. मण्डल की विगत पाँच वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी

1.1 भवन निर्माण

(निर्मित भवनों की संख्या)

क्रमांक	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (31 दिसम्बर 2021 तक)
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	1810	2311	725	159	223
2.	एल.आई.जी.	1349	2154	454	193	192
3.	एम.आई.जी.	352	259	20	56	20
4.	एच.आई.जी.	494	508	432	179	04
	कुल	4005	5232	1631	587	439

1.2 भूखण्ड विकास

(विकसित भूखण्डों की संख्या)

क्रमांक	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (31 दिसम्बर 2021 तक)
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	479	825	313	57	295
2.	एल.आई.जी.	246	267	145	21	172
3.	एम.आई.जी.	267	223	186	109	92
4.	एच.आई.जी.	488	116	104	31	05
	कुल	1480	1431	748	218	564

1.3 मण्डल की वित्तीय स्थिति

(राशि रु.करोड़)

क्र.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (31दिसम्बर 2021 तक)
1.	टर्न ओवर	880.00	756.84	792.92	745.69	577.14

1.4 स्वीकृत परियोजनाएँ

(राशि रु.लाख)

क्र.	विवरण		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (31दिसम्बर 2021 तक)
1.	मण्डल द्वारा स्वीकृत परियोजनायें	योजना	13153.77	46162.72	10872.11	16808.00	30794.56
		संख्या	(07)	(17)	(07)	(10)	(36)

1.5 प्रशासनिक व्यय

(राशि रु.लाख)

क्र.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (31दिसम्बर 2021 तक)
1.	प्रशासनिक व्यय	5951.00	8667.00	7160.28	9235.00	5758.00

1.6 कम्प्यूटराईजेशन का कार्य

- 1.6.1. एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से ई-पंजीयन एवं ई-आफर की सुविधा प्रारंभ की गई दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक मण्डल को पंजीयन राशि निम्नानुसार प्राप्त हुई रु—

ई-पंजीयन	—	राशि	—	8,81,80,100.00
ई-ऑफर	—	राशि	—	21,28,61,770.00
दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक		कुल प्राप्ति	—	30,10,41,870.00
दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2021 तक		राशि	—	453,70,42,932

- 1.6.2. मंडल शत प्रतिशत वृत्त कार्यालयों को विडिओ कांफ्रेंसिंग में जोड़ दिया गया है ।

- 1.6.3. विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी वृत्त एवं संभाग की मासिक समीक्षा बैठक हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की गयी ।

- 1.6.4. मण्डल के सभी उप संभागों को भी कम्प्यूटर, प्रिटर एवं इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध करायी गयी ।

- 1.6.5. म.प्र. शासन की ई-मेल नीति को मंडल द्वारा अंगीकार कर मुख्यालय एवं मैदानी कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों हेतु ई-मेल आई.डी. बनाकर सतत उपयोग किया जा रहा है ।

- 1.6.6. मंडल द्वारा अपने निर्माण कार्यो, मासिक बैठकों एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी Facebook, Twitter, Instagram आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रदर्शित की जा रही ।

- 1.6.7. मंडल द्वारा अपने हितग्राहियों को ऑनलाइन राशि जमा कराने या अपने भवन के लेखा संधारण को देखने की सुविधा आवंटी पोर्टल पर दी गयी है ।

- 1.6.8. मंडल में निर्माण कार्यों के तकनीकी स्वीकृति एवं एन.आई.टी. का कार्य शत प्रतिशत ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है।
- 1.6.9. मंडल में समस्त निर्माण कार्यों की ऑनलाइन एम.बी. संधारण का कार्य एवं देयक का कार्य शत प्रतिशत ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है।
- 1.6.10. मंडल में समस्त कार्यालयों के रोकड़ एवं लेखा कार्य शत प्रतिशत ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है।
- 1.7 मंडल की वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराई गई है :-
- 1.7.1. मंडल की समस्त ऑनलाइन योजनायें ई-पंजीयन/ई-ऑफर – Live
- 1.7.2. मंडल द्वारा जारी की गई निविदाओं की जानकारी – Live
- 1.7.3. मंडल की त्रैमासिक पत्रिका "आशियाना"
- 1.7.4. मंडल की वर्तमान आवासीय एवं अटल आश्रय योजनायें
- 1.7.5. मंडल की प्रस्तावित योजनायें
- 1.7.6. मंडल की पूर्ण हो चुकी योजनायें
- 1.7.7. मंडल को प्राप्त पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र
2. माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण (दिसम्बर, 2021 की स्थिति में)
- 2.1 विधि शाखा में लंबित/निराकृत प्रकरणों की संख्या

क्र.	न्यायालयों का नाम	लंबित प्रकरण दिसम्बर 2021 तक	निराकृत प्रकरण 1 जनवरी से दिसम्बर 2021 तक	पक्ष	विपक्ष
1	सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली	15	4	4	0
2	राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली	7	1	1	0
3	उच्च न्यायालय जबलपुर, (अवमानना सहित)	578	33	17	16
4	उच्च न्यायालय ग्वालियर (अवमानना सहित)	159	7	5	2
5	उच्च न्यायालय इन्दौर (अवमानना सहित)	147	2	0	2
6	राज्य उपभोक्ता फोरम, भोपाल	266	16	11	5
7	मध्य प्रदेश मध्यस्थम अभिकरण विध्याचल भवन भोपाल	5	2	2	0
8	राजस्व मण्डल	2	0	0	0
9	रेरा	37	0	0	0
10	रेरा अपीलेंट ट्रिब्यूनल	14	3	2	1
11	जिला एवं सत्र न्यायालय	147	13	8	5
12	जिला उपभोक्ता फोरम,	56	8	6	2
13	हरित अभिकरण एन.जी.टी (हाउसिंग एवं पर्यावरणीय विभाग)	1	1	0	1
14	औद्योगिक न्यायालय	1	1	1	0
15	श्रम न्यायालय (इंदौर/भोपाल/ग्वालियर/जबलपुर)	16	0	0	0
16	म.प्र. नगरीय विकास एवं आवास विभाग	0	1	1	0
	कुल योग	1451	92	58	34

2.2 वर्ष 2021 के प्रकरणों में नियुक्त अधिवक्ताओं की संख्या — 154

3. सतर्कता शाखा से संबंधित

मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास लंबित प्रकरणों का विवरण (31 दिसम्बर 2021 की स्थिति में)

3.1 राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायतें।

क्र.	विभाग अंतर्गत लंबित प्रकरण की संख्या	प्रकरणों की संख्या
1	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायतें	14
2	लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल से प्राप्त शिकायतों 01.01.2021 से दिसम्बर 31.12.2021 तक (जिनमें पेशियां दी जाती हैं 7 प्रकरण हैं)	17
3	सी. बी. आई. से संबंधित प्रकरणों की संख्या	0
4	सक्रिय/शिकायती जांच के लम्बित प्रकरणों की सूची	43
	कुल प्रकरण	74
क्र.	निराकृत प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या
1	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायतें	09
2	लोकायुक्त कार्यालय म. प्र. भोपाल से प्राप्त शिकायतों	01
3	सी.बी.आई. से संबंधित प्रकरणों की संख्या	0
4	सक्रिय/शिकायती जांच के लम्बित प्रकरणों की सूची	25
	कुल निराकृत प्रकरण	35

4. कस्टमर ग्रीवेन्स रिड्रेसल सेल

4.1 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल में कस्टमर ग्रीवेन्स रिड्रेसल सेल की स्थापना जनवरी-2003 में हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य मंडल के हितग्राहियों एवं मंडल से संबंधित जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना है।

4.2 इस सेल की स्थापना दिनांक से 31 दिसम्बर 2021 तक 5034 शिकायतें मंडल के हितग्राहियों से म.प्र. शासन के लोक सेवा प्रबंधन विभाग से एवं अन्य विभागों से प्राप्त हुई, जिसमें से 4615 (91.67 प्रतिशत) शिकायतों का निराकरण किया गया है।

5. मंडल द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन

5.1 दिनांक 01 मई 2017 से प्रदेश में भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण म.प्र. (रेरा) अस्तित्व में आया। प्राधिकरण के नियमानुसार समस्त निर्माणाधीन, प्रस्तावित रियल स्टेट योजनाओं का नियमानुसार पंजीयन रera में कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंध में मण्डल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए समय-सीमा में 93 परियोजनाओं को रera में पंजीकृत कराया एवं दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक 04 पंजीकृत कराया गया। योजनाओं में रera नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जा रही है।

5.2 मण्डल द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनसामान्य को आवासीय भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने, निक्षेप कार्य एवं पुर्नघनत्वीकरण योजनाओं संबंधी कार्य के दृष्टि से वर्ष 2021-22 में 31 दिसम्बर 2021 तक विभिन्न योजनाएँ लागत रु. 30794.56 लाख स्वीकृत की गई हैं।

6. महत्वपूर्ण समस्त योजनाएँ वर्ष 2021-22 में स्वीकृत निविदाओं की जानकारी (31 दिसम्बर 2021) तक

क्र.	कार्य का नाम	निविदा राशि रु. लाख में
1	2	3
	वृत्त-2 भोपाल (निक्षेप कार्य)	
1	आई.टी. पार्क बड़वाई भोपाल में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य, गेट एवं अन्य कार्य।	334.70
	योग	334.70
	वृत्त-ग्वालियर (निक्षेप कार्य)	
1	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय माधव कॉलेज चंदेरी जिला-अशोकनगर में नवीन कार्य, रिनोवेशन एवं बैरियर फ्री डिजाईन कार्य।	420.94
2	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय गर्ल्स कॉलेज जिला-शिवपुरी में निर्माण कार्य एवं रिनोवेशन कार्य।	269.74
3	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय जी.एस.व्ही. कॉलेज मुंगावली जिला-अशोकनगर में निर्माण कार्य एवं रिनोवेशन कार्य।	324.16
4	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय पी.जी. कॉलेज मुरैना में नवीन कार्य, रिनोवेशन एवं बैरियर फ्री डिजाईन कार्य।	265.06
5	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय एम.जे.एस. कॉलेज भिण्ड में नवीन कार्य, रिनोवेशन एवं बैरियर फ्री डिजाईन कार्य।	259.95
6	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय कॉलेज पगरा रोड जौरा मुरैना में नवीन कार्य, रिनोवेशन, बैरियर फ्री एवं विकास कार्य।	350.54
7	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय विजरायराजे गर्ल्स पी.जी. कॉलेज मुरार ग्वालियर में नवीन कार्य, रिनोवेशन एवं विकास कार्य।	615.61
8	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय नेहरू पी.जी. कॉलेज अशोक नगर में नवीन कार्य, रिनोवेशन एवं विकास कार्य।	519.27
9	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय पी.जी. कॉलेज मुरैना में नवीन कार्य, रिनोवेशन एवं बैरियर फ्री डिजाईन कार्य।	334.25
10	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय माधव सिंधिया पी.जी. कॉलेज शिवपुरी में नवीन कार्य, रिनोवेशन, बैरियर फ्री एवं विकास कार्य।	471.64
11	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय पी.जी. कॉलेज गुना में नवीन कार्य, रिनोवेशन, बैरियर फ्री एवं विकास कार्य।	578.92
12	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया साईन्स कॉलेज ग्वालियर में नवीन कार्य, रिनोवेशन, बैरियर फ्री एवं विकास कार्य।	614.14
13	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय पी.जी. कॉलेज दतिया में नवीन कार्य, रिनोवेशन, बैरियर फ्री एवं विकास कार्य।	286.56
	योग	5310.78
	वृत्त-ग्वालियर (अटल आश्रय योजना)	
1	सिलारपुर ब्लॉक करेरा जिला शिवपुरी में 56 एल.आई.जी., 50 ई.डब्ल्यू.एस. एवं 1.822 हेक्टेयर भूमि का विकास कार्य।	443.61
	योग	443.61

	वृत्त-सागर (निक्षेप कार्य)	
1	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय छत्रसाल पी.जी. कॉलेज पन्ना में नवीन कार्य, रिनोवेशन, बैरियर फ्री डिजाईन एवं विकास कार्य।	291.47
	योग	291.47
	वृत्त-सागर (स्वयं वित्तीय योजना)	
1	डॉ. हरिसिंह गौर नगर सागर में 26 एच.आई.जी.-बी, 11 एम.आई.जी.-ए भवनों का निर्माण।	484.42
	योग	484.42
	वृत्त-सागर (अटल आश्रय योजना)	
1	काशीनगर हटा जिला दमोह में 30 एल.आई.जी., 20 ई.डब्ल्यू.एस. एवं 2.03 हैक्टेयर भूमि का विकास कार्य।	352.92
2	जगदीशपुरा खुरई जिला-सागर में 01 एल.आई.जी., 01 ई.डब्ल्यू.एस. सैम्पल भवनों का निर्माण कार्य एवं 5.00 हैक्टेयर भूमि का विकास कार्य।	344.20
	योग	697.12
	वृत्त-जबलपुर (निक्षेप कार्य)	
1	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय पी.जी. कॉलेज मलाजीखण्ड एवं शासकीय रानी दुर्गावती कॉलेज परसवाड़ा जिला-बालाघाट में नवीन कार्य, रिनोवेशन, बैरियर फ्री कार्य।	344.66
2	छिंदवाड़ा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण कार्य।	236.63
3	कन्हैया परिसर छिंदवाड़ा में एस.सी. प्री-मैट्रिक गर्ल्स होस्टल 1 एवं 2 का निर्माण कार्य।	330.16
	योग	911.45
	वृत्त-जबलपुर (पुर्नघनत्वीकरण योजना)	
1	पुराना ऑफिस कैम्पस हाथीताल जबलपुर में 24 दुकानें, 2 बी.एच.के. फ्लैट्स-40, 3 बी.एच.के. फ्लैट्स-15 एवं विकास कार्य।	1563.45
2	छोटी ओमती जबलपुर में आवासीय/व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य।	3188.00
	योग	4751.45
	वृत्त-उज्जैन (निक्षेप कार्य)	
1	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत शासकीय कॉलेज हाथपिपलिया जिला-देवास, शासकीय कृष्णाजीराव पी.जी. कॉलेज देवास, शासकीय कॉलेज कन्नौद जिला-देवास में निर्माण कार्य, रिनोवेशन, बैरियर फ्री एवं डिजाईन का कार्य।	550.58
2	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत माधव साइन्स कॉलेज, माधव आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज, शासकीय गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, शासकीय कालीदास गर्ल्स कॉलेज उज्जैन में निर्माण कार्य, रिनोवेशन, बैरियर फ्री डिजाईन का कार्य।	1225.17
	योग	1775.75
	वृत्त-रीवा (निक्षेप कार्य)	
1	एम.सी.एन.यू.जे.सी. रीवा कैम्पस में आडिटोरियम एवं प्रशासकीय ब्लॉक का आन्तरिक फर्निशिंग का कार्य।	389.06
2	आर. एवं आर. कालोनी अमेलिया कोल माईन्स पचौर में लेवलिंग का कार्य।	242.99

3	शासकीय डिग्री कॉलेज वेंकट नगर, राजनगर जिला-अनूपपुर एवं केशवी नगर शहडोल में सिविल कार्य, वाटर सप्लाई, सेनेट्री फिटिंग, विद्युत कार्य एवं विकास कार्य।	952.35
4	शासकीय डिग्री कॉलेज गोहपारूर शहडोल में सिविल कार्य, वाटर सप्लाई, सेनेट्री फिटिंग, विद्युत कार्य एवं विकास कार्य।	379.27
5	शासकीय डिग्री कॉलेज नष्टिगवां जिला-रीवा में सिविल कार्य, वाटर सप्लाई, सेनेट्री फिटिंग, विद्युत कार्य एवं विकास कार्य।	429.17
6.	शासकीय महाविद्यालय अमदरा, बदेरा एवं उचेहरा जिला सतना के नवीन निर्माण काय।	1223.46
	योग	3618.30
	वृत्त-इन्दौर (निक्षेप कार्य)	
1	हातोड जिला इन्दौर शासकीय अस्पताल में प्राईमरी हैल्थ सेंटर एवं अपग्रेडेशन कार्य, 5 नं. स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण कार्य।	290.56
2	वर्ल्ड बैंक परियोजना के अन्तर्गत बेरूलाल पाटीदार शासकीय कॉलेज महू इन्दौर में नवीन कार्य, रिनोवेशन, बैरियर फ्री डिजाईन का कार्य।	359.60
3	शासकीय आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज पीथमपुर एवं उमरावन जिला-धार में सिविल कार्य, वाटर सप्लाई, सेनेट्री फिटिंग, विद्युत कार्य एवं विकास कार्य।	808.37
	योग	1458.53
	वृत्त-इन्दौर (पुनर्घनत्वीकरण योजना)	
1	सियागंज इन्दौर में व्यावसायिक काम्पलैक्स, दुकानें, आफिस हॉल एवं विकास कार्य।	2200.00
	योग	2200.00
अ.	निक्षेप कार्य योग राशि रु.	13698.98
ब.	अटल आश्रय योजना योग राशि रु.	1140.73
स.	स्वयं वित्तीय योजनायोग राशि रु.	484.42
द.	पुनर्घनत्वीकरण योजनायोग राशि रु.	6951.45
	(अ)+(ब)+(स)+(द) योग राशि रु.	22,275.58
	वृत्त स्तर एवं संभाग स्तर से स्वीकृत निविदा राशि रु.	8,518.98
	महायोग राशि रु.	30,794.56

7. म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्वयं की महत्वपूर्ण निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित आवासीय योजनाओं की जानकारी
- 7.1 प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर शासकीय भवन ऐसी भूमि पर स्थित है, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी भूमि के उचित उपयोग तथा आवास समस्या हल करने के लिए राज्य शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण (रीडेन्सीफिकेशन) योजना प्रारंभ की गई है।
- 7.2 मण्डल द्वारा क्रियान्वित की जा रही पुनर्घनत्वीकरण योजनाओं से प्रदेश में विकास/रोजगार/अधोसंरचना संबंधी सुदृढ़ीकरण होगा जिससे निवेशकर्ता प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे एवं प्रदेश के सामाजिक स्तर के उन्नयन में सहायक होगा।

8. प्रमुखता

- 8.1 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से वृहद परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे शासन पर आर्थिक भार न होते हुए शहर का विकास किया जा सके। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा व्यवसायिक रूप से परिसरों के निर्माण कार्य हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं से योगदान प्राप्त कर निर्माण कार्य पूर्ण किये जावेंगे, जिसके लिए अधोसंरचना का विकास इस प्रकार किया जावेगा कि उनकी भागीदारी स्वतः ही सुनिश्चित हो जावे। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के प्रमुख शहरों से प्रारम्भ किया जावेगा।

8.2 अटल आश्रय योजनांतर्गत अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-

शासन से कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों हेतु आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रियायती दर पर शासकीय भूमि प्राप्त कर अटल आश्रय योजना क्रियान्वित की जा रही है।

क्र.	विवरण	योजनाएं	कुल इकाइयां
1.	पूर्ण योजनाएं	16	2954
2.	निर्माणाधीन योजनाएं	11	3154
3.	पंजीयनरत योजनाएं	04	516
4.	पंजीयन प्राप्त नहीं होने से अप्रारंभ योजनाएं	28	9362
5.	नवीन प्रस्तावित योजनाएं	05	834
	योग	64	16820

- 8.3 मण्डल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि किये जाने वाले कार्यों में न सिर्फ जनभागीदारी सुनिश्चित की जावे, बल्कि निर्माण कार्य भी इस प्रकार हों कि प्रदेश के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

- 8.4 यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि छोटे शहरों में भी योजनायें प्रारम्भ की जावें, ताकि उनका न सिर्फ विकास हो सके अपितु उन क्षेत्रों की जनसंख्या को बड़े शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति से रोका जा सके।

- 8.5 मंडल द्वारा विकसित कालोनियों के सुचारु रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31 दिसम्बर 2021 तक 03 कालोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की हैं।

9. शासन के अन्य विभागों हेतु कन्सलटेन्सी

- 9.1 मण्डल के द्वारा अपनी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के अलावा म.प्र. शासन/केन्द्र शासन के अन्य विभागों के लिये डिपोजिट वर्क एवं कन्सलटेन्ट एजेंसी के तौर पर भी कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2021-2022 में (31 दिसम्बर 2021 तक) की प्रगतिशील योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

9.1.1. निक्षेप निर्माण कार्य

क्र.	निक्षेपकर्ताविभाग	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ में)
1.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	02	34.33
2.	कौशल विकास विभाग	15	330.21
3.	जनसंपर्क विभाग	04	233.63
4.	उच्च शिक्षा विभाग	06	18.13

5.	धर्मस्व विभाग	287	132.48
6.	पशु पालन विभाग के विभिन्न जिलों के कार्य	21	6.87
7.	स्वास्थ्य विभाग	216	104.15
8.	रेशम विभाग	02	2.77
9.	महिला बाल विकास विभाग	07	8.60
10.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	02	2.57
11.	सूक्ष्म एवं लघु मध्यम इंटरप्राइजेस	04	12.59
12.	सामान्य प्रशासन विभाग	03	8.54
13.	पंचायत विभाग	02	15.02
14.	खाद्य एवं औषधि विभाग	03	14.29
15.	प्रदुषण नियंत्रण मण्डल	03	8.22
16.	अनुसूचित जनजातीय विकास	12	24.59
17.	हस्तशिल्प (हाथकरघा)	17	5.17
18.	अनुसूचित जाति विकास विभाग	18	45.00
19.	आयुष विभाग	01	6.41
20.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	01	4.38
21.	म.प्र.राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग	03	0.92
22.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	05	6.64
23.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक	09	7.86
24.	अद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वाणिकी	13	8.93
25.	विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत म.प्र. के विभिन्न स्थानों पर महाविद्यालय के निर्माण कार्य	100	308.25
26.	रुसा चरण-1/2 अंतर्गत म.प्र. के विभिन्न स्थानों पर महाविद्यालय के निर्माण	16	14.37
	कुल	772	1364.93

9.1.2 पुनर्धनत्वीकरण योजनाओं की स्थिति :-

क्र.	विवरण	संख्या
1	पूर्ण पुनर्धनत्वीकरण योजनाएँ	05
2	प्रगतिशील पुनर्धनत्वीकरण योजनाएँ	12
3	डी.पी.आर. अनुमोदन प्राप्त योजनाएँ	04
4	पी.पी.आर. अनुमोदन प्राप्त योजनाएँ	13
5	पी.पी.आर अनुमोदन हेतु प्रस्तावित	13
	कुल योजनाएँ	47

भाग –तीन

1. बजट

- 1.1. मण्डल एक स्व वित्त पोषित संस्था है, मण्डल को आवासीय भवनों/भूखण्ड की योजनाओं, निक्षेप एवं पुनर्धनत्वीकरण योजनाओं से प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क मण्डल की आय के मुख्य स्रोत हैं।

- 1.2. मण्डल के अंतिम लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 एवं 2017-2018 विधान सभा पटल पर माह 21 सितम्बर 2020 प्रस्तुत किया गया ।
- 1.3. मण्डल गठन के पश्चात् वर्ष 2021-2022 में सर्वाधिक शुद्ध लाभ रु 15.00 करोड़ संभावित है, (आयकर पश्चात्) ।
- 1.4. हितग्राहियों को आवास सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराने हेतु 8 राष्ट्रीयकृत बैंक व 6 वित्तीय संस्थानों (माइक्रो फायनेन्स) के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है ।
- 1.5. एन.एच.बी. एवं शासकीय ऋण की प्रीमेच्युर भुगतान एवं समस्त देयताओं का भुगतान कर मण्डल ऋणमुक्त संस्थान बन गया ।
- 1.6. एन.पी.एस. के अंतर्गत वर्ष 2005 के पश्चात सेवा में आने मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा काटी गई राशि एन.पी.एस. में जमा की जा रही है ।
- 1.7. वित्तीय वर्ष 2021-2022 पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 अनुमानित बजट तैयार किया जा रहा है ।
- 1.8. वित्तीय वर्ष 2020-2021 संचालक मण्डल से अनुमोदन होने के उपरांत महालेखाकार लेख परीक्षा भोपाल की ओर अंकेक्षण हेतु भेजा जा सकेगा ।

भाग – चार

1. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं
 - (अ) अटल आश्रय योजना
 - (ब) पुनर्धनत्वीकरण योजना
 - (स) पी एम ए वार्ड (PMAY)

भाग – पांच

1. सामान्य प्रशासनिक विषय
 - (अ) 01 अप्रैल 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से विधान सभा सचिवालय से कुल 40 प्रश्न प्राप्त हुए (14 तारांकित प्रश्न, 19 अतारांकित प्रश्न, आश्वासन 00 ध्यानाकर्षण 04 अभ्यावेदन 00 राज्य सभा 01, शून्य काल सूचना 00, लोक सभा प्रश्न 01 एवं याचिका 01)। मण्डल द्वारा समय-सीमा में प्रश्नों से संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई गई ।
 - (ब) वर्ष 2021-22 में 31 दिसम्बर 2021 तक स्थानांतरण/पदोन्नति/नियुक्ति के प्रकरणों की जानकारी:-

क्र.	विवरण	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
1	स्थानांतरण	04	21	89	14
2	पदोन्नति	00	00	00	00
3	नियुक्ति	00	00	अनुकम्पा नियुक्ति 14	अनुकम्पा नियुक्ति 04

(स) वर्ष 2021-22 में 31 दिसम्बर 2021 तक विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी :-

1	दिसम्बर 2021 तक जाँच संस्थित शेष प्रकरण	24
2	दिसम्बर 2021 तक प्राप्त जाँच प्रतिवेदन	08
3	निराकृत प्रकरण (वर्ष 2021 में)	06

भाग – छः

1. राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

- 1.1 राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर अमल किया जा रहा है। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये मंडल द्वारा महिला उत्तपीड़न समिति का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत महिला अधिकारी श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पीठासीन अधिकारी, श्रीमती आरती शर्मा, मुख्य लेखा अधिकारी सदस्य, श्री मृत्युंजय सिंह मुख्य सतर्कता अधिकारी सह विधिक सलाहकार सदस्य एवं श्री एफ.एल.मार्को प्रशासनिक अधिकारी सदस्य को नामांकित किया है।

भाग – सात

1. पहल 2021-22 में 31 दिसम्बर 2021 तक विभागीय गतिविधियों/कार्यक्रमों को जनोन्मुखी बनाने हेतु प्रयास एवं योजनाओं की भौतिक/वित्तीय उपलब्धियां –

- विभागीय गतिविधियों, कार्यक्रमों को जनोन्मुखी बनाने हेतु ई-आफर, ई-पंजीयन के माध्यम से योजनाओं के पंजीयन/ऑफर आमंत्रित किये जा रहे हैं। निविदाओं का आमंत्रण ई-टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है।
- प्रदेश के विभिन्न शहरों में आवासीय सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणियों के भवन निर्मित एवं भूखण्ड विकसित किये जाते हैं व केन्द्र शासन व राज्य शासन के विभिन्न शासकीय एवं अर्ध-शासकीय विभागों हेतु निर्माण कार्यो का निक्षेप कार्यो एवं पुनर्घट्टीकरण योजनांतर्गत निष्पादन किया जाता है।
- विगत एक वर्ष में मण्डल द्वारा 12 आवासीय योजनाओं (लागत रु. 166.69 करोड़) का निर्माण कार्य पूर्ण किए गये हैं।
- म.प्र. के 10 बड़े शहरों में कौशल विकास विभाग के 10 मेगा आई.टी.आई. (लागत रु. 300.00 करोड़) के निर्माण प्रारम्भ किये गये।
- विभिन्न शहरों में 10 मेगा आई.टी.आई. कार्य के अंतर्गत रु. 187.81 करोड़ का निर्माण कार्य पूर्ण किया।
- मण्डल द्वारा पुनर्घट्टीकरण नीति-2016 के अनुसार विभिन्न जिलों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहे हैं जिसमें वर्तमान में लगभग रु. 127.20 करोड़ की 05 योजनाओं को कार्य पूर्ण किया गया।
- मण्डल की समस्त भूमि का सत्यापन एवं रिकार्ड का संधारण किया जा रहा है।
- आध्यात्म विभाग के 287 निर्माण कार्य। (लागत रु. 132.48 करोड़) प्रारम्भ किये गये।
- मण्डल की आवासीय योजनाओं के चयन हेतु प्रोजेक्ट एप्रेजल फ्रेमवर्क का निर्धारण किया गया।

- रेरा नियमों के परिपालन हेतु रेरा एप्रेजल फ्रेम वर्क का निर्धारण किया गया एवं मण्डल की संपत्ति विनियम से संबंधित नीतियों, परिपत्रों एवं गाईड लाईन में संशोधन किया गया।
- सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सर्विसबुक शतप्रतिशत आनलाईन की गई।
- सभी आवंटियों के आनलाईन लीज एवं संपत्ति खातों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया।
- सभी वित्तीय लेन देन आनलाईन केवल माध्यम से किये जा रहे हैं।
- निर्माण कार्य में विलंब हेतु मैदानी अधिकारियों के दायित्व का निर्धारण तथा समय पूर्व कार्य करने पर अधिकारियों व ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने की नीति का प्रारूप तैयार किया गया।
- मण्डल मुख्यालय भोपाल में गुणवत्ता नियंत्रण एवं नवीन तकनीक प्रकोष्ठ का गठन को किया गया।
- मण्डल के निर्माण कार्यों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु चैक लिस्ट को जारी की गई।
- क्वालिटी मॉनिटरिंग एवं क्वालिटी एश्योरेन्स विषय पर मण्डल के समस्त मैदानी अधिकारियों हेतु कार्य शाला का आयोजन किया गया।
- मण्डल के निर्माण कार्यों की मॉनीटरिंग हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नवीन तकनीक एवं गेंट चार्ट तथा आनलाईन पी.एम.आई.एस. का उपयोग करते हुए रियल टाईम बेसिस पर मॉनीटरिंग की जा रही है।
- मण्डल की संपत्तियों के प्रसार, तथा मण्डल आवंटियों की सुविधा एवं शिकायतों की जानकारी एवं त्वरित निराकरण हेतु ट्वीटर तथा फेसबुक का उपयोग प्रारंभ किया गया।
- मण्डल के संपदा में आज दिनांक तक 8001 हितग्राहियों द्वारा मण्डल के आवंटी पोर्टल का उपयोग कर पंजीकरण कराया गया।
- 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक आनलाईन ई-आफर/ई-पंजीयन के माध्यम से मण्डल को पंजीयन राशि के रूप में राशि रु. 30.10 करोड़ प्राप्ति हुई।
- दरों का युक्ति युक्त करण कर पुरानी संपत्ति का विक्रय।
- बैंकों से हितग्राहियों को ऋण प्रदाय हेतु समन्वय।
- कमजोर आय वर्ग को रियायती दर पर संपत्ति का विक्रय।
- मार्केटिंग सैल की स्थापना।
- मण्डल की निर्माण योजनाओं में निजी वास्तुविद् के चयन हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया विकसित की गई है।
- मण्डल में पदस्थ वरिष्ठ सहायको एवं उनके समकक्ष कर्मचारियों को संभागीय लेखापाल का प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना।
- उपयंत्री/सहायक यंत्रियों को लेखा परीक्षण प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना।
- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएँ अंतर्गत मण्डल द्वारा 04 शहीदों के परिजनों को रु 212.80 लाख के भवनों को आवंटित किया गया।

2. संरक्षात्मक उपाय

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा अपनी योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निःशक्तजन तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण रखा जाता है। आरक्षित वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल सके इसकी प्रभावी बनाने के लिये विज्ञापनों में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

3. स्थानीय निकायों को कालोनी हस्तांतरण

वर्ष 2021-2022 में (31 दिसम्बर 2021 तक) में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की विभिन्न स्थानों पर नगर निकायों को हस्तांतरित कालोनियों की सूची –

क्र.	कालोनी का नाम एवं स्थान	स्वीकृत राशि (रु.लाख में)
1.	सतलापुर हाउसिंग बोर्ड कालोनी मण्डीदीप जिला रायसेन	685.00
2.	तात्याटोपे नगर, जिला शिवपुरी	43.30
3	रामेश्वरम कालोनी खिरसाडोह	15.75
	योग	744.05

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम

भाग—एक

1. विभागीय संरचना

- 1.1 मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का पंजीयन मध्यप्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन किया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक 18851 दिनांक 1 फरवरी, 1988 है। इस निगम का एक मात्र कार्यालय/मुख्यालय विंध्याचल भवन, भोपाल में स्थित है तथा इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश है। इसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग है। वर्तमान में प्रबंध संचालक पद का कार्य अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी देख रहे हैं तथा निगम कार्यालय में 3 तृतीय श्रेणी एवं 1 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जिलाध्यक्ष दर पर एक कम्प्यूटर टाईपिस्ट एवं 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मी अस्थाई रूप से म.प्र. गृह निर्माण मण्डल के से.नि. लेखापाल को दिनांक 06.12.2021 से एक मुश्त मासिक दर पर नियुक्त किया गया है।

2. अधीनस्थ कार्यालय

- 2.1 मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का एक मात्र कार्यालय/मुख्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है तथा प्रदेश में इसका कोई अन्य अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

3. निगम के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएं

- 3.1 मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का एक प्रतिष्ठान है तथा इस निगम के अंतर्गत अन्य कोई संस्था कार्यरत नहीं है।

4. निगम के दायित्व

- 4.1 राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहाकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान के लिये इस निगम की स्थापना की गई है।

5. निगम से सम्बंधित सामान्य जानकारी

- 5.1 निगम द्वारा कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान हेतु शासन से भूमि प्राप्त की जाती है तथा आवश्यकतानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है।
- 5.2 वित्तीय संस्थाओं जैसे हाउसिंग डेव्लपमेंट एवं फायनेंस कार्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि से आवश्यकतानुसार उक्त कार्य हेतु ऋण राशि प्राप्त कर, हितग्राहियों द्वारा उसके भुगतान के प्रबंधन का कार्य किया जाता है।
- 5.3 सामान्य रूप से म. प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आवास निर्माण एवं भू-खण्डों के विकास का कार्य कराया जाता है।

6. सामान्य या प्रमुख विशेषताएं

- 6.1 निगम द्वारा प्रदेश के सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहाकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उचित दरों पर आवासीय सुविधा कराने का कार्य किया जाता है।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

क्रमांक	उपलब्धियाँ	हिग्राहियों की संख्या
01.	निर्मित आवास उपलब्ध कराना	238
02.	विकसित भू-खण्ड उपलब्ध कराना	2,868

भाग—दो

1. बजट

- 1.1 निगम एक स्ववित्त पोषित संस्था है। संस्था की आय के स्रोत निगम की आवासीय योजनाओं के अंतर्गत भू-खण्डों/भवनों से प्राप्त एक प्रतिशत स्थापना शुल्क एवं ऋण/जमा आदि पर प्राप्त ब्याज की राशि है।
- 1.2 मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निगम की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1995-96 से एक निश्चित राशि धनवेष्टन हेतु निगम को उपलब्ध कराई जा रही थी परन्तु मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्त वर्ष 2004-2005 से कोई राशि इस निगम को धनवेष्टन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है। निगम द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 200.00 लाख धनवेष्टन हेतु तथा निगम के स्थापना व्ययों की प्रतिपूर्णा हेतु भी प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार राशि इस निगम को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।
- 1.3 निगम के वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं के खातों का अकेंक्षण का कार्य कराया जा रहा है।

भाग—तीन

1. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) राज्य योजनाएं

- (अ).1 निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-2017 के अंतर्गत दिसंबर, 2017 तक ग्वालियर, मंदसौर, नीमच (भू-खण्डों का विकास एवं भवनों का निर्माण), धार, कटनी, रीवा, दमोह एवं रतलाम, झाबुआ में लगभग रु. 2,915.20 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अंतर्गत भू-खण्डों के विकास एवं भवनों के निर्माण का कार्य गतिशील है तथा निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 250 भू-खण्डों तथा विभिन्न श्रेणी के 46 भवनों का आवंटन किया गया तथा इस वर्ष विभिन्न श्रेणी के 168 आवासीय भू-खण्डों का आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।
- (अ).2 महामहिम राज्यपाल महोदय के विगत वर्षों के अभिभाषणों के संदर्भ में दिसंबर, 2015 तक निगम द्वारा प्रदेश के 03 जिला मुख्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 421 आवासीय भू-खण्डों की लगभग रु.870.54 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अंतर्गत भू-खण्डों के आवंटन हेतु तथा 01 जिला मुख्यालय में विभिन्न श्रेणी के 46 आवासीय भवनों की लगभग रु. 377.14 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की गई।

- (ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना :- निरंक।
- (स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :- निरंक।
- (द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं :- निरंक।

भाग—चार

1. सामान्य प्रशासनिक विषय

- (अ) जॉच समितियों द्वारा किये गये अध्ययनों की जानकारी निरंक है। नियुक्तियों तथा स्थानान्तरणों के संबंध में जानकारी भाग — एक विभागीय संरचना शीर्षक अनुसार है।
- (ब) मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 के क्रम में निगम कार्यालय में की गई पदोन्नतियों के संबंध में जानकारी निरंक है।
- (स) जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2018 तक मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय से कुल 01 आतारांकित प्रश्न प्राप्त हुआ। निगम द्वारा प्राप्त प्रश्न के संबंध में वॉछित जानकारी समय—सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।
- (द) इस निगम द्वारा मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से प्राप्त विधानसभा से संबंधित आश्वासनों, विभिन्न याचिकाओं, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, प्रश्नोत्तर समिति, प्राक्कलन समिति आदि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर, विभाग को अवगत कराया गया।
- (इ) वर्ष 2020—21 के अंतर्गत माह जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 तक इस निगम के 03 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज है। पूर्व के न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है। एवं सभी प्रकरणों में निगम की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त है।

भाग—पाँच

1. अभिनव योजना

निरंक।

भाग—छः

इस निगम द्वारा कोई प्रकाशन नहीं किये जाते हैं। अतः जानकारी निरंक है।

भाग—सात

1. महिलाओं के लिये किये गये कार्यों के सम्बंध में जानकारी

- 1.1 निगम द्वारा अपनी आवासीय परियोजनाओं के अंतर्गत अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 2008 तक 353 तथा विगत चार वर्षों में विभिन्न श्रेणी के 15 आवासीय भू—खण्डों, 07 आवासीय भवनों एवं वर्ष 2015—16 में 21 आवासीय भू—खण्डों इस प्रकार कुल 406 पात्र महिला कर्मचारियों को आवासीय भू—खण्डों/भवनों का आवंटन किया गया है।

भाग—आठ

1. सारांश

- 1.1 इस निगम द्वारा शासकीय सेवकों को आवासीय सुविधा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में भोपाल एवं नीमच में विभिन्न श्रेणी के 238 निर्मित आवासों तथा ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, धार, कटनी, रीवा, दमोह, रतलाम एवं झाबुआ में विभिन्न श्रेणी के 2868 आवासीय भू—खण्डों का आवंटन पात्र शासकीय सेवकों को किया गया है। निगम का लक्ष्य प्रदेश के समस्त आवासहीन शासकीय कर्मचारियों को आवासीय सुविधा सुलभ कराना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्ष में संबंधित संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स द्वारा निर्धारित समयावधि में निगम की आवासीय योजनाओं हेतु प्रस्तावित भूमियों का आवंटन निगम के पक्ष में किया जाकर, आधिपत्य निगम को सौंप दिये जाने पर प्रदेश के चार जिला मुख्यालयों में अनुमानित लागत रु. 1446.57 लाख की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 448 आवासीय भू—खण्डों के विकास का कार्य प्रारंभ/पूर्ण किया जाकर, इनका आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश का स्वीकृत प्रशासकीय अमला

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आयुक्त	01	01	00
2	अपर आयुक्त	03	03	00
3	अपर आयुक्त/अपर संचालक (फायर)	01	01	00
4	अपर संचालक	03	03	00
5	संयुक्त संचालक	06	03	03
6	उप संचालक	08	08	00
7	उप संचालक (फायर)	01	00	01
8	सहायक संचालक	11	04	07
9	सहायक संचालक (फायर)	02	00	02
10	लेखा अधिकारी	01	01	00
11	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	04	02	02
12	अधीक्षक	09	05	04
13	वरिष्ठ निज सहायक	02	00	02
14	निज सहायक	04	01	03
15	शीघ्रलेखक वर्ग-3	09	05	04
16	सहायक वर्ग-1	19	13	06
17	सहायक वर्ग-1 (फायर)	01	00	01
18	लेखापाल	07	00	07
19	लेखापाल चुंगी	01	00	01
20	सहायक वर्ग-2	27	16	11
21	सहायक वर्ग-2 (फायर)	01	00	01
22	सहायक वर्ग-3	52	26	26
23	सहायक वर्ग-3 (फायर)	02	02	00
24	वाहन चालक	12	04	08
25	भृत्य	16	16	00
26	भृत्य (फायर-आउटसोर्स)	06	00	06
27	योग	209	114	95

संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक	10	08	02
2.	उप संचालक	03	00	03
3.	सहायक संचालक	10	06	04
4.	सहायक संचालक (फायर)	04	00	04
5.	शीघ्रलेखक वर्ग-1	02	00	02
6.	शीघ्रलेखक वर्ग-2	05	00	05
7.	शीघ्रलेखक वर्ग-3	10	05	05
8.	अधीक्षक	10	04	06
9.	सहायक वर्ग-1	20	11	09
10.	लेखापाल	10	01	09
11.	सहायक वर्ग-2	30	16	14
12	सहायक वर्ग-3	40	17	23
13	सहायक वर्ग-3 (फायर)	04	02	02
14	वाहन चालक	13	01	12
15	भृत्य	20	09	11
	योग	191	80	111

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रमुख अभियंता	01	01	00
2.	मुख्य अभियंता	01	01	00
3.	विशेष कर्तव्यस्थ अधि.	03	00	03
4.	अधीक्षण यंत्री	03	03	00
5.	कार्यपालन यंत्री	06	06	00
6.	सहायक यंत्री	06	06	00
7.	प्रशासकीय अधिकारी	01	00	01
8.	सहायक संचालक	01	01	00
9.	शीघ्रलेखक वर्ग-1	01	01	00
10.	शीघ्रलेखक वर्ग-2	02	02	00
11.	शीघ्रलेखक वर्ग-3	13	03	10
12.	उपयंत्री	00	17	—
13.	सहायक अधीक्षक	01	00	01
14.	सहायक वर्ग-1	10	00	10
15.	लेखापाल	01	00	01
16.	सहायक वर्ग-2	10	03	07
17.	मानचित्रकार	02	01	01
18.	स्टेनोग्राफिस्ट	01	00	01
19.	अंग्रेजी टायपिस्ट	01	00	01
20.	अनुरेखक (ट्रेसर)	01	00	01
21.	सहायक वर्ग-3	20	19	01
22.	व्यवस्थापक	01	00	01
23.	इलेक्ट्रीशियन	01	00	01
24.	वाहन चालक	17	14	03
25.	भूत्य	11	11	00
26.	चेनेमेन	01	00	01
27.	माली	03	01	02
28.	चौकीदार	08	07	01
29.	मॉडलर	02	00	02
30.	पंप अटेंडेंट	01	01	00
31.	वाटर मेन	01	00	01
32.	सफाई कर्मचारी	06	01	05
	योग	137	98	

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	अधीक्षण यंत्री	10	0	10
2.	कार्यपालन यंत्री	20	10	10
3.	विशेष कर्तव्यस्थ अधि.	2	0	2
4.	सहायक यंत्री	20	9	11
5.	मानचित्रकार	7	1	6
6.	ट्रेसर	7	0	7
7.	सहायक वर्ग-2	2	2	0
8.	सहायक वर्ग-3	14	13	01
9.	वाहन चालक	7	3	4
10.	भृत्य	14	13	01
	चौकीदार	8	4	4
	योग	111	55	56

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभागवार/जिलावार सूची

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर परिषद
1 ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार 5. मोहना*
	2. शिवपुरी		2. शिवपुरी	6. करेरा 7. कोलारस 8. खनियाधाना 9. पिछोर 10. बदरवास 11. नरवर 12. बैराड 13. रन्नौद* 14. पोहरी* 15. मगरौनी*
	3. गुना		3. गुना 4. राधोगढ़	16. चाचौडाबीनार्गज 17. आरोन 18. कुंभराज 19. मधुसूदनगढ़*
	4. अशोकनगर		5. अशोकनगर 6. चंदेरी	20. मुंगावली 21. ईसागढ़ 22. शाढौरा 23. पिपरई*
	5. दतिया		7. दतिया	24. भाण्डेर 25. इंदरगढ़ 26. सेवड़ा 27. बड़ौनी
2. चंबल	6. भिण्ड		8. भिण्ड 9. गोहद 10. लहार	28. मेहगांव 29. गोरमी 30. अकोड़ा 31. मिहोना 32. आलमपुर 33. दबोह 34. मौ 35. फूफकलां 36. रौन* 37. मालनपुर*
	7. मुरैना	2. मुरैना	11. अम्बाह 12. पोरसा 13. सबलगढ़	38. जौरा 39. कैलारस 40. झुण्डपुरा 41. बामौर
	8. श्योपुरकलां		14. श्योपुरकलां	42. विजयपुर 43. बड़ौदा

3. इंदौर	9. इंदौर	3. इंदौर		44. देपालपुर 45. सांवेर 46. गौतमपुरा 47. बेटमा 48. राऊ 49. हातौद 50. मानपुर 51. महुगाव
	10. धार		15. धार 16. मनावर 17. पीथमपुर	52. राजगढ़ 53. कुक्षी 54. बदनावर 55. धरमपुरी 56. धामनौद 57. सरदारपुर 58. मांडव 59. डही
	11. बड़वानी		18. सेंधवा 19. बड़वानी	60. अंजड़ 61. राजपुर 62. खेतिया 63. पानसेमल 64. पलसूद 65. ठीकरी* 66. निवाली बुजुर्ग*
	12. झाबुआ		20. झाबुआ	67. थांदला 68. पेटलावद 69. रानापुर 70. मेघनगर
	13. अलीराजपुर		21. अलीराजपुर	71. जोबट 72. भावरा
	14. पश्चिम निमाड़ (खरगौन)		22. खरगौन 23. सनावद 24. बड़वाह	73. मण्डलेश्वर 74. कसरावद 75. भीकनगांव 76. महेश्वर 77. करही एवं पांडल्याखुर्द 78. बिस्तान*
	15. पूर्व निमाड़ (खंडवा)	4. खंडवा		79. मूंदी 80. पंधाना 81. ओंकारेश्वर 82. छनेरा 83. पुनासा*
	16. बुरहानपुर	5. बुरहानपुर	25. नेपालगर	84. शाहपुर
4. उज्जैन	17. उज्जैन	6. उज्जैन	26. बड़नगर 27. महिदपुर 28. खाचरोद 29. नागदा	85. तराना 86. उन्हेल 87. माकडोन
	18. नीमच		30. नीमच	88. मनासा 89. रामपुरा 90. जावद 91. जीरन

				92. रतनगढ़ 93. सिंगोली 94. डिकेन 95. कुकड़ेश्वर 96. नयागांव 97. अठाना 98. सरवनिया महाराज
	19. देवास	7. देवास		99. कन्नौद 100. सोनकच्छ 101. खातेगांव 102. हाटपिपल्या 103. बागली 104. भौरासा 105. करनावद 106. काटाफोड़ 107. लोहारदा 108. सतवास 109. टोकेखुर्द 110. पिपलरंवा 111. नेमावर
	20. शाजापुर		31. शाजापुर 32. शुजालपुर	112. मक्सी 113. अकोदिया 114. पोलायकलां 115. पानखेडी
	21. आगर		33. आगर	116. नलखेड़ा 117. बडौद 118. कानड़ 119. सुसनेर 120. सोयतकलां 121. बड़ागांव
	22. रतलाम	8. रतलाम	34. जावरा	122. ताल 123. सैलाना 124. आलोटे 125. नामली 126. बड़ावदा 127. पिपलौदा 128. धामनौद
	23. मंदसौर		35. मंदसौर	129. शामगढ़ 130. सीतामऊ 131. पिपल्यामंडी 132. नारायणगढ़ 133. मल्हारगढ़ 134. भानपुरा 135. नगरी 136. गरोठ 137. सुवासरा 138. भैंसोदा मंडी*
5. भोपाल	24. भोपाल	9. भोपाल	36. बैरसिया	
	25. सीहोर		37. सीहोर 38. आष्टा	139. इछावर 140. बुदनी

				141. जावर 142. नसरुल्लागंज 143. रेहटी 144. कोठरी 145. शाहगंज
	26. रायसेन		39. रायसेन 40. बेगमगंज 41. मण्डीदीप	146. औबेदुल्लागंज 147. सुल्तानपुर 148. बरेली 149. बाड़ी 150. सांची 151. उदयपुरा 152. सिलवानी 153. गैरतगंज 154. देवरी*
	27. विदिशा		42. विदिशा 43. गंज बारासौदा 44. सिरोंज	155. कुरवाई 156. लटेरी 157. शमशाबाद
	28. राजगढ़		45. राजगढ़ 46. नरसिंहगढ़ 47. सारंगपुर 48. ब्यावरा	158. जीरापुर 159. कुरावर 160. खिलचीपुर 161. तलेन 162. बोड़ा 163. खुजनेर 164. पचोर 165. सुठालिया 166. माचलपुर 167. छापीहेड़ा
6. नर्मदापुरम्	29. होशंगाबाद		49. होशंगाबाद 50. इटारसी 51. सिवनीमालवा 52. पिपरिया	168. बाबई 169. सोहागपुर 170. बनखेड़ी
	30. हरदा		53. हरदा	171. टिमरनी 172. खिड़किया 173. सिराली*
	31. बैतूल		54. बैतूल 55. आमला 56. सारणी 57. मुलताई	174. बैतूल बाजार 175. भैंसदेही 176. आठनेर 177. चिचोली 178. घोड़ाडोंगरी* 179. शाहपुर*
7. सागर	32. सागर	10. सागर	58. बीना इटावा 59. खुरई 60. गढ़ाकोटा 61. रेहली 62. देवरी 63. मकरोनिया बुजुर्ग	180. राहतगढ़ 181. बंडा 182. शाहपुर 183. शाहगढ़ 184. मालथौन* 185. बांदरी* 186. बिलहरा* 187. सुरखी* 188. बरोदियाकलां*

				189. करारपुर*
	33. दमोह		64. दमोह 65. हटा	190. तैदुखेड़ा 191. पथरिया 192. हिन्दोरिया 193. पटेरा
	34. पन्ना		66. पन्ना	194. अमानगंज 195. देवेन्द्र नगर 196. अजयगढ़ 197. ककरहटी 198. पवई 199. गुन्नौर*
	35. छतरपुर		67. छतरपुर 68. नौगांव 69. महाराजपुर	200. धुवारा 201. सटई 202. बारीगढ़ 203. बिजावर 204. गढ़ीमल्हरा 205. बक्सवाहा 206. चंदला 207. बड़ामल्हरा 208. हरपालपुर 209. लवकुशनगर 210. खजुराहो 211. राजनगर
	36. टीकमगढ़		70. टीकमगढ़	212. बल्देवगढ़ 213. खरगापुर 214. पलेरा 215. जतारा 216. लिधोराखास 217. बड़ागांव 218. कारी
	37. निवाड़ी			219. निवाड़ी 220. पृथ्वीपुर 221. जैरोनखालसा 222. तरीचरकलौ 223. ओरछा
8. सीवा	38. सीवा	11. सीवा		224. बैकुंठपुर 225. मउगंज 226. त्यौथर 227. हनुमना 228. चाकघाट 229. गोविन्दगढ़ 230. नईगढ़ी 231. सिरमौर 232. मनगवां 233. सेमरिया 234. गुढ़ 235. डभौरा*
	39. सीधी		71. सीधी	236. चुरहट 237. रामपुरनेकिन

				238. मझौली
	40. सिंगरौली	12.सिंगरौली		239. सरई*
				240. बरगवां*
	41. सतना	13. सतना	72. मैहर	241. नागौद 242. बिरसिंहपुर 243. जैतवारा 244. कोटर 245. कोठी 246. अमरपाटन 247. रामपुर—बघेलान 248. उचेहरा 249. चित्रकूट 250. न्यू रामनगर
9. शहडोल	42. शहडोल		73. शहडोल 74. धनपुरी	251. बुढ़ार 252. ब्यौहारी 253. जयसिंहनगर 254. खाण्ड 255. बकहो*
	43.अनूपपुर		75. अनूपपुर 76. कोतमा 77. पसान 78. बिजुरी	256. जैतहरी 257. अमरकंटक 258. वनगवां (राजनगर)* 259. डोला* 260. डूमरकछार* 261. बरगवाँ(अमलाई)*
	44. उमरिया		79. उमरिया 80. पाली	262. चंदिया 263. नौरोजाबाद 264. मानपुर*
	45. डिण्डोरी			265. डिण्डोरी 266. शाहपुरा
10. जबलपुर	46. जबलपुर	14. जबलपुर	81. पनागर 82. सिहोरा	267. बरेला 268. भेड़ाघाट 269. शाहपुरा 270. पाटन 271. मझौली 272. कटंगी
	47. कटनी	15. मुड़वारा कटनी		273. बरही 274. कैमोर 275. विजयराधवगढ़
	48. बालाघाट		83. बालाघाट 84. वारासिवनी 85. मलाजखंड	276. कटंगी 277. बैहर 278. लांजी
	49 छिन्दवाड़ा	16. छिंदवाड़ा	86. पांदुर्ना 87. जुन्नारदेव जामई) 88. डोगर परासिया 89. दमुआ 90. चौरई 91. अमरवाड़ा 92. सौसर	279. हरई 280. लोधीखेड़ा 281. न्यूटन चिखली 282. चांदामेटा बुटारिया 283. मोहगांव 284. बडकुही 285. पिपलानारायणवार 286. बिछुआ 287. चांद

	50 नरसिंहपुर		93. नरसिंहपुर 94. गाडरवारा 95. करेली 96. गोटेगांव	288. तेंदूखेडा 289. सालीचौका 290. सांईखेडा 291. चीचली
	51. सिवनी		97. सिवनी	292. लखनादौन 293. बरघाट 294. छपारा* 295. केवलारी*
	52. मंडला		98. मंडला 99. नैनपुर	296. बम्हनीबंजर 297. निवास 298. बिछिया

नगर पालिक निगम	16
नगरपालिका परिषद	99
नगर परिषद	298
योग	413

*नव गठित नगर परिषद

परिशिष्ट-तीन (एक)

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट

(राशि करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2021-22 के लिये प्रावधानित राशि प्रथम अनुपूरक अनुमान सहित	वर्ष 2021-22 का प्राप्त आवंटन	दिनांक 31.12.2021 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व योजनाएं							
1	22	2217	1237	Housing For All (PMAY)	1500.00	803.20	803.20
2	22	2217	1238	Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)	1000.00	800.00	640.00
3	22	2217	1263	दीनदयाल अन्त्योदय योजना (NULM)	100.00	80.00	64.00
4	22	2217	7706	स्वच्छ भारत अभियान (SBM)	150.00	120.00	95.45
5	22	2217	0179	सफाई कामगारों के लिये समूह बीमा योजना	1.26	1.00	0.80
6	22	2217	0681	रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA)	1.50	0.10	0.08
7	22	2217	0852	दीनदयाल रसोई घर योजना	7.00	5.60	4.48
8	22	2215	1249	प्रदेश की जलमल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य	7.00	5.60	4.48
9	22	2217	1425	पंजीयन एवं मुद्राक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय	620.00	620.00	398.28
10	22	2217	1947	रियल एस्टेट रेगुलेशन एवं विकास, अपीलीय अधिकरण (REAT)	1.20	2.06	1.65
11	22	2217	2045	शहरी गरीबों को उपलब्ध कराये जाने वाले आवास के हितग्राही अंश में राज्य सरकार का ब्याज अनुदान	2.00	1.60	1.16
12	22	2217	2288	नगरीय क्षेत्रों में तीर्थ यात्री कर को समाप्त कर क्षतिपूर्ति अनुदान	0.90	0.72	0.58
13	22	2217	6047	प्रशिक्षण	2.50	2.00	1.40
14	22	2217	6440	शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढीकरण (GEF)	2.00	1.60	1.28
15	22	2217	7029	शहरी विकास संस्थान	0.70	0.56	0.31
16	22	2217	7039	शहरी सुधार कार्यक्रम	15.00	12.00	7.34

17	22	2217	7056	Fire Services	10.00	8.00	6.40
18	22	2217	7144	मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन	5.20	4.16	3.31
19	22	2217	7147	लोक परिवहन एवं यातायात सर्वे/अध्ययन	1.00	0.80	-
20	22	2217	7336	M.P. Urban Services Improvement Programme (MPUSIP) (EAP) (ADB)	11.00	8.80	7.04
21	22	2217	7357	झीलों और तालाबों का संरक्षण एवं संवर्द्धन	8.90	7.12	5.70
22	22	2217	7664	निम्न दाब सड़क बत्ती विद्युत संयोजनों की विद्युत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी (NEW)	11.85	9.48	9.48
23	22	2217	7704	Dedicated Urban Transport Fund (DUTF)	3.00	2.40	1.92
24	58	2245	7767	महामारी/रासायनिक, जैविक या परमाणु अपदाओं की रोकथाम हेतु।	60.00	60.00	60.00
25	22	2217	7838	जल जीवन मिशन (शहरी) (New)	200.00		-
26	22	2217	7839	शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (New)	200.00		-
27	22	2217	7840	स्वच्छ वायु (New)	-	-	-
28	22	2217	7841	नेशनल अर्बन रिनेबल मिशन (एन.यू. आर.एम.) (New)	-	-	-
29	22	2217	9488	मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास (फेस-3)	103.00	82.40	61.59
30	22	2217	9638	15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	998.00	798.40	499.00
31	22	2217	9640	15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शहरों को अनुदान	452.00	361.60	149.50
32	22	2217	9836	नगरीय पथ व्यवसायी उत्थान योजना	19.54	15.63	12.50
33	58	2245	2661	Drinking water supply	7.18	7.18	7.18
34	63	2225	9411	Grant in aid to Church and Dargah etc.	0.25	0.25	0.25
				योग – राजस्व	5501.98	3822.26	2848.36
पूँजीगत योजनाएं							
35	22	4217	7705	Smart City	1050.00	1050.00	900.00
36	22	6217	9492	उज्जैन स्मार्ट सिटी हेतु भारत सरकार से प्रदाय, ऋण/सहायता	32.00	32.00	-
37	22	4217/6217	1262	M.P.Urban Sanitation and Environment Sector Project (MPUSEP)-EAP (KFW)	18.59	18.59	17.08

38	22	4217/ 6217	2043	Metro Rail	262.00	262.00	50.80
39	22	4217	5374	M.P. Urban Services Improvement Programme (ADB) Phase-II	300.00	300.00	187.00
40	58	4250	6276	आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	241.92	241.92	149.95
41	22	4217	7029	शहरी विकास संस्थान	28.00	28.00	28.00
42	22	4217/ 6217	7336	M.P. Urban Services Improvement Programme (MPUSIP) (EAP) (ADB)	428.00	428.00	315.00
43	22	4217/ 6217	7711	M.P. Urban Development Project (MPUDP) (World Bank)	361.43	361.43	262.22
44	22	6217	7913	नगरीय संस्थाओं को सामान्य प्रयोजन हेतु ऋण	10.00	10.00	9.00
45	48	4801	4406	Expenditure for Land acquisition and other work in submarged area and Sardar Sarovar	313.33	313.33	313.33
				योग – पूंजीगत	3045.27	2731.94	2232.38
				महायोग	8547.25	6554.20	5080.74

नोट :- योजना-7705-स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान में राशि रुपये 150 करोड़ प्राप्त हुये।

परिशिष्ट-तीन (दो)

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट

(राशि करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2021-22 के लिये प्रावधानित राशि प्रथम अनुपूरक अनुमान सहित	वर्ष 2021-22 का प्राप्त आवंटन	दिनांक 31.12.2021 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व योजनाएं							
1	22	3604	1240	दुर्घटना में मृत सफाई कर्मियों को क्षतिपूर्ति अनुदान	0.20	0.16	0.12
2	22	3604	2181	नगरीय जल प्रदाय योजनाएं (जल संधारण)	20.00	20.00	20.00
3	22	3604	4035	पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांतरण	270.00	216.00	172.80
4	22	3604	6062	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिये विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	0.20	0.16	-
5	22	3604	6063	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	0.20	0.16	-
6	22	2217	6148	नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय (वेतन भत्ते)	16.94	16.94	11.08
7	22	3604	6602	स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	2.11	1.69	-
8	22	3604	7333	निर्यातकर - क्षतिपूर्ति	89.00	71.20	56.96
9	22	3604	7398	नगरीय निकायों के लिए स्वच्छता पुरस्कार योजना	5.00	4.00	3.20
10	22	3604	7668	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	330.00	264.00	211.19
11	22	3604	8017	वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान	208.00	166.40	132.65
12	22	3604	8018	प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण (चुंगी क्षतिपूर्ति)	3600.00	3600.00	2700.00
13	22	3604	8860	वेटकर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण	600.00	480.00	383.88
14	22	3604	9436	यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान	60.99	48.79	39.03
				योग - राजस्व	5202.64	4889.50	3730.91

पूँजीगत योजनाएं							
15	22	6217	5728	पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज	8.00	8.00	2.71
				योग – पूँजीगत	8.00	8.00	2.71
				महायोग	5210.64	4897.50	3733.62

अमृत मिशन अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रु. करोड में)	अद्यतन स्थिति
1	इन्दौर	जल प्रदाय पैकेज-1 (इन्दौर)	280.00	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज-2 (इन्दौर)	287.17	कार्य प्रगतिरत है, 77 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज-3 (इन्दौर)	26.55	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज-1 (इन्दौर)	211.18	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज-2 (इन्दौर)	89.75	कार्य पूर्ण
		विश्राम बाग पार्क	4.63	कार्य पूर्ण
		स्नेह नगर पार्क	1.48	कार्य पूर्ण
		सिरपुर पार्क	14.39	कार्य प्रगतिरत है, 71 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		पंचवटी पार्क	0.72	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	27.36	कार्य प्रगतिरत है, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	76.40	कार्य प्रगतिरत है, 15 प्रतिशत कार्य पूर्ण
2	भोपाल	जल प्रदाय (भोपाल एक्सटेंडेड ऐरिया)	284.3	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय (कोलार-ग्रेविटी मेन)	150.26	कार्य प्रगतिरत है, 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय (भौरी)	20.57	कार्य पूर्ण
		सीवरेज (भोज वेटलैड)	162.40	कार्य प्रगतिरत है, 82 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		सीवरेज (शाहपुरा झील)	151.20	कार्य प्रगतिरत है, 67 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		सीवरेज (कोलार)	181.44	कार्य प्रगतिरत है, 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 1ए	8.05	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 1ब	7.92	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 2	10.79	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 3	13.71	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रु. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 4	8.17	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 6	11.99	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 7ए	10.38	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 7ब	4.90	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 8	8.85	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 9	6.01	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 10	5.75	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 11	10.84	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 12	7.11	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 13	8.46	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन पैकेज 14	7.45	कार्य पूर्ण
		यातायात पार्क	2.66	कार्य पूर्ण
		अशोक विहार	0.26	कार्य पूर्ण
		चांदबड़ पार्क	0.48	कार्य पूर्ण
		एकतापुरी पार्क	0.73	कार्य पूर्ण
		ओल्ड सुभाष नगर पार्क	0.51	कार्य प्रगति पर है, 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अमराई पार्क	1.04	कार्य पूर्ण
		एयरपोर्ट रोड पार्क	1.59	कार्य पूर्ण
		गुलाब उद्यान	1.53	कार्य पूर्ण
		राजीव नगर पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		नेहरू नगर फेस-1	0.71	कार्य पूर्ण
		नेहरू नगर फेस-2	0.56	
		नेहरू नगर फेस-3	0.53	
		एम.पी. नगर जोन -1 पार्क	0.25	कार्य पूर्ण
		यादगार-ए-शाहजानी पार्क	1.03	कार्य पूर्ण
		ए सेक्टर पार्क	0.30	कार्य पूर्ण
		दुर्गा माता मंदिर पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		बी सेक्टर पार्क	0.25	कार्य पूर्ण
		जनता कॉलोनी पार्क	0.13	कार्य पूर्ण
		ई7 पार्क	0.35	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रु. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		नीलम पार्क	0.28	कार्य पूर्ण
		वरुण नगर पार्क	0.24	कार्य पूर्ण
		सौरभ नगर पार्क	0.17	कार्य पूर्ण
		प्रियंका नगर-1 पार्क	0.28	कार्य पूर्ण
		प्रियंका नगर-2 पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
		प्रियंका नगर-पी सेक्टर	0.21	कार्य पूर्ण
		प्रियंका नगर-जी पार्क	0.96	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन-1 पार्क	0.14	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन-2 पार्क	0.12	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन-3 पार्क	0.24	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन-4 पार्क	0.25	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन-5 पार्क	0.14	कार्य पूर्ण
		इंडस टाउन-6 पार्क	0.17	कार्य पूर्ण
		मक्सी पार्क	0.95	कार्य पूर्ण
		भारत माता पार्क	0.33	कार्य पूर्ण
		ललिता नगर पार्क	0.41	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	11.00	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	17.70	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	30	कार्य प्रगति पर है, 29 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	34.80	कार्य प्रगति पर है, 8 प्रतिशत कार्य पूर्ण
3	जबलपुर	जल प्रदाय	135.31	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	362.31	कार्य प्रगति पर है, 59 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		आदर्श नगर पार्क	0.71	कार्य पूर्ण
		त्रिपुरी गार्डन	2.99	कार्य प्रगति पर है, 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		शिव नगर पार्क	0.88	कार्य पूर्ण
		आधारताल गार्डन	2.00	कार्य पूर्ण
		चन्द्रशेखर आजाद पार्क	1.14	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	20.00	कार्य प्रगति पर है, 26 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	3.48	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रु. करोड में)	अद्यतन स्थिति
4	ग्वालियर	जल प्रदाय पैकेज-1 (रॉ वाटर)	49.57	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज-2	296.27	कार्य प्रगति पर है, 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज-1 (मुरार)	207.97	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज-2 (लशकर)	181.00	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	19.14	कार्य प्रगति पर है, 15 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	21.44	कार्य प्रगति पर है, 31 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		डी.डी. नगर पार्क	1.09	कार्य पूर्ण
		काटी घाटी पार्क	1.69	कार्य पूर्ण
		लाल टिपारा पार्क	2.79	कार्य पूर्ण
		मनोरंजनालय पार्क	4.59	कार्य प्रगति पर है, 72 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		तिकोनिया पार्क	0.84	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	25.00	कार्य प्रगति पर है, 81 प्रतिशत कार्य पूर्ण
5	उज्जैन	सीवरेज	436.58	कार्य प्रगति पर है, 47 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		क्षिप्रा रिवर फ्रंट पार्क	3.82	कार्य पूर्ण
		चकोर पार्क	3.67	कार्य पूर्ण
6	देवास	जल प्रदाय	22.51	कार्य पूर्ण
		कुशती ऐरीना पार्क	0.41	कार्य पूर्ण
		मयूर पार्क	1.59	कार्य पूर्ण
		मल्हार पार्क	1.59	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	2.49	यथा स्थिति कार्य स्थगित
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	6.80	कार्य प्रगति पर है, 73 प्रतिशत कार्य पूर्ण
7	मुरैना	सीवरेज	138.16	कार्य पूर्ण
		चंबल कॉलोनी पार्क (वार्ड 41)	1.01	कार्य पूर्ण
		हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क (वार्ड 45)	0.69	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	8.00	कार्य प्रगति पर है, 16 प्रतिशत कार्य पूर्ण
8	सतना	जल प्रदाय	39.22	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रु. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		सीवरेज	191.56	कार्य प्रगति पर है, 22 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	17.79	कार्य पूर्ण
		एयरपोर्ट पार्क (वार्ड नं. 22)	4.46	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	8.00	कार्य पूर्ण
9	सागर	सीवरेज	299.10	कार्य प्रगति पर है, 76 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		लेकसाईड पार्क	3.20	कार्य पूर्ण
		काकागंज पार्क, सागर	0.65	कार्य पूर्ण
10	रतलाम	सीवरेज	128.72	कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	12.09	कार्य प्रगति पर है, 84 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अमृत सागर पार्क	1.21	कार्य पूर्ण
		कालिका माता मंदिर पार्क	1.24	कार्य पूर्ण
11	रीवा	जल प्रदाय	35.58	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	199.37	कार्य प्रगति पर है, 24 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्टार्म वॉटर ड्रेन	18.55	कार्य प्रगति पर है, 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		नेहरू नगर पार्क (वार्ड नं. 14)	0.27	कार्य पूर्ण
		चीराहुला पार्क	0.56	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	10.00	कार्य प्रगति पर है, 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण
12	कटनी	जल प्रदाय	21.21	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	96.50	कार्य प्रगति पर है, 36 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		पार्क निअर कलेक्टरेट	0.56	कार्य पूर्ण
		मंगल नगर पार्क	0.71	कार्य पूर्ण
		सुरम्य पार्क	0.70	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	10.00	कार्य प्रगति पर है, 15 प्रतिशत कार्य पूर्ण
13	सिंगरौली	जल प्रदाय	36.89	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	110.46	कार्य प्रगति पर है, 31 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		मुरवानी पार्क	2.13	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रु. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	8.00	कार्य प्रगति पर है, 67 प्रतिशत कार्य पूर्ण
14	छिंदवाड़ा	जल प्रदाय	77.57	कार्य पूर्ण
		धरम टेकरी पार्क	1.63	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	6.00	कार्य प्रगति पर है, 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण
15	बुरहानपुर	सीवरेज	93.97	कार्य पूर्ण
		रेणुका माता मंदिर	0.72	कार्य पूर्ण
		संजय नगर (पार्ट-1)	0.31	कार्य पूर्ण
		संजय नगर (पार्ट-2)	0.65	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	1.08	कार्य पूर्ण
16	खण्डवा	जल प्रदाय पैकेज-1	12.60	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज-2	14.49	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज-3	14.49	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज-4	11.24	कार्य पूर्ण
		सॉई राम नगर पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		बेगम पार्क	0.38	कार्य पूर्ण
		किशोर नगर पार्क	0.35	कार्य पूर्ण
		एलआईजी कॉलोनी पार्क	0.27	कार्य पूर्ण
		पंजाब कॉलोनी पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	1.06	कार्य प्रगति पर है, 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण
17	भिण्ड	सीवरेज	84.16	कार्य प्रगति पर है, 92 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		चंबल कॉलोनी पार्क	0.73	कार्य पूर्ण
		वाटर वर्क्स पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	4.00	कार्य प्रगति पर है, 44 प्रतिशत कार्य पूर्ण
18	गुना	जल प्रदाय	14.37	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	81.09	कार्य प्रगति पर है, 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		आदर्श पार्क	0.15	कार्य पूर्ण
		शास्त्री पार्क	0.35	कार्य पूर्ण
		त्रिमूर्ति पार्क	0.15	कार्य पूर्ण
		सिंहवासा पार्क	0.50	कार्य पूर्ण
		टेकरी धानम पार्क	0.44	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रु. करोड़ में)	अद्यतन स्थिति
		गोपालपुर पार्क	0.83	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	4.00	कार्य प्रगति पर है, 87 प्रतिशत कार्य पूर्ण
19	शिवपुरी	जल प्रदाय	22.06	कार्य प्रगति पर है, 93 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		तात्याटोपे स्मारक पार्क	0.51	कार्य पूर्ण
		जवाहर कॉलोनी पार्क	0.25	कार्य प्रगति पर है, 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण
20	विदिशा	सीवरेज	98.71	कार्य पूर्ण
		अहमदपुर पार्क	1.58	कार्य पूर्ण
21	छतरपुर	संध्या विहार पार्क	1.29	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय	55.26	कार्य प्रगति पर है, 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण
22	मंदसौर	जल प्रदाय	53.22	कार्य प्रगति पर है, 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्टॉर्म वाटर ड्रेन	5.7	कार्य प्रगति पर है, 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		दादा दादी पार्क (सीवा देवास रोड)	1.21	कार्य पूर्ण
		अभिनंदन पार्क	0.21	कार्य प्रगति पर है, 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		अभिनंदन पार्क (फेस-2)	0.32	कार्य प्रगति पर है, 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण
23	खरगौन	सीवरेज	63.20	कार्य पूर्ण
		स्नेह वाटिका पार्क	0.88	कार्य पूर्ण
		आजाद नगर पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
24	नीमच	जल प्रदाय	14.26	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	62.03	कार्य पूर्ण
		सिटी पार्क	0.70	कार्य प्रगति पर है, 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		स्कीम न0 34 पार्क	0.22	कार्य पूर्ण
		जवाहर नगर पार्क	0.46	कार्य पूर्ण
25	पीथमपुर	जल प्रदाय	87.69	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क-1	0.12	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क-2	0.12	कार्य पूर्ण
		बगदून पार्क-3	0.15	कार्य पूर्ण

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रु. करोड में)	अद्यतन स्थिति
		बगदून पार्क-4	0.13	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय	43.34	कार्य पूर्ण
26	होशंगाबाद	स्टॉर्म वाटर ड्रेन	9.97	कार्य प्रगति पर है, 72 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		ऑफिस क्लब पार्क	0.36	कार्य पूर्ण
		हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क	0.34	कार्य पूर्ण
27	सीहोर	जल प्रदाय	12.83	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	66.22	कार्य पूर्ण
		बड़ियाखेड़ी (बड़ा मंदिर)	1.02	कार्य पूर्ण
		रिवर फ्रंट बड़ियाखेड़ी पार्क	0.49	कार्य पूर्ण
28	बैतूल	जल प्रदाय	24.99	कार्य पूर्ण
		बैतूल बैराज	6.93	कार्य पूर्ण
		अभिनंदन सरोवर पार्क	0.47	कार्य पूर्ण
29	दतिया	जल प्रदाय	18.66	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	53.45	कार्य प्रगति पर है, 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण
30	नागदा	जल प्रदाय	12.84	कार्य पूर्ण
		पार्क निअर बायपास रोड	1.23	कार्य प्रगति पर है, 47 प्रतिशत कार्य पूर्ण
31	डबरा	जल प्रदाय	50.90	कार्य प्रगति पर है, 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		हरिपुरा पार्क (वार्ड नं. 19)	0.36	कार्य पूर्ण
32	ओंकारेश्वर	पी-1 बस स्टैंड पार्क (पार्ट-2)	0.20	कार्य पूर्ण
		पी-1 बस स्टैंड पार्क (पार्ट-1)	0.26	कार्य पूर्ण
		अर्बन ट्रांसपोर्ट	3.67	कार्य पूर्ण
33	दमोह	स्टॉर्म वाटर ड्रेन	8.66	कार्य प्रगति पर है, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		राम जानकी पार्क	0.79	कार्य पूर्ण
		7 कॉलोनी पार्क	0.49	कार्य पूर्ण

- जलप्रदाय योजना की 23 शहरों हेतु कुल 32 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमे से 25 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं तथा 07 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।
- सीवरेज परियोजना की 20 शहरों हेतु कुल 24 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमे से 11 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं शेष 13 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।
- हरित क्षेत्र में पार्क विकास की 32 शहरों हेतु कुल 111 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमे से 31 शहरों की 102 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं शेष 09 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।

- स्टार्म वॉटर एवं ड्रेन की 9 शहरों हेतु कुल 23 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 17 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं, शेष 6 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।
 - लोक परिवहन की 16 शहरों हेतु 21 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 15 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं।
-

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनांतर्गत स्वीकृत योजनाओं की सूची

(राशि रु. लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	जनसंख्या 2011	योजना की स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	नगर परिषद् राजगढ़ (धार)	20668	898.25
2	नगर परिषद् बदनावर	20917	952.31
3	नगर परिषद् मुंदी	12889	578.92
4	नगर परिषद् पंधाना	13694	998.00
5	नगर परिषद् भीकनगांव	16217	760.93
6	नगर परिषद् बाबई	16741	951.62
7	नगर परिषद् खिलचीपुर	18928	999.36
8	नगर परिषद् गुढ़	14608	793.00
9	नगर परिषद् ताल	14913	777.01
10	नगर परिषद् टोंकखुर्द	7979	484.15
11	नगर परिषद् डिण्डोरी	21323	843.00
12	नगर पालिका धार	93917	2174.54
13	नगर परिषद् कुक्षी	28331	1846.08
14	नगर पालिका बड़वानी	55504	1990.05
15	नगर पालिका नीमच	128561	3367.75
16	नगर पालिका मण्डला	55133	2471.17
17	नगर पालिका गंजबासौदा	78289	4216.00
18	नगर पालिका रायसेन	44162	3317.60
19	नगर पालिक निगम रीवा	235654	2262.95
20	नगर परिषद् नौरोजाबाद	21883	1581.00
21	नगर परिषद् उन्हेल	14774	1116.00
22	नगर पालिका अशोकनगर	81828	1326.71
23	नगर परिषद् खनियाधाना	15877	566.00
24	नगर परिषद् नामली	9774	595.41
25	नगर पालिका शहडोल	86681	3614.19
26	नगर परिषद् तरीचरकलां	7674	1493.03
27	नगर परिषद् निवाडी	23724	2103.40
28	नगर पालिका, नरसिंहपुर	59966	3217.95
29	नगर परिषद् सांवेर	16150	851.28
30	नगर परिषद् ओरछा	11511	578.23
31	नगर परिषद् सिंगौली	9523	891.42
32	नगर परिषद् बड़ौनी	10309	456.36
33	नगर पालिका पीथमपुर	126200	2766.99
34	नगर पालिका सिवनीमालवा	30100	2286.19
35	नगर पालिका बैरसिया	30951	1745.98

36	नगर परिषद् औबेदुल्लागंज	22845	1343.63
37	नगर पालिका सारंगपुर	37435	1353.08
38	नगर परिषद् त्यौथर	17039	1046.86
39	नगर परिषद् हनुमना	16771	1035.34
40	नगर परिषद् पाली	22324	1169.33
41	नगर परिषद् पथरिया	21026	2228.20
42	नगर पालिका नौगांव	40580	2780.67
43	नगर पालिका पलेरा	17493	1268.93
44	नगर परिषद् खाचरौद	34191	1628.63
45	नगर परिषद् जावद	17129	1108.26
46	नगर पालिका सबलगढ़	40333	2120.03
47	नगर पालिका अम्बाह	47177	2721.45
48	नगर परिषद् सरदारपुर	7293	405.49
49	नगर परिषद् चाकघाट	10678	453.36
50	नगर परिषद् सेमरिया	13446	808.48
51	नगर परिषद् शाहगढ़	16300	895.45
52	नगर परिषद् बड़ावदा	8700	691.55
53	नगर परिषद् तराना	24908	799.20
54	नगर परिषद् रतनगढ़	7994	563.28
55	नगर परिषद् मनासा	26551	780.85
56	नगर परिषद् बड़ागांव	7217	964.40
57	नगर परिषद् बड़ौद	13834	844.38
58	नगर परिषद् नलखेड़ा	16690	480.33
59	नगर पालिक निगम, ग्वालियर	1054420	480.00
60	नगर परिषद् बैहर	16651	84.24
61	नगर परिषद् ओंकारेश्वर	10063	720.14
62	नगर परिषद् सुल्तानपुर	10268	787.35
63	नगर परिषद् चुरहट	14962	776.14
64	नगर परिषद् बण्डा	30966	547.83
65	नगर परिषद् नारायणगढ़	10191	425.90
66	नगर परिषद् धरमपुरी	16363	911.35
67	नगर परिषद् मानपुर	7621	488.88
68	नगर परिषद् हातौद	10425	648.67
69	नगर परिषद् राऊ	36055	932.77
70	नगर परिषद् पलसूद	10113	676.26
71	नगर परिषद् जीरापुर	21724	876.35
72	नगर पालिक निगम सागर	274556	133.38
73	नगर परिषद् भितरवार	19096	958.69
74	नगर परिषद्, रानापुर	12371	1955.01
75	नगर परिषद्, थांदला	15756	1368.13
76	नगर परिषद् महुँगांव	30012	1078.40
77	नगर परिषद्, अंजड़	26289	1095.01
78	नगर परिषद्, कुरवई	15487	1243.42
79	नगर पालिका मण्डीदीप	59677	1307.77

80	नगर परिषद् जयसिंहनगर	8233	1012.71
81	नगर परिषद् धनपुरी	45156	1645.82
82	नगर परिषद् गोविन्दगढ़	10547	1127.32
83	नगर परिषद्, बिजुरी	32682	1686.10
84	नगर परिषद् अमानगंज	13886	2029.59
85	नगर परिषद् अकौदिया	11652	1129.64
86	नगर परिषद् सीतामऊ	14056	2146.68
87	नगर परिषद्, कन्नौद	17744	2002.64
88	नगर परिषद्, लखनादौन	17302	1592.39
89	नगर परिषद् शाहपुरा	13601	1283.15
90	नगर परिषद्, बामौर	32838	1500.41
91	नगर परिषद्, नरवर	19385	1001.62
92	नगर परिषद्, भाण्डेर	25204	1370.75
93	नगर पालिका चंदेरी	33081	1129.95
94	नगर परिषद् कुम्भराज	19707	1481.71
95	नगर परिषद्, चिचौली	9278	595.83
96	नगर परिषद् तलेन	10588	638.52
97	नगर परिषद् ब्यावरा	49093	939.79
98	नगर परिषद् छापीहेड़ा	8501	517.27
99	नगर परिषद् माचलपुर	9556	569.41
100	नगर परिषद्, बुधनी	16808	697.37
101	नगर परिषद् भानपुरा	21000	914.86
102	नगर परिषद् पिपलौदा	7302	448.25
103	नगर परिषद्, कानड़	10457	656.43
104	नगर परिषद्, भुआ बिछिया	10423	708.47
105	नगर परिषद्, चाचौड़ा बीनागंज	21785	964.12
106	नगर पालिका झाबुआ	36000	4762.66
107	नगर परिषद्, खेतिया	15739	2121.72
108	नगर पालिका विदिशा	155954	3355.91
109	नगर परिषद् सिलवानी	18623	1755.64
110	नगर परिषद्, बरेली	31579	2659.18
111	नगर परिषद्, नरसिंहगढ़	32229	2389.87
112	नगर परिषद्, सुठालिया	10596	1076.36
113	नगर परिषद्, बुढ़ार	19276	1535.93
114	नगर पालिक निगम रीवा	235654	2455.11
115	नगर परिषद्, मझौली	11907	1638.57
116	नगर परिषद् उचेहरा	18377	1414.32
117	नगर पालिका उमरिया	33102	1559.51
118	नगर पालिका दमोह	139415	2634.75
119	नगर परिषद् लवकुशनगर	22075	1481.00
120	नगर निगम रतलाम	264914	2392.99
121	नगर परिषद्, सोनकच्छ	16532	1076.08
122	नगर परिषद्, सोयतकलां	14471	1250.80
123	नगर परिषद् बैहर	16651	1042.31

124	नगर परिषद्, नैनपुर	22618	2123.69
125	नगर परिषद्, बरघाट	11700	1141.63
126	नगर परिषद्, गाडरवाड़ा	47000	2559.78
127	नगर परिषद्, गोटेगांव	38090	2337.76
128	नगर परिषद्, मौ	20147	2193.93
129	नगर परिषद्, इंदरगढ़	23045	2325.55
130	नगर परिषद् जोबट	11976	1251.92
131	नगर परिषद्, गैरतगंज	18184	1756.89
132	नगर परिषद्, इछावर	14582	1015.77
133	नगर परिषद्, नागौद	22568	1879.03
134	नगर पालिका बड़नगर	36438	2090.42
135	नगर परिषद् कोलारस	19781	1780.68
136	नगर परिषद्, नईगढ़ी	10404	751.05
137	नगर पालिका, गढ़ाकोटा	32726	627.28
138	नगर पालिका, खुरई	51108	228.80
139	नगर परिषद् भौरासा (पुनरीक्षित)	12166	711.68
140	नगर पालिका सीहोर	109118	251.05
141	नगर परिषद् बिछुआ	6678	519.64
142	नगर परिषद्, मुंगावली	26192	317.95
143	नगर परिषद्, कटंगी (पुनरीक्षित)	16143	1465.06
144	नगर परिषद्, लांजी	13782	1871.38
145	नगर परिषद् अमरकंटक	8416	1256.20
146	नगर परिषद् रामपुर बघेलान	13636	1304.90
147	नगर पालिका आष्टा	53184	1804.00
148	नगर परिषद् नसरुल्लागंज	23783	266.26
149	नगर पालिका, इटारसी	99300	1934.20
150	नगर परिषद्, उदयपुरा	18236	895.00
151	नगर परिषद्, ओरछा (फेज-2)	11511	353.51
152	नगर पालिका पांडुना	45479	3894.13
153	नगर परिषद् खिलचीपुर (फेज- 2)	18928	364.34
154	नगर परिषद्, लांजी (बैराज)	13782	616.29
योग-			209142.98

परिशिष्ट-छः

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना तृतीय चरण अंतर्गत स्वीकृत निकायों की सूची

(राशि रु. लाख में)

क्र.	संभाग का नाम	जिला	निकाय का नाम	सैक्षंतिक स्वीकृति राशि
	2	3	4	5
1	भोपाल	भोपाल	भोपाल नगर पालिक निगम	1000.00
2	भोपाल	भोपाल	बैरसिया नगर पालिका परिषद्	150.00
3	भोपाल	सीहोर	सीहोर नगर पालिका परिषद्	200.00
4	भोपाल	सीहोर	आष्टा नगर पालिका परिषद्	150.00
5	भोपाल	सीहोर	कोठरी नगर परिषद्	75.00
6	भोपाल	सीहोर	इछावर नगर परिषद्	75.00
7	भोपाल	सीहोर	नसरुल्लागंज नगर परिषद्	75.00
8	भोपाल	सीहोर	बुधनी नगर परिषद्	75.00
9	भोपाल	सीहोर	रेहटी नगर परिषद्	75.00
10	भोपाल	रायसेन	रायसेन नगर पालिका परिषद्	150.00
11	भोपाल	रायसेन	गैरतगंज नगर परिषद्	75.00
12	भोपाल	रायसेन	सांची नगर परिषद्	75.00
13	भोपाल	रायसेन	बेगमगंज नगर पालिका परिषद्	150.00
14	भोपाल	रायसेन	उदयपुरा नगर परिषद्	75.00
15	भोपाल	रायसेन	सुल्तानपुर नगर परिषद्	75.00
16	भोपाल	रायसेन	बाड़ी नगर परिषद्	75.00
17	भोपाल	विदिशा	विदिशा नगर पालिका परिषद्	200.00
18	भोपाल	विदिशा	गंज बासौदा नगर पालिका परिषद्	150.00
19	भोपाल	विदिशा	कुरवई नगर परिषद्	75.00
20	भोपाल	विदिशा	लटेरी नगर परिषद्	75.00
21	भोपाल	विदिशा	सिरोंज नगर पालिका परिषद्	150.00
22	भोपाल	विदिशा	शमशाबाद नगर परिषद्	75.00
23	भोपाल	राजगढ़	खुजनेर नगर परिषद्	75.00
24	भोपाल	राजगढ़	नरसिंहगढ़ नगर पालिका परिषद्	150.00
25	भोपाल	राजगढ़	तलेन नगर परिषद्	75.00
26	भोपाल	राजगढ़	बोडा नगर परिषद्	75.00
27	भोपाल	राजगढ़	सारंगपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
28	भोपाल	राजगढ़	पचोर नगर परिषद्	75.00

29	भोपाल	राजगढ़	ब्यावरा नगर पालिका परिषद्	150.00
30	भोपाल	राजगढ़	सुठालिया नगर परिषद्	75.00
31	भोपाल	राजगढ़	जीरापुर नगर परिषद्	75.00
32	भोपाल	राजगढ़	माचलपुर नगर परिषद्	75.00
33	भोपाल	राजगढ़	कुरावर नगर परिषद्	75.00
34	नर्मदापुरम्	हरदा	हरदा नगर पालिका परिषद्	150.00
35	नर्मदापुरम्	हरदा	खिरकिया नगर परिषद्	75.00
36	नर्मदापुरम्	हरदा	टिमरनी नगर परिषद्	75.00
37	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	होशंगाबाद नगर पालिका परिषद्	200.00
38	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	इटारसी नगर पालिका परिषद्	150.00
39	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	सिवनी मालवा नगर पालिका परिषद्	150.00
40	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	पिपरिया नगर पालिका परिषद्	150.00
41	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	सोहागपुर नगर परिषद्	75.00
42	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	बाबई नगर परिषद्	75.00
43	नर्मदापुरम्	होशंगाबाद	बनखेड़ी नगर परिषद्	75.00
44	नर्मदापुरम्	बैतूल	बैतूल नगर पालिका परिषद्	200.00
45	नर्मदापुरम्	बैतूल	आठनेर नगर परिषद्	75.00
46	नर्मदापुरम्	बैतूल	बैतूल बाजार नगर परिषद्	75.00
47	नर्मदापुरम्	बैतूल	मुलताई नगर पालिका परिषद्	150.00
48	नर्मदापुरम्	बैतूल	आमला नगर पालिका परिषद्	150.00
49	नर्मदापुरम्	बैतूल	सारणी नगर पालिका परिषद्	150.00
50	नर्मदापुरम्	बैतूल	भैंसदेही नगर परिषद्	75.00
51	नर्मदापुरम्	बैतूल	चिचोली नगर परिषद् 2	75.00
52	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर नगर पालिक निगम	800.00
53	ग्वालियर	ग्वालियर	डबरा नगर पालिका परिषद्	200.00
54	ग्वालियर	ग्वालियर	पिछोर नगर परिषद्	75.00
55	ग्वालियर	ग्वालियर	बिलौआ नगर परिषद्	75.00
56	ग्वालियर	ग्वालियर	भितरवार नगर परिषद्	75.00
57	ग्वालियर	ग्वालियर	आंतरी नगर परिषद्	75.00
58	ग्वालियर	शिवपुरी	शिवपुरी नगर पालिका परिषद्	200.00
59	ग्वालियर	शिवपुरी	बैराड़ नगर परिषद्	75.00
60	ग्वालियर	शिवपुरी	करैरा नगर परिषद्	75.00
61	ग्वालियर	शिवपुरी	नरवर नगर परिषद्	75.00
62	ग्वालियर	शिवपुरी	कोलारस नगर परिषद्	75.00
63	ग्वालियर	शिवपुरी	बदरवास नगर परिषद्	75.00

64	ग्वालियर	शिवपुरी	पिछोर नगर परिषद्	75.00
65	ग्वालियर	शिवपुरी	खनियाधाना नगर परिषद्	75.00
66	ग्वालियर	गुना	गुना नगर पालिका परिषद्	200.00
67	ग्वालियर	गुना	राघोगढ़ नगर पालिका परिषद्	150.00
68	ग्वालियर	गुना	आरोन नगर परिषद्	75.00
69	ग्वालियर	गुना	चाचौडा बीनागंज नगर परिषद्	75.00
70	ग्वालियर	गुना	कुंभराज नगर परिषद्	75.00
71	ग्वालियर	अशोकनगर	अशोकनगर नगर पालिका परिषद्	150.00
72	ग्वालियर	अशोकनगर	चंदेरी नगर पालिका परिषद्	150.00
73	ग्वालियर	अशोकनगर	ईसागढ़ नगर परिषद्	75.00
74	ग्वालियर	अशोकनगर	मुंगावली नगर परिषद्	75.00
75	ग्वालियर	अशोकनगर	शाढौरा नगर परिषद्	75.00
76	ग्वालियर	दतिया	दतिया नगर पालिका परिषद्	200.00
77	ग्वालियर	दतिया	बड़ोनी नगर परिषद्	75.00
78	ग्वालियर	दतिया	सेवढा नगर परिषद्	75.00
79	ग्वालियर	दतिया	भाण्डेर नगर परिषद्	75.00
80	ग्वालियर	दतिया	इंदरगढ़ नगर परिषद्	75.00
81	चंबल	भिण्ड	भिण्ड नगर पालिका परिषद्	200.00
82	चंबल	भिण्ड	अकोड़ा नगर परिषद्	75.00
83	चंबल	भिण्ड	गोहद नगर पालिका परिषद्	150.00
84	चंबल	भिण्ड	मौ नगर परिषद्	75.00
85	चंबल	भिण्ड	लहार नगर परिषद्	75.00
86	चंबल	भिण्ड	मिहोना नगर परिषद्	75.00
87	चंबल	भिण्ड	आलमपुर नगर परिषद्	75.00
88	चंबल	भिण्ड	दबोह नगर परिषद्	75.00
89	चंबल	भिण्ड	मेहगांव नगर परिषद्	75.00
90	चंबल	भिण्ड	गोरमी नगर परिषद्	75.00
91	चंबल	भिण्ड	फूप नगर परिषद्	75.00
92	चंबल	मुरैना	मुरैना नगर पालिक निगम	300.00
93	चंबल	मुरैना	बानमौर नगर परिषद्	75.00
94	चंबल	मुरैना	अम्बाह नगर पालिका परिषद्	150.00
95	चंबल	मुरैना	पोरसा नगर पालिका परिषद्	150.00
96	चंबल	मुरैना	सबलगढ़ नगर पालिका परिषद्	150.00
97	चंबल	मुरैना	झुण्डपुरा नगर परिषद्	75.00
98	चंबल	मुरैना	जौरा नगर परिषद्	75.00

99	चंबल	मुरैना	कैलारस नगर परिषद्	75.00
100	चंबल	श्योपुर	श्योपुरकलां नगर पालिका परिषद्	150.00
101	चंबल	श्योपुर	बड़ौदा नगर परिषद्	75.00
102	चंबल	श्योपुर	विजयपुर नगर परिषद्	75.00
103	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन नगर पालिक निगम	600.00
104	उज्जैन	उज्जैन	बड़नगर नगर पालिका परिषद्	150.00
105	उज्जैन	उज्जैन	महिदपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
106	उज्जैन	उज्जैन	खाचरौद नगर पालिका परिषद्	150.00
107	उज्जैन	उज्जैन	नागदा नगर पालिका परिषद्	200.00
108	उज्जैन	उज्जैन	तराना नगर परिषद्	75.00
109	उज्जैन	उज्जैन	माकडोन नगर परिषद्	75.00
110	उज्जैन	उज्जैन	उन्हेल नगर परिषद्	75.00
111	उज्जैन	नीमच	नीमच नगर पालिका परिषद्	200.00
112	उज्जैन	नीमच	जीरन नगर परिषद्	75.00
113	उज्जैन	नीमच	मनासा नगर परिषद्	75.00
114	उज्जैन	नीमच	रामपुरा नगर परिषद्	75.00
115	उज्जैन	नीमच	कुक्केश्वर नगर परिषद्	75.00
116	उज्जैन	नीमच	जावद नगर परिषद्	75.00
117	उज्जैन	नीमच	सिंगोली नगर परिषद्	75.00
118	उज्जैन	नीमच	रतनगढ़ नगर परिषद्	75.00
119	उज्जैन	नीमच	डीकेन नगर परिषद्	75.00
120	उज्जैन	नीमच	नयागांव नगर परिषद्	75.00
121	उज्जैन	नीमच	अठाना नगर परिषद्	75.00
122	उज्जैन	नीमच	सरवनिया महाराज नगर परिषद्	75.00
123	उज्जैन	देवास	देवास नगर पालिक निगम	300.00
124	उज्जैन	देवास	हाटपिपल्या नगर परिषद्	75.00
125	उज्जैन	देवास	खातेगांव नगर परिषद्	75.00
126	उज्जैन	देवास	कन्नौद नगर परिषद्	75.00
127	उज्जैन	देवास	नेमावर नगर परिषद्	75.00
128	उज्जैन	देवास	बागली नगर परिषद्	75.00
129	उज्जैन	देवास	करनावद नगर परिषद्	75.00
130	उज्जैन	देवास	काटाफोड़ नगर परिषद्	75.00
131	उज्जैन	देवास	लोहारदा नगर परिषद्	75.00
132	उज्जैन	देवास	सतवास नगर परिषद्	75.00
133	उज्जैन	देवास	सोनकच्छ नगर परिषद्	75.00

134	उज्जैन	देवास	भौरासा नगर परिषद्	75.00
135	उज्जैन	देवास	टोंकखुर्द नगर परिषद्	75.00
136	उज्जैन	देवास	पिपलरंवा नगर परिषद्	75.00
137	उज्जैन	शाजापुर	शाजापुर नगर पालिका परिषद्	150.00
138	उज्जैन	शाजापुर	मक्सी नगर परिषद्	75.00
139	उज्जैन	शाजापुर	शुजालपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
140	उज्जैन	शाजापुर	अकोदिया नगर परिषद्	75.00
141	उज्जैन	शाजापुर	सीतामऊ नगर परिषद्	75.00
142	उज्जैन	शाजापुर	पानखेडी नगर परिषद्	75.00
143	उज्जैन	आगर	आगर मालवा नगर पालिका परिषद्	150.00
144	उज्जैन	आगर	कानड़ नगर परिषद्	75.00
145	उज्जैन	आगर	बड़ौद नगर परिषद्	75.00
146	उज्जैन	आगर	सुसनेर नगर परिषद्	75.00
147	उज्जैन	आगर	नलखेड़ा नगर परिषद्	75.00
148	उज्जैन	आगर	सोयतकलां नगर परिषद्	75.00
149	उज्जैन	आगर	बड़ागांव नगर परिषद्	75.00
150	उज्जैन	रतलाम	रतलाम नगर पालिक निगम	300.00
151	उज्जैन	रतलाम	जावरा नगर पालिका परिषद्	150.00
152	उज्जैन	रतलाम	पिपलौदा नगर परिषद्	75.00
153	उज्जैन	रतलाम	सैलाना नगर परिषद्	75.00
154	उज्जैन	रतलाम	धामनौद नगर परिषद्	75.00
155	उज्जैन	रतलाम	नामली नगर परिषद्	75.00
156	उज्जैन	रतलाम	आलोट नगर परिषद्	75.00
157	उज्जैन	रतलाम	बड़ावदा नगर परिषद्	75.00
158	उज्जैन	रतलाम	ताल नगर परिषद्	75.00
159	उज्जैन	मंदसौर	मंदसौर नगर पालिका परिषद्	200.00
160	उज्जैन	मंदसौर	नगरी नगर परिषद्	75.00
161	उज्जैन	मंदसौर	सुवासरा नगर परिषद्	75.00
162	उज्जैन	मंदसौर	शामगढ़ नगर परिषद्	75.00
163	उज्जैन	मंदसौर	सीतामऊ नगर परिषद्	75.00
164	उज्जैन	मंदसौर	मल्हारगढ़ नगर परिषद्	75.00
165	उज्जैन	मंदसौर	पिपल्यामंडी नगर परिषद्	75.00
166	उज्जैन	मंदसौर	नारायणगढ़ नगर परिषद्	75.00
167	उज्जैन	मंदसौर	गरोठ नगर परिषद्	75.00
168	उज्जैन	मंदसौर	भानपुरा नगर परिषद्	75.00

169	सागर	सागर	सागर नगर पालिक निगम	300.00
170	सागर	सागर	मकरोनिया बुजुर्ग नगर पालिका परिषद्	150.00
171	सागर	सागर	बीना नगर पालिका परिषद्	150.00
172	सागर	सागर	खुरई नगर पालिका परिषद्	150.00
173	सागर	सागर	देवरी नगर पालिका परिषद्	150.00
174	सागर	सागर	राहतगढ़ नगर परिषद्	75.00
175	सागर	सागर	रेहली नगर पालिका परिषद्	150.00
176	सागर	सागर	शाहपुर नगर परिषद्	75.00
177	सागर	सागर	गढ़ाकोटा नगर पालिका परिषद्	150.00
178	सागर	सागर	बंडा नगर परिषद्	75.00
179	सागर	सागर	शाहगढ नगर परिषद्	75.00
180	सागर	दमोह	दमोह नगर पालिका परिषद्	200.00
181	सागर	दमोह	हिन्दोरिया नगर परिषद्	75.00
182	सागर	दमोह	हटा नगर पालिका परिषद्	150.00
183	सागर	दमोह	तेंदुखेड़ा नगर परिषद्	75.00
184	सागर	दमोह	पथरिया नगर परिषद्	75.00
185	सागर	दमोह	पटेश नगर परिषद्	75.00
186	सागर	पन्ना	पन्ना नगर पालिका परिषद्	150.00
187	सागर	पन्ना	अजयगढ़ नगर परिषद्	75.00
188	सागर	पन्ना	अमानगंज नगर परिषद्	75.00
189	सागर	पन्ना	देवेन्द्र नगर नगर परिषद्	75.00
190	सागर	पन्ना	ककरहटी नगर परिषद्	75.00
191	सागर	पन्ना	पवई नगर परिषद्	75.00
192	सागर	छतरपुर	छतरपुर नगर पालिका परिषद्	200.00
193	सागर	छतरपुर	गढ़ीमल्हारा नगर परिषद्	75.00
194	सागर	छतरपुर	नौगांव नगर पालिका परिषद्	150.00
195	सागर	छतरपुर	हरपालपुर नगर परिषद्	75.00
196	सागर	छतरपुर	महाराजपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
197	सागर	छतरपुर	चंदला नगर परिषद्	75.00
198	सागर	छतरपुर	बारीगढ़ नगर परिषद्	75.00
199	सागर	छतरपुर	बिजावर नगर परिषद्	75.00
200	सागर	छतरपुर	सटई नगर परिषद्	75.00
201	सागर	छतरपुर	बड़ामल्हारा नगर परिषद्	75.00
202	सागर	छतरपुर	बक्सवाहा नगर परिषद्	75.00
203	सागर	छतरपुर	धुवारा नगर परिषद्	75.00

204	सागर	छतरपुर	राजनगर नगर परिषद्	75.00
205	सागर	छतरपुर	लवकुशनगर नगर परिषद्	75.00
206	सागर	छतरपुर	खजुराहो नगर परिषद्	75.00
207	सागर	टीकमगढ़	टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद्	150.00
208	सागर	टीकमगढ़	कासी नगर परिषद्	75.00
209	सागर	टीकमगढ़	बल्देवगढ़ नगर परिषद्	75.00
210	सागर	टीकमगढ़	बड़ागांव (धसान) नगर परिषद्	75.00
211	सागर	टीकमगढ़	निवाड़ी नगर परिषद्	75.00
212	सागर	टीकमगढ़	ओरछा नगर परिषद्	75.00
213	सागर	टीकमगढ़	तरीचरकलां नगर परिषद्	75.00
214	सागर	टीकमगढ़	खरगापुर नगर परिषद्	75.00
215	सागर	टीकमगढ़	पलेरा नगर परिषद्	75.00
216	सागर	टीकमगढ़	जतारा नगर परिषद्	75.00
217	सागर	टीकमगढ़	पृथ्वीपुर नगर परिषद्	75.00
218	सागर	टीकमगढ़	जैरोन खालसा नगर परिषद्	75.00
219	सागर	टीकमगढ़	लिधोराखास नगर परिषद्	75.00
220	रीवा	रीवा	रीवा नगर पालिक निगम	300.00
221	रीवा	रीवा	बैकुंठपुर नगर परिषद्	75.00
222	रीवा	रीवा	मऊगंज नगर परिषद्	75.00
223	रीवा	रीवा	हनुमना नगर परिषद्	75.00
224	रीवा	रीवा	त्यौंथर नगर परिषद्	75.00
225	रीवा	रीवा	चाकघाट नगर परिषद्	75.00
226	रीवा	रीवा	गुढ़ नगर परिषद्	75.00
227	रीवा	रीवा	गोविन्दगढ़ नगर परिषद्	75.00
228	रीवा	रीवा	सिरमौर नगर परिषद्	75.00
229	रीवा	रीवा	सेमरिया नगर परिषद्	75.00
230	रीवा	रीवा	नईगढ़ी नगर परिषद्	75.00
231	रीवा	सीधी	सीधी नगर पालिका परिषद्	150.00
232	रीवा	सीधी	चुरहट नगर परिषद्	75.00
233	रीवा	सीधी	रामपुरनेकिन नगर परिषद्	75.00
234	रीवा	सीधी	मझौली नगर परिषद्	75.00
235	रीवा	सिंगरौली	सिंगरौली नगर पालिक निगम	300.00
236	रीवा	सतना	सतना नगर पालिक निगम	300.00
237	रीवा	सतना	मैहर नगर पालिका परिषद्	150.00
238	रीवा	सतना	नागौद नगर परिषद्	75.00

239	रीवा	सतना	उचेहरा नगर परिषद्	75.00
240	रीवा	सतना	अमरपाटन नगर परिषद्	75.00
241	रीवा	सतना	रामपुर-बघेलान नगर परिषद्	75.00
242	रीवा	सतना	कोटर नगर परिषद्	75.00
243	रीवा	सतना	चित्रकूट नगर परिषद्	75.00
244	रीवा	सतना	बिरसिंहपुर नगर परिषद्	75.00
245	रीवा	सतना	जैतवारा नगर परिषद्	75.00
246	रीवा	सतना	न्यूरामनगर नगर परिषद्	75.00
247	रीवा	सतना	कोठी नगर परिषद्	75.00
248	शहडोल	शहडोल	शहडोल नगर पालिका परिषद्	150.00
249	शहडोल	शहडोल	धनपुरी नगर पालिका परिषद्	150.00
250	शहडोल	शहडोल	बुढ़ार नगर परिषद्	75.00
251	शहडोल	शहडोल	ब्यौहारी नगर परिषद्	75.00
252	शहडोल	शहडोल	खाण्ड नगर परिषद्	75.00
253	शहडोल	शहडोल	जयसिंहनगर नगर परिषद्	75.00
254	शहडोल	अनूपपुर	अनूपपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
255	शहडोल	अनूपपुर	पसान नगर पालिका परिषद्	150.00
256	शहडोल	अनूपपुर	जैतहरी नगर परिषद्	75.00
257	शहडोल	अनूपपुर	कोतमा नगर पालिका परिषद्	150.00
258	शहडोल	अनूपपुर	बिजुरी नगर पालिका परिषद्	150.00
259	शहडोल	अनूपपुर	अमरकंटक नगर परिषद्	75.00
260	शहडोल	उमरिया	उमरिया नगर पालिका परिषद्	150.00
261	शहडोल	उमरिया	चंदिया नगर परिषद्	75.00
262	शहडोल	उमरिया	नौरोजाबाद नगर परिषद्	75.00
263	शहडोल	उमरिया	पाली नगर पालिका परिषद्	150.00
264	इन्दौर	इंदौर	इंदौर नगर पालिक निगम	1000.00
265	इन्दौर	इंदौर	सांवेर नगर परिषद्	75.00
266	इन्दौर	इंदौर	देपालपुर नगर परिषद्	75.00
267	इन्दौर	इंदौर	गौतमपुरा नगर परिषद्	75.00
268	इन्दौर	इंदौर	बेटमा नगर परिषद्	75.00
269	इन्दौर	इंदौर	हातौद नगर परिषद्	75.00
270	इन्दौर	इंदौर	महुगांव नगर परिषद्	75.00
271	इन्दौर	इंदौर	मानपुर नगर परिषद्	75.00
272	इन्दौर	इंदौर	राऊ नगर परिषद्	75.00
273	इन्दौर	खरगौन	खरगौन नगर पालिका परिषद्	200.00

274	इन्दौर	खरगौन	भीकनगांव नगर परिषद्	75.00
275	इन्दौर	खरगौन	बड़वाह नगर पालिका परिषद्	150.00
276	इन्दौर	खरगौन	सनावद नगर पालिका परिषद्	150.00
277	इन्दौर	खरगौन	कसरावद नगर परिषद्	75.00
278	इन्दौर	खरगौन	महेश्वर नगर परिषद्	75.00
279	इन्दौर	खरगौन	मण्डलेश्वर नगर परिषद्	75.00
280	इन्दौर	खरगौन	करही एवं पाण्डल्या खुर्द नगर परिषद्	75.00
281	इन्दौर	खंडवा	खण्डवा नगर पालिक निगम	300.00
282	इन्दौर	खंडवा	मूंदी नगर परिषद्	75.00
283	इन्दौर	खंडवा	ओंकारेश्वर नगर परिषद्	75.00
284	इन्दौर	खंडवा	पंधाना नगर परिषद्	75.00
285	इन्दौर	खंडवा	छनेरा नगर परिषद्	75.00
286	इन्दौर	बुरहानपुर	बुरहानपुर नगर पालिक निगम	300.00
287	इन्दौर	बुरहानपुर	शाहपुर नगर परिषद्	75.00
288	इन्दौर	बुरहानपुर	नेपानगर नगर पालिका परिषद्	150.00
289	इन्दौर	धार	धार नगर पालिका परिषद्	150.00
290	इन्दौर	धार	पीथमपुर नगर पालिका परिषद्	200.00
291	इन्दौर	धार	मनावर नगर पालिका परिषद्	150.00
292	इन्दौर	धार	कुक्षी नगर परिषद्	75.00
293	इन्दौर	धार	डही नगर परिषद्	75.00
294	इन्दौर	धार	बदनावर नगर परिषद्	75.00
295	इन्दौर	धार	धरमपुरी नगर परिषद्	75.00
296	इन्दौर	धार	मांडव नगर परिषद्	75.00
297	इन्दौर	धार	धामनौद नगर परिषद्	75.00
298	इन्दौर	धार	सरदारपुर नगर परिषद्	75.00
299	इन्दौर	धार	राजगढ़ (धार) नगर परिषद्	75.00
300	इन्दौर	बड़वानी	बड़वानी नगर पालिका परिषद्	150.00
301	इन्दौर	बड़वानी	सैंधवा नगर पालिका परिषद्	150.00
302	इन्दौर	बड़वानी	राजपुर नगर परिषद्	75.00
303	इन्दौर	बड़वानी	खेतिया नगर परिषद्	75.00
304	इन्दौर	बड़वानी	अंजड़ नगर परिषद्	75.00
305	इन्दौर	बड़वानी	पानसेमल नगर परिषद्	75.00
306	इन्दौर	बड़वानी	पलसूद नगर परिषद्	75.00
307	इन्दौर	झाबुआ	झाबुआ नगर पालिका परिषद्	150.00
308	इन्दौर	झाबुआ	रानापुर नगर परिषद्	75.00

309	इन्दौर	झाबुआ	पेटलावद नगर परिषद्	75.00
310	इन्दौर	झाबुआ	मेघनगर नगर परिषद्	75.00
311	इन्दौर	अलीराजपुर	अलीराजपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
312	इन्दौर	झाबुआ	नगर परिषद् थांदला	75.00
313	इन्दौर	अलीराजपुर	जोबट नगर परिषद्	75.00
314	इन्दौर	अलीराजपुर	भावरा नगर परिषद्	75.00
315	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर नगर पालिक निगम	800.00
316	जबलपुर	जबलपुर	पनागर नगर पालिका परिषद्	150.00
317	जबलपुर	जबलपुर	बरेला नगर परिषद्	75.00
318	जबलपुर	जबलपुर	सिहोरा नगर पालिका परिषद्	150.00
319	जबलपुर	जबलपुर	पाटन नगर परिषद्	75.00
320	जबलपुर	जबलपुर	मझौली नगर परिषद्	75.00
321	जबलपुर	जबलपुर	कटंगी नगर परिषद्	75.00
322	जबलपुर	जबलपुर	भेड़ाघाट नगर परिषद्	75.00
323	जबलपुर	जबलपुर	शहपुरा नगर परिषद्	75.00
324	जबलपुर	कटनी	कटनी नगर पालिक निगम	300.00
325	जबलपुर	कटनी	विजयराघवगढ़ नगर परिषद्	75.00
326	जबलपुर	कटनी	बरही नगर परिषद्	75.00
327	जबलपुर	कटनी	कैमोर नगर परिषद्	75.00
328	जबलपुर	बालाघाट	बालाघाट नगर पालिका परिषद्	150.00
329	जबलपुर	बालाघाट	वारासिवनी नगर पालिका परिषद्	150.00
330	जबलपुर	बालाघाट	कटंगी (बालाघाट) नगर परिषद्	75.00
331	जबलपुर	बालाघाट	बैहर नगर परिषद्	75.00
332	जबलपुर	बालाघाट	मलाजखंड नगर पालिका परिषद्	150.00
333	जबलपुर	बालाघाट	लांजी नगर परिषद्	75.00
334	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम	300.00
335	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव नगर पालिका परिषद्	150.00
336	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	दमुआ नगर पालिका परिषद्	150.00
337	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	चौरई नगर पालिका परिषद्	150.00
338	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा नगर पालिका परिषद्	150.00
339	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	हरई नगर परिषद्	75.00
340	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	सौसर नगर पालिका परिषद्	150.00
341	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	पिपलानारायणवार नगर परिषद्	75.00
342	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	लोधीखेड़ा नगर परिषद्	75.00
343	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	मोहगांव नगर परिषद्	75.00

344	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	डोगर परासिया नगर पालिका परिषद्	150.00
345	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	न्यूटन चिखली नगर परिषद्	75.00
346	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	चांदामेटा नगर परिषद्	75.00
347	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	बड़कुही नगर परिषद्	75.00
348	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	बिछुआ नगर परिषद्	75.00
349	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	नगर पालिका परिषद् पांडुरना	150.00
350	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	चांद नगर परिषद्	75.00
351	जबलपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
352	जबलपुर	नरसिंहपुर	करेली नगर पालिका परिषद्	150.00
353	जबलपुर	नरसिंहपुर	गाडरवारा नगर पालिका परिषद्	150.00
354	जबलपुर	नरसिंहपुर	गोटेगांव नगर पालिका परिषद्	150.00
355	जबलपुर	नरसिंहपुर	तेंदुखेड़ा नगर परिषद्	75.00
356	जबलपुर	नरसिंहपुर	सालीचौका नगर परिषद्	75.00
357	जबलपुर	नरसिंहपुर	चीचली नगर परिषद्	75.00
358	जबलपुर	नरसिंहपुर	साईखेड़ा नगर परिषद्	75.00
359	जबलपुर	सिवनी	सिवनी नगर पालिका परिषद्	200.00
360	जबलपुर	मण्डला	मण्डला नगर पालिका परिषद्	150.00
361	जबलपुर	मण्डला	नैनपुर नगर पालिका परिषद्	150.00
362	जबलपुर	मण्डला	बम्हनीबंजर नगर परिषद्	75.00
363	जबलपुर	मण्डला	निवास नगर परिषद्	75.00
364	जबलपुर	मण्डला	भुआ बिछिया नगर परिषद्	75.00
365	जबलपुर	डिण्डोरी	डिण्डोरी नगर परिषद्	75.00
366	जबलपुर	डिण्डोरी	शहपुरा नगर परिषद्	75.00
367	सागर	सागर	मालथौन नगर परिषद् 1 (नवगठित)	100.00
368	सागर	सागर	मालथौन नगर परिषद् 2 (नवगठित)	200.00
369	सागर	सागर	बांदरी नगर परिषद् 1 (नवगठित)	100.00
370	सागर	सागर	बांदरी नगर परिषद् 2 (नवगठित)	200.00
371	सागर	सागर	बिलहरा नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
372	सागर	सागर	सुरखी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
373	सागर	सागर	बरोदियाकला (नवगठित)	200.00
374	सागर	पन्ना	गुन्नौर नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
375	ग्वालियर	ग्वालियर	मोहना नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
376	ग्वालियर	गुना	मधुसूदनगढ़ नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
377	ग्वालियर	अशोकनगर	पिपरई नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
378	ग्वालियर	शिवपुरी	रन्नौद नगर परिषद् (नवगठित)	75.00

379	ग्वालियर	शिवपुरी	पोहरी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
380	ग्वालियर	शिवपुरी	मंगरौनी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
381	चंबल	भिण्ड	रौन नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
382	चंबल	भिण्ड	मालनपुर नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
383	इन्दौर	खरगौन	बिस्तान नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
384	इन्दौर	बड़वानी	ठीकरी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
385	इन्दौर	बड़वानी	निवाली बुजुर्ग नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
386	इन्दौर	धार	गंधवानी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
387	रीवा	रीवा	डभौरा नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
388	शहडोल	शहडोल	बकहो नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
389	शहडोल	अनुपपुर	वनगांवा (राजनगर) नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
390	शहडोल	अनुपपुर	डोला नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
391	शहडोल	अनुपपुर	डूमरकछार नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
392	शहडोल	उमरिया	मानपुर नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
393	जबलपुर	सिवनी	केवलारी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
394	जबलपुर	सिवनी	छपारा नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
395	नर्मदापुरम्	हरदा	सिराली नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
396	नर्मदापुरम्	बैतूल	घोडाडोंगरी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
397	नर्मदापुरम्	बैतूल	शाहपुर (बैतूल) नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
398	उज्जैन	मंदसौर	भैंसोदा मंडी नगर परिषद् (नवगठित)	75.00
399	सागर	छतरपुर	बड़ामल्हारा नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	100.00
400	सागर	छतरपुर	बक्सवाहा नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	100.00
401	भोपाल	भोपाल	भोपाल नगर पालिक निगम (सीएम घोषणा)	100.00
402	भोपाल	सीहोर	नसरुल्लागंज नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	808.58
403	भोपाल	सीहोर	बुधनी नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	841.03
404	भोपाल	सीहोर	रेहटी नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	312.47
405	भोपाल	सीहोर	शाहगंज नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	743.76
406	भोपाल	होशंगाबाद	होशंगाबाद नगर पालिका परिषद् (सीएम घोषणा)	400.00
407	ग्वालियर	शिवपुरी	करैरा नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	200.00
408	उज्जैन	रतलाम	रतलाम नगर पालिक निगम (सीएम घोषणा)	50.00
409	इंदौर	धार	धार नगर पालिका परिषद् (सीएम घोषणा)	500.00
410	इंदौर	खरगौन	भीकनगांव (सीएम घोषणा)	200.00

411	इंदौर	खरगौन	भीकनगांव (सीएम घोषणा)	100.00
412	सागर	सागर	खुरई नगर पालिका परिषद् (सीएम घोषणा)	1494.16
413	सागर	टीकमगढ़	जैरोन खालसा नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	250.00
414	रीवा	रीवा	रीवा नगर पालिक निगम (सीएम घोषणा)	400.00
415	रीवा	सतना	कोठी नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	400.00
416	चंबल	मुरैना	कैलारस नगर परिषद् (सीएम घोषणा)	150.00
			योग	51775.00

झील एवं तालाबों के संरक्षण एवं विकास योजनाओं की सूची

(राशि रुपये लाख में)

क्र	निकाय का नाम	परियोजना लागत
1	नगर पालिक निगम भोपाल	985.00
2	नगर परिषद गौतमपुरा	119.00
3	नगर परिषद नामली	190.00
4	नगर पालिका धार	577.78
5	नगर पालिका गोहद	272.00
6	नगर पालिका आगर मालवा	542.00
7	नगरपालिका सिरोज	266.00
8	नगरपालिका झाबुआ	529.00
9	नगर परिषद मांडव	344.00
10	नगर परिषद रानापुर	279.00
11	नगर परिषद नरवर	112.00
12	नगर परिषद जीरन	721.00
13	नगर पालिका मैहर	100.83
14	नगर पालिका मुलताई	385.73
15	नगर पालिका खुरई	169.20
16	नगर परिषद बाबई	51.09
17	नगर परिषद सैलाना	120.50
18	नगर निगम मुरैना	58.28
19	नगर पालिका इटारसी	79.06
20	नगर परिषद बडा मलहरा	110.68
21	नगर निगम जबलपुर	33.74
22	नगर पालिका टीकमगढ	153.51
23	नगर परिषद कसरावद	171.00
24	नगर परिषद धुवारा	68.11
25	नगर परिषद माकडोन	54.51
26	नगर परिषद बिजावर	39.10
27	नगर परिषद् भैंसदेही	50.00
28	नगर परिषद् बैहर	130.13
29	नगर परिषद् बक्सवाहा	43.24
30	नगर पालिका उमरिया	50.00
31	नगर परिषद् डीकेन	50.00
32	नगर परिषद् बरघाट	98.20
33	नगर पालिका खुरई	921.01
34	नगर पालिक निगम इन्दौर	325.62
35	नगर पालिका सिवनी	156.73
36	नगर परिषद बुढ़ार	40.44

37	नगर परिषद घुवारा	17.52
38	नगर परिषद बान्दरी	345.64
39	नगर परिषद मालथौन	349.97
40	नगर परिषद मेहगांव	111.12
41	नगर परिषद जैरोन खालसा	100.00
42	नगर पालिका पोरसा	242.97
43	नगर पालिक निगम कटनी	120.94
योग—		9685.65
